बालचंद रामचंद कोठारी कौन है ?

पूर्व भाग ।

मुकद्दमेकी जड ।

ईसवी सन् १९२४ के दिसंबर मासमें भा० दि० जैन महासभाका २९ वां वार्षिक अधिवेशन दक्षिणके प्रमुख रत्नत्रयसंवर्धक संस्थाके कार्यवाहकोंने होड-बल (बेलगांव)-में करानेका निश्चय किया। महासभाको स्थापित हुये यद्यपि २९ वर्ष गुजर चुके थे और उसने अपनी उदयकालसे अब तक अनेक छोटे बडे कार्य भी समाजहितके किये थे तो भी उसकी प्रसिद्धि भारतवर्षके समस्त प्रांतोंके समस्त मनुष्यों के कर्णगोचर न हो पायी थी और न महासभाके मुखपत्र जैनगजटने ही सर्वत्र पहुंचकर धर्मके मर्मको समझानेका अवसर प्राप्त [illegible]या था। इसी कारण जो लोग भोली भाली जनतासे धर्मप्रचारके बहाने अधर्मप्रचार करनेके लिये यथेष्ट सहायता प्राप्त करते थे, उनके कान खडे होगये। उन्हें भानही क्यों ? निश्चय हो गया कि अब उत्तरायण सूर्य दक्षिणायन

होना चाहता है अब तक जो हुए अपनी बनावटी रोशनीसे लोगोंको आंखोंमें चकाचौंध कर प्रभाव डाल रहे हैं वह अब महासभाके सामने अधिक न टिक सकेगा, लोग अब हमारी तरफ देखकर हंसेंगे, जरूर हंसेंगे। बस! इसी बुनयाद पर उन लोगोंने एक संगठित सभाके नीचे अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। दलबल सहित बड़ी हिम्मतके साथ इस तेजीसे आगे बढ़नेवाले महासभाके प्रतापको रोकने-का आडंबर रचा जाने लगा।

जिस प्रकार लोग सूर्यकी गर्मीसे अपनी रक्षा करनेके लिये छाता अपने शिर पर तान कर अपना बचाव कर लिया करते हैं उसी प्रकार ये महानुभाव भी अपनी ही रक्षा कहीं छिप छुपाकर कर लेते तब तो कोई बात ही न थी परन्तु इन्होंने सूर्यके ऊपर ही छाता ताननेकी बेवकूफी की। और इसका फल यह हुआ कि बिचारे उसके प्रबल प्रतापको हाथों र छूने न पाये थे कि उष्णतासे घबड़ा कर अपनी विवेक-बुद्धिसे भी हाथ धो बैठे।

इन लोगोंने अधिवेशनकी नियत मितिसे प्रथम तो जो कुछ अपना मत बढ़ानेके लिये उचित अनु चित उपायोंका अवलंबन किया वह तो किया ही परन्तु अधिवेशनके दिनोंमें जो कारगुजारी कर

दिखाई उससे इनकी इस कीर्तिका प्रसार दशों दिशाओंमें होगया और उन्हें भी पहाड़के पास पहुंच कर अपनी गुरुताईका अनुभवपूर्ण ज्ञान होगया।

परंतु फिर भी ये सन्मार्ग पर न आये, अपनी कल्पनाशालि बुद्धिके प्रभावसे इनके माथेमें एक विलक्षण सूझ उत्पन्न हुई और उसके प्रभावसे इन्होंने भा० दि० जैन महासभाके नामसे फतवा जाहिर किया कि महासभाके समस्त कार्यकर्ता बदल दिये गये हैं और उनमें महामंत्री बालचंद रामचंद कोठारी बनाये गये हैं। इतना ही नहीं, वर्धामें अपने दलको एकत्र कर यह मनसूबा भी बांध डाला गया कि महासभाके वर्तमान कार्यकर्ताओं पर उनसे चार्ज छीन लेनेकेलिये कोर्टका सहारा फौरन लेलिया जाय तदनुसार इन लोगोंने बेलगावकी कोर्टमें दीवानी दावा भी दायर कर दिया।

अब तो लोगोंको इनके इस मायाचारको प्रकट करनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई, साथही यह भी जाहिर करनेकी कि इनके दलमें कैसे कैसे जैनधर्मके अनुकूल वा प्रतिकूल चलने वाले लोग हैं इस मायाचारको प्रगट करनेमें सबसे अधिक वीरताका कार्य 'जैनगजट' ने किया सप्ताहमें एक बारकी जगह दो बार पहुंच कर लोगोंको यह साफ जाहिर कर दिया

कि—असली बात क्या है ? परंतु इस दलने अपने मायाचारका इस प्रकार भंडा फोड़ होते देख अधिक आवेशसे कार्य लेना आवश्यक समझा और इनके नियुक्त महामन्त्रीका जब कच्चा चिट्ठा जैनगजटके ता० २७-१-२५ के अंकमें प्रकाशित कर जैनसमाजको सचेत किया गया तो ये आपेसे बाहर होगये। लेख प्रसिद्ध होनके साथ ही इनके कल्पित महामन्त्री बालचंद कोठारीने वकीली नोटिस जैनगजटके संपादक, सहायक सम्पादक, प्रकाशक और सब प्रकारकी कानूनी जुम्मेदारीसे रहित जैनसिद्धान्त प्रकाशक प्रेसके प्रबन्धकर्ताको दे दिया और इतना ही नहीं सुदूर देशवर्ती बेलगांव जिलेकी फौजदारी कचहरीमें केश भी दायर कर दिया।

जिस लेख पर फौजदारी दावा दायर किया गया और जो सोलहो आने सत्य साबित हुआ उसका विवरण नीचे दिया जाता है।

जैनगजटके वर्ष ३० अङ्क १६
ता० २२ जनवरी १९२५ में
प्रकाशित लेख।

बालचंद रामचंद कोठारी कौन हैं ?

सेठ ताराचन्द आदि कुछ अगुओंने जो महासभाकी नई प्रबंधकारिणी समिति जैनमित्रमें चुन कर प्रगट की है, और शेडवालसे बेलगांव जाते हुये रेल या मोटरके किसी डिब्बेमें बैठ कर जिसका प्रसव किया गया है। उसके महामंत्री बालचन्द कोठारी बी० ए० बनाये गये हैं। इन 'मान न मान मैं तेरा महमान'की कहावत चरितार्थ करनेवाले महाशयका परिचय दक्षिणके जैनबन्धु तो अच्छी तरह जानते हैं, परंतु उत्तरीय जैनभ्राता बी० ए० आदिकी मोहक डिग्रीयोंके जालमें फस इनको 'सच्चा सिंह न समझ लें' इसलिये जैसा इधरके लोगोंमें प्रसिद्ध है, ठीक वैसा ही लिखा जाता है—

(१) आप भंगी चमार आदि अस्पर्श्य शूद्रोंको ब्राह्मण क्षत्रियादि उच्चवर्णोंसे भी पवित्र मानते हैं। उनके साथ खान पान करते हैं।

(२) अपने घर अस्पृश्य ही नौकर रखते हैं। आटा पीसने आदिके लिये यदि कभी कोई उच्चवर्ण-

की स्त्री भूलसे भी चली जावे तो उसको स्पृश्य जाति मालूम होनेसे फौरन निकाल देते है।

(३) अस्पृश्योंके लिये आपने अपने गांवमें एक बोर्डिंग खोल रक्खा है।

(४) आपकी माता आपके इन कृत्योंसे अलग रहती और खान पानादिका संबन्ध नही रखती है।

(५) आपके पिता बहुत ही धर्मात्मा थे। कुन्थलगिरि सिद्धक्षेत्र पर उन्होने एक जिनमंदिरजी भी निर्माण कराया परन्तु उनके लाडले सुपुत्र उसे बेच कर पैसा खडा करना चाहते हैं! परन्तु इनकी माता इनके इस दुष्कृत्यमे विघ्न डाले हुये है।

(६) आपके शीलव्रतका कुछ महत्त्व नही सुतरां धरेजा वा करावके पोषक है।

(७) लड़ाकू और उपद्रवी समझकर यहां (दक्षिण) के लोग आपको तुच्छ दृष्टिसे देखते है। शेडवालमे सूरतकी कांग्रेसकासा दृश्य कर देना आपका नवीन कार्य नहा, इससे पहिले सोलापुर जिला परिषद्, नागपुर सभा, आदि सार्वजनिक अनेक सभाओंमे इसीप्रकार घमसान युद्ध करा चुके है।

(८) आपकी पार्टीने सिहका चर्म ओढकर कुछ दिन पहले दक्षिण महाराष्ट्र जैनसभा कायम की थी, उसके आधीन कई बोर्डिंग भी खोले गये है। सर्वसाधारण जनताने पहिले तो आपको धर्म-वृद्धिकी आशासे सब प्रकार इनमें सहायता पहु चाई परंतु जब कटुक फल इन बोर्डिगोंसे निकलने लगे और धार्वते आदिका असली स्वरूप इनको समझमें आने लगा तो सहायता देना बन्द कर दिया जिससे बोर्डिगोंके खर्चे चलाना भी कठिन हो गया यह देख आपने महासभाके ऊपर कब्जा करनेकी तरकीब निकाली है क्योंकि बम्बई महासभाके अधिवे-शनमें इसको (सभाको) २००००) रुपयेके अनुमान सहायता जो प्राप्त हो गई है ! इस प्रकार आप धर्मात्माओंके प्रदत्त द्रव्य पर हाथ साफ करना चाहते है।

(९) 'जैनमित्र' और 'प्रगति' आदि अपने मतके पत्रों द्वारा जैनसमाजमें अपना महामन्त्रित्व प्रगट कर लोगोंसे चन्दा अपनी तरफ मांगनेका निद्य साहस कर रहे है।

(१०) आपके सहायक इस समय सेठ ताराचन्द मुम्बई, मूलचंद कापडिया सूरत, सीतलप्रसाद

ब्र०, नाथूराम प्रेमी, चांदाप्पा धावते आदि बिगाड़क दलके अगुआ है। यही कारण है कि इनके जैनमित्रादि पत्रोंमें सरासर झूठी खबरें प्रकाशित हो आपकी मत पुष्टि करती है।

—एक दक्षिणप्रवासी.

नोट—ऊपर लिखी कुल बातें हमारे संवाद-दाताने दक्षिणके प्रसिद्ध प्रसिद्ध शहरोंके प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित पुरुषोंसे जानकर लिखी है। अतएव प्रत्येक जैनीका कर्तव्य है कि वह अपने दि० जैनधर्मकी रक्षार्थ इन धर्म बिगाडकोंके फंदेमे हरगिज न फसें और महासभाकी सहायतादिका रुपया शेठ चैनसुखजी छावडा, महामंत्री भा० दि० जैन महासभा सिवनीके पते पर ही भेजे।

—प्रकाशक.

इस लेखके प्रकाशित होजानेके बाद ता० ४ फरवरी १९२५ के लिखे हुवे वकीली नोटिस जैनगजटके समस्त संचालकोंको पृथक् २ जवाबी रजिष्ट्रीसे पोष्ट मार्फत मिले, जिनका अभिप्राय तो समान था केवल फिर्यादी द्वारा मांगी हुई रकमकी तादादमें अंतर था अर्थात् संपादक पं० रघुनाथदासजीसे

दश हजार, सहायक सम्पादक पं० लालारामजीसे दो हजार, प्रकाशक पं० मक्खनलालजीसे पांच हजार और प्रेसके मैनेजरसे एक हजार रुपये मांगे गये थे।

उक्त नोटिसोंमेंसे एकका अविकल अनुवाद नीचे दिया जाता है—

कोठारी द्वारा वकीलकी मार्फत दिलाये गये नोटिसका हिंदी सारांश।

तरफसे—श्रीयुत एस० एस० मोरे बी० ए० एल० एल० बी० वकील, बेलगाव।

श्रीयुत श्रीलाल जैन, एडिटर—"जैनगजट"
६ विश्वकोष लेन कलकत्ता।

महाशय,

मैं अपने मुवक्किल बालचंद रामचंद कोठारी बी० ए० एम० एल० सी० पूनाके कथनानुसार आपको सूचना देता हूं, कि आपने अपने "जैनगजट" नामक हिन्दी साप्ताहिक पत्रमें ता० २८-१-२५ को "बालचंद रामचंद कोठारी कौन है ?" शीर्षक लेख प्रकाशित कर मेरे मुवक्किल बालचंद रामचंद कोठारीका अप-मान किया है, जोकि हठाग्रहक और हम दुरभि-

संधिसे किया गया है कि जिससे उसके व्यक्तिगत तथा जैनसम्प्रदायके एक व्यक्तिकी हैसियतसे जो उसकी ख्याति है वह नष्ट हो जाय और भी सूचित किया जाता है कि आपने ऐसा करके इण्डियन पीनलकोड (भारतीय दण्डविधि) के ५०० धाराके अनुसार दण्ड पाने योग्य अपराध किया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, कि आप उक्त लेखको वापस कर लें और मेरे मुवक्किल उक्त कोठारीसे सर्वान्तःकरणसे क्षमा मांगे और ये दो बातें अखबारमें ऐसी भाषा और ऐसे भावमें प्रकाशित कर दें कि मेरे मुवक्किल उक्त कोठारीको पसन्द आवे तथा और भी सूचित किया जाता है कि आप मेरे मुवक्किल उक्त कोठारीको उसकी (कोठारीकी) सम्मति अनुसार किसी जन साधारणके कामसे खर्च करने लिए १०००) (एक हजार) रुपये दीजिये।

यदि आप इस सूचना पत्र (नोटिश) के पानेके बाद ४ (चार) दिनके भीतर ऊपर लिखे अनुसार कार्य न करेंगे, तो मेरा मुवक्किल आपके विरुद्ध, जैसी उसको सलाह दी जायगी, उद्योग (तजवीज) करेगा।

बेलगांव
४ फरवरी १९२५ } (द०) एम० एम० भोज, वकील

इस नोटिसका उत्तर संचालकोंकी तरफसे वकीलकी मारफत इस प्रकार दिया गया—

संचालकोंके उत्तरका सारांश ।

श्रीयुत एस०एम० भोज बी०ए०एल०एल०बी०
वकील, बेलगाम

कलकत्ता

ता० १४-२-२५

महाशय !

आपने बेलगांवसे जो पत्र ता० ४-२-१९२५ को हमारे मुवक्किलके नामसे दिया है उस पत्रका उत्तर देनेके लिये मेरे हस्तगत हुआ है । उसका उत्तर निम्नलिखित है ।

हमारे मुवक्किलने किसी प्रकारसे भी आपके मुवक्किल मि० कोठारीकी मानहानि की है यह वे अस्वीकार करते है तथा वे स्वीकार करते हैं कि 'बालचन्द रामचंद कोठारी कौन है' यह लेख मान-हानिजनक नहीं है। आपके मुवक्किल जनसभाके एक मेंबर अथवा प्रधान शहरवासी या और कोई भी क्यों न हो आपके मुवक्किलकी मानहानिके उद्देश्य मे यह विद्वेष-मूलक लेख हमारे मुवक्किलने नहीं प्रकाशित किया है इसे वे स्वीकार करते है ।

हमारे मुवक्किल यह भी स्वीकार करते हैं कि आपके मुवक्किलकी किसी प्रकारसे कोई भी क्षति नही हुई है। विश्वस्तसूत्रसे सम्वाद पा कर लिखा गया है। इसकी सत्यता हमारे मुवक्किलको मान्य है तथा इसमें सन्देहजनक कोई कारण नही है।

जो मनुष्य गलत तरीकेसे कार्यकारिणी भा० दि० जैन महासभाके महामन्त्री होनेकी चेष्टा करता है उक्त लेख उसी सम्बन्धको सुन्दर एवं परिष्कार रीतिसे बतलानेके सिवाय और कुछ नही है।

आपके मुवक्किलने कई एक समाचार पत्रोंमें घोषणा करा दी है कि—"मैं (आपके मुवक्किल) भा० दि० जैन महासभाका महामन्त्री नियुक्त हुआ हूं।" आपके मुवक्किलकी समाचार पत्रोंमें प्रकाशित उक्त घोषणा सत्य बातके प्रतिकूल है। इसलिये जैन समाजको सत्यासत्य बात जानकर सचेत होजानेके लिये ही उपर्युक्त शीर्षक लेख प्रकाशित किया गया है।

'भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभा' भारतवर्षके समस्त जैनसमाजकी एक सभा है और यह पत्र "जैनगजट" उपरोक्त महासभाका मुखपत्र है। इसलिये जो व्यक्ति महासभाके कार्यकारी मंडलका सदस्य होनेका दावा करता है अथवा उस सभाके

किसी पद पर आरूढ होनेकी उम्मेदवारी करता है उस व्यक्तिके गुण दोषकी आलोचना करनेका हमारे मुवक्किलको पूरा पूरा अधिकार है । इसी प्राप्त-अधिकारसे उस पद पर अपनी नियुक्ति बतलानेवाले आपके मुवक्किलके गुण-दोष प्रकट करनेकेलिये ही उपरोक्त शीर्षक लेख प्रकाशित किया गया है ।

हमारे मुवक्किलने धर्म-पक्ष तथा जनसमाजमात्र-की भलाईके ध्येयसे ही आपके मुवक्किलका धर्माच-रण किस प्रकार है ? यह बात समाजमें प्रकट करने-के लिये ही "बालचन्द रामचन्द कोठारी कौन है ?" शीर्षक लेख समाजके सामने रक्खा है ।

हमारे मुवक्किल उपर्युक्त शीर्षक लेख प्रकाशित करना न्याय्य बतलाते हुये आपको सूचित करते हैं कि सार्वजनिक पत्रका कोई लेखक किसी भी सार्व-जनिक [illegible] करनेवाले व्यक्तिके गुण दोषको खूब जोर-शोरसे प्रकट कर सकता है ।' इसलिये उन्होंने इण्डियन पिनल कोडके ५०० अथवा अन्य किसी धाराके भीतर कोई अपराध नहीं किया है । अतः आपके मुवक्किलने जो रुपये मान-हानिके बदले मांगे हैं, हमारे मुवक्किल उसकी पूर्ति करनेके लिये वाध्य नहीं हैं । आपके मुवक्किलका भय-प्रद-

र्शन अनुचित तथा आईनके बाहर है। यदि आपके मुवक्किल कुपरामर्शवश अदालत जाना चाहते हों तो वे अपनी इच्छानुसार जा सकते हैं। हमारे मुवक्किल अपनी रक्षाके लिये प्रस्तुत है, तथा इस मुकद्दमेमें जो कुछ खर्च होगा उसकी क्षति पूर्तिकेलिये आपके मुवक्किल पर दावा करेंगे।

इस प्रकार नोटिसोंका उत्तर पाजाने पर भी बालचन्द वल्द रामचन्द कोठारी जनगजटके संचालकोंको दंडित करानेके लिये बेलगाम कोर्टमे दौड पडे और नीचे लिखा प्रार्थनापत्र फष्ट क्लास मजिष्ट्रटकी कोर्टमें दाखिल कर दिया गया।

कोठारीके प्रार्थनापत्रके नकल।

फर्स्ट क्लासके मजिष्ट्रेटका कोर्ट बेलगांव।

फरियादी—बालचन्द रामचन्द कोठारी

बी० ए० एम०एल० मो० शुक्रवार पेठ—पूना सिटी

आसामी—

१—पण्डित रघुनाथदासजी रईस, जाति जैन उम्र ५५ वर्ष, पेशा जमीदारी, वासस्थान सरनऊ जिला एटा (यू० पी०) संपादक—"जैनगजट"

२—पण्डित लालाराम शास्त्री, जाति जैन, अवस्था ४२ वर्ष, व्यवसाय प्राइवेट नौकरी, वास-

स्थान पहाडीधीरज सदरबाजार देहली (शिक्षक हीरालाल जैन हाईस्कूल सहकारी संपादक— "जैनगजट"

३—मक्खनलाल शास्त्री, जाति जैन, अवस्था ४० वर्ष, व्यवसाय प्राइवेट नौकरी, निवासस्थान ६ विश्वकोषलेन कलकत्ता, प्रकाशक "जैनगजट"

४—श्रीलाल जैन, जाति जैन, अवस्था ३८ वर्ष, पेशा व्यवसाय, वासस्थान ६ विश्वकोष लेन कलकत्ता प्रिंटर "जैनगजट'

इन्डियन पिनलकोडकी ५०१ वी धारा। इस अर्जीमें फरियादी निम्नलिखित बयान करता है।

१—फरियादी "जैनसमाज"का एक प्रधान मेंबर है, कई वर्ष हुए इन्होंने 'जैनसमाज' की उन्नति एवं 'जैनधर्म' की वृद्धिके लिये अनेकों सत्कार्य किये हैं। ये बम्बई-लेजिसलेटिभ कौंसिल सोला-पुर जिलेके एक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं।

२—आसामी (मुद्दालह) नं० १ हिंदी साप्ता-हिक पत्र 'जैनगजट के सम्पादक हैं। यह पत्र (जैन-गजट) भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभाकी तरफसे प्रकाशित होता है, यह उपर्युक्त महासभा भारतवर्षके समस्त दि० जैनमात्रकी सभा है। जैनगजट कलकत्तासे प्रकाशित होता है परन्तु

भारतवर्षके सब स्थानोंमें जाता है। जिसके अन्तर्गत बेलगांव सिटी तथा बेलगांव जिला भी है जहां जैनियोंकी अधिक संख्या है। फरियादी इसी जिलेके एक सर्वमान्य तथा परोपकारी व्यक्ति हैं। आसामी नं० २ इस पत्र 'जैनगजट'के सहायक सम्पादक हैं तथा आसामी नं० ३ और ४ क्रमशः प्रकाशक तथा मुद्रक हैं।

३—कुछ दिन पहलेसे ही ये समस्त आसामीगण इस 'जैनगजट' पत्र द्वारा सर्वसाधारणमें यह घोषणा करते आरहे हैं कि फरियादी जैनधर्म और जैन सम्प्रदायका अपने बुरे आचरण द्वारा लोप करना चाहता है। इस प्रकार तोहमत लगानेमें आसामीगण द्वेष भावसे उतारू हुए हैं। २-३ ४ नम्बरके आसामी परस्पर भाई हैं। सम्प्रति उक्त महासभाने फरियादी को जेनरल सेक्रेटरीके पद पर नियुक्त किया है और आसामियोंको अपने २ पदसे पदच्युत कर दिया है। इस कारण आसामी गण फरियादीसे असन्तुष्ट हुए हैं और इर्ष्या द्वेष भावसे ऐसे सब मिथ्या सम्वाद तथा अपमानसूचक समाचार प्रकाशित करते आरहे हैं जिनसे फरियादी और उनके पक्षवालोंके आचरणों पर धब्बा लगे।

४—ता० २२ जनवरी १०२५ को जैनगजट'के

१८८६ पृष्ठमें 'बालचन्द रामचन्द कोठारी कौन है ?' इस शिर्षकका एक लेख समस्त आसामियोंने प्रकाशित किया है। उस लेखमें फरियादीके विरुद्ध अनेकों मिथ्या अपमान सूचक सम्वाद प्रकाशित किये गये है। उस लेखमें निम्नलिखित अपमान-सूचक बातें छापी गई है—

(क)—फरियादी ब्राह्मण क्षत्रिय उच्च वर्णोंकी अपेक्षा अस्पृश्य (भंगी-चमार) को ही उच्च समझते है तथा इन्ही भंगी चमारोको अपने गृहकार्यमें नियुक्त भी करते है।

(ख)—इनकी माता इनके चरित्रसे अप्रसन्न होकर इनसे पृथक् रहती है।

(ग)—फरियादी अपने पिताके निर्माण किये हुये मन्दिरजीको बेचना चाहते है।

(घ)—फरियादीका चाल चलन खराब है।

(ङ)—दक्षिणके जैनी फरियादीको घृणाकी दृष्टिसे देखते है।

(च)—फरियादी भा० दि० जैन महासभाके फंडका आत्मस्वार्थमें व्यय करना चाहते है।

५—आसामियोंने इन सब दोषोंको मिथ्या समझते हुये भी द्वेषवश उन्हें सत्य प्रमाणित करनेकी इच्छासे फरियादीके कुलकी हँसी उड़ाई है और

भारत जैनसमाजमें बिस्तृत उनकी कीर्ति पर धक्का लगाया है। इन्होंने इंडियन पिनलकोटकी ५०० वीं धाराके दंडनीय अपराध किये है, इसलिये दाव किया गया है।

६—इन आसामियोंने मानहानि सूचक जो लेख छापा था, उसकी भूलसुधार करनेके लिए तथा माफी मांगनेके लिये फरियादीने एक रजिष्टर्ड नोटिस दिया था परन्तु उन्होंने ऐसा करनेसे साफ साफ इन्कार कर दिया और उलटा फरियादीके ऊपर दोष प्रमाणित करनेके लिए चेष्टा की थी।

७—उपर्युल्लिखित सब मिथ्या सम्वाद बेलगांव शहरमे पकाशित हुए थे और वह इस कोर्टके अधीन है।

८—इस मुकदमेमे निम्नलिखित साक्षीगण गवाही देंगे।

१—चतुरबाई भ्रतार रामचन्द्र अवाचंद कोठारी, मु० वार्बी तालुका, माढ़ा (सोलापुर)

२-३ नं०के आसामीका पत्र इस कोटमे दाखिल करनेके लिये मि० बालु नाना चौगुले सांगलीको सम्मन देना होगा।

४—सेठ ताराचन्द नवलचन्द जौहरी, रत्नाकर-पेलेस चौपाटी-बंबई,

५—मानिकचंद मोतीचंद शाह एसकायर मेनेजिग डेरेक्टर

मानिकबाग, आयल मिल्स लिमिटेड बेलगांव

६—गुडप्पा तवनप्पा पाटील आफिसियेटिंग पुलिस पाटील, बेलगांव।

मुकद्दमाके समय फरियादी और भी साक्षी देंगे।

६—निम्नलिखित दलीलपत्र उपस्थित किये गये है।

(क)-ता० २२ जनवरी १६२५के जैनगजट की एक कापी।

(ख) "बालचन्द रामचन्द कोठारी कौन है?" इसका अनुवाद।

फरियादी प्रार्थना करता है कि इन समस्त आसामियोंके अपराधपर विचार किया जायगा तथा कानून अनुसार दंड दिया जायगा।

— हस्ताक्षर बी० आर० कोठारी.

बेलगामकी फौजदारी कचहरीमें इस प्रकार प्रार्थना पत्र दायर कर देनेके बाद कानूनके अनुसार वहांके सिटी मजिष्ट्रेट श्रीयुत आर, एस, हीरेमठ साहब ने जैनगजटके संचालकोंको अपने समक्ष प्रत्यक्ष हाजिर होनेके लिये कलकत्ता देहली, और ऐटाके प्रेसिडेंसी मजिष्ट्रेटोंके पास वारण्ट द्वारा सूचना भेजी जिसमें लिखा गया था कि—

यहां (बेलगाम) की कचहरीमें पूना शहरके रहने वाले बालचन्द वल्द रामचन्द कोठारीने अपनी मानहानिसे दुःखित हो कर एक प्रार्थना उपस्थित की है जिसमें कहा गया है कि—जैनगजटके कार्यकर्ताओंने मेरी बदनामी की है इसलिये उन पर इण्डियन पिनल कोड (ताजीरात हिंद) की ५०० नं० की धाराके अनुसार अपराध लगा कर विचार होना चाहिए। अतएव मेरे (मजिष्ट्रेटके) सामने कलकत्ता शहरके रहनेवाले पं० मक्खनलाल शास्त्री प्रकाशक जैनगजट और पं० श्रीलाल प्रिंटर जैनगजट, देहली शहरके रहनेवाले पं० लालारामजी शास्त्री और ऐटा जिलेके पं० रघुनाथदासको ता० १५ मईको हाजिर किये जांय। यदि ये लोग पांच सौ पांच सौ रुपयेकी जामिन करदें तब तो स्वतन्त्र छोड़ा जाय, नहीं तो गवर्नमेंट अपनी शक्ति काममें लाकर इन्हें यहां (बेलगाममें) उपस्थित करे।

उक्त आशयवाले हुक्मनामेको पाकर कलकत्तेकी पुलिसने नं० ८ विश्वकोष लेनस्थित भारतीय जैन-सिद्धान्तप्रकाशिनी संस्थाके भवनमें ता० ५ मई १८२५ को शामके करीब साढ़े पांच बजे अपना एक प्रतिनिधि (जमादार) पं० मक्खनलालजी और श्रीलालजीके पास भेजा।

उक्त प्रतिनिधिका पं० श्रीलालजी काव्यतीर्थसे ज्योंही साक्षात् हुआ, उसने कहा कि—आपके नाम वारंट है, इसलिये मेरे साथ थाना चलिये। पुलिसजमादारके मुखसे उक्त संवाद सुन श्रीलालजीने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हां! ठीक है, बेलगामसे आया होगा। पं० मक्खनलालजीके नाम भी तो नहीं है? इस प्रश्नको सुनकर जमादारने कहा हां! है तो सही, परन्तु वे कहां हैं? उत्तरमें श्रीलालजी उस जमादारको अपने साथ लेकर पं० मक्खनलालजी न्यायालंकारके पास उनकी दूकान नं० २२० हरीसनरोड पर ले गये और सब हकीकत कह सुनायी। न्यायालंकारजीका ठिकाना वारंटमें गलत लिखा था इसलिये वह वारंट देखकर लौट जा सकता था, परन्तु सत्यके समक्ष सदा निर्भय रहनेवाले गजटके सञ्चालकोंको यह बात पसन्द न आयी इसलिये बिल्कुल सीधे तरीकेसे उन्होंने वारंट-की तामील कर दी।

वारंटकी खबर विजलीकी तरह कलकत्तेके जैन-समाजमें पहुंच गई और जामिन देनेके लिये शेठ चैन-सुख गम्भीरमलजी फार्मके मालिक श्रीमान् शेठ गंभीरमलजी पांड्या अपनी मोटरमें सवार हो श्यायालंकार-जीकी दूकान पर आ पहुंचे। इधर श्यामबाजारकी जैन समाजके प्रमुख भीखाराम बालमुकुन्द फार्मके मालिक चौधरी भीखारामजी भी आ गये। बाबू राजेन्द्रकुमार तारकनाथ फार्मके मालिक बाबू राजेन्द्र-कुमारजी आदि अन्य भी अनेक प्रतिष्ठित सज्जन एकत्र हो गये और सब लोग साथ साथ ही थानेमें पहुंचे। श्यामापुकर थानेके इंस्पेक्टर साहबने इतने बड़े बड़े आदमियोंको उक्त दोनों आसामियोंके साथ आते देख हंसकर कहा कि मानहानि केश है, इसमें आप लोगों-को चिन्ता करनेकी कुछ जरूरत नहीं है और उसके बाद आपने कायदेके अनुसार अपने रजिष्टरकी खाना पूर्ति कर दोनों महाशयोंको ता० १५-५-२५ को बेल-गाममें उपस्थित होनेकी सूचना कर विदा कर दिया।

जामिन दे कर आनेके बाद तार द्वारा इस वृत्तान्तकी सूचना देहली पं० लालारामजीको और सरनौ (एटा) पं० रघुनाथदासजीको दे दी गई। तार पाते ही पं० लालारामजी देहलीके थानेमें अपने नामका वारंट तलास करने पहुंचे परन्तु दुर्भाग्यवश

वारंट उस दिन तक देहली न पहुंच पाया था। सरनी वारंट पहुंच चुका था परन्तु पं० रघुनाथदासजी करीब दो वर्षसे बीमार थे इसलिये पटाकी मजिस्ट्रेटने यह लिख कर कि आसामी बीमार है, हाजिर नहीं हो सकता, वारंट वापिस कर दिया।

पं० लालारामजीके पास वारंट न पहुंच पाया था तो भी आप बेलगांव नियत दिन पर पहुंच ही गये।

यह दिन सिर्फ जामिन ले कर विचार करनेकी तारीख डालनेके लिये नियत किया गया था इसलिये संचालकोंकी स्थानीय जामिन लेली गई और पेशी ता० ८ जुन १९२५ डालदी गई।

कोर्टमें फरियादी बालचन्द वल्द रामचन्द कोठारी द्वारा मौखिक दिये गये बयान।

—:*:—

तारीख ८ जून १९२५ को रायसाहब आर० एन० किणी महोदयके समक्ष फरियादी अपने गवाहोंके सहित उपस्थित हुआ और मजिस्ट्रेट साहबकी आज्ञानुसार फरियादीने अपने बयान अपने वकील मि० चडणी

बाबाजी लड्डूके प्रश्नोंका उत्तर देते हुये इस प्रकार देना प्रारम्भ किये

व०—यह मामला क्या तुमने दायर किया है?

बा०—हा! मैं इस मामलेमें मै फरियादी हूं।

व०—तुमने कहां तक शिक्षा प्राप्त की है?

बा०—मैंने बम्बई यूनिवर्सिटीका ग्रेजुएट हूं और कालिजका फैलो भी था।

व०—तुम क्या बम्बईकी लेजिस्लेटिव कौंसिलके मेम्बर हो।

बा०—हा?

व०—तुम जमीनका फाडा (मालगुजारी) और इनकमटैक्स भी कुछ देते हो?

बा०—हां। ५००) फाडा और लगभग दोसौ रुपये इनकमटैक्स देता हूं।

व०—तुम क्या किसी पत्रके सम्पादक भी थे?

बा०—हां। मराठीके जागरूक नामक पत्रका कुछ समय तक सम्पादक था और मराठीमें कुछ पुस्तकें भी लिखी है।

व०—तुम क्या किसी जैनसभाके सभापति भी हुए थे?

बा०—हां! गत वर्ष भिलवडी (एक गांव) में जो दक्षिण महाराष्ट्र जैनसभा हुई थी उसका मै सभापति था।

व०—इस समय भी क्या किसी सभाके कोई पदाधिकारी हो ?

वा०—हां। भारतवर्षीय दि० जैन महासभाका मै गत दिसम्बर १८२४ से महामन्त्री हूं।

व०—जैनगजट किस सभाका पत्र है और उसके संचालक कौन २ हैं।

वा०—जैनगजट उक्त महासभाका मुख्य पत्र है और उसके आरोपी नं० १ संपादक, नं० २ सहायक सम्पादक, नं० ३ प्रकाशक और नं० ४ मुद्रक गत दिसम्बर १८२४ तक थे परन्तु नवीन चुनावके अनुसार नं० १ और २ के आरोपी उक्त पदोंसे हटा दिये गये हैं।

व०—तब आजकल सम्पादनका कार्य कौन करता है ?

वा०—उक्त आरोपी ही करते हैं। मैंने इन लोगोंसे चार्ज मांगा था परन्तु देनेसे इन लोगोंने निषेध कर दिया इसलिए दीवानी दावा भी इनके विरुद्ध मैंने दायर कर रक्खा है।

व०—यह फरियादी तुमने क्यों कर दायर की है ?

वा०—ता० २२-१ २५ को जैनगजटमें उक्त चारों आरोपियोंने मेरे विरुद्ध एक लेख प्रकाशित किया है, उक्त लेखको अङ्गरेजी अनुवाद सहित मैं हाजिर करता हूं। इसके सिवा अन्य अङ्कोंमें भी इन्होंने मेरे विषयमें अनेक भ्रान्त बातें छपाई हैं।

प्र—लेखका अंग्रेजी अनुवाद ठीक है न?

बा०—हां! वह बिल्कुल ठीक है। परन्तु उसमें जो मेरे विषयमें बातें लिखी हैं, सर्वथा मिथ्या हैं। जैसे कि—

(१) मैंने कभी अपने घर किसी भी अस्पृश्यको नौकर नहीं रखा।

(२) मैंने कभी किसी उच्च जातीय स्त्रीको अपने घरसे नहीं निकाला।

(३) मेरी माने मुझे छोड़ दिया है यह बात भी ठीक नहीं है।

(४) मेरे पिताने कुंथलगिरि क्षेत्र (निज़ाम स्टेट) पर एक मन्दिर बनवाया है, मेरे पिताकी मृत्युके बादसे उसकी देखभाल पंच करते हैं जिसको कि करीब १० वर्षका अर्सा होता है। मैंने उस मन्दिरको बेचने-की कभी कोशिश नहीं की।

(५) करावाका अर्थ रखेली औरत रखना है, धरेजाका अर्थ बिना किसी विधिविधानके पुनर्विवाह करना है। मैंने इन दोनों बातोंकी कभी पुष्टि नहीं की है।

(६) मैंने यह कभी उपदेश नहीं दिया कि ब्रह्मचर्य पालना अनावश्यक है।

इन मिथ्या बातोंके प्रकाशित हो जानेसे जैन-

समाजमें मेरा यश नष्ट हो गया, मैं नीचा गिना जाने लगा।

वकील—इस लेखके प्रकाशित हो जानेके बाद क्या तुमने आरोपियोंको नोटिस दिया था?

बालचन्द—हां। मैंने समस्त आरोपियोंको इस लेखके बदले माफी मांग लेने और कुछ रुपये पबलिक काममें खर्च करनेको देनेके लिये लिखा था परन्तु वैसा करना उन्होंने स्वीकार नहीं किया।

व०—आरोपियोंके पाससे जो उत्तर आये वे क्या तुम्हारे पास हैं और उन्हें यहां लाये हो?

बाल—हां। मैं उन उत्तरोंको लाया हूं और कोर्टमें पेश करता हूं।

व०—गजटके डिक्लेरेशनकी कापी भी क्या लाये हो?

बा०—हां। मैं लाया हूं परन्तु उसमें नं० ३ के आरोपी हो प्रकाशक और मुद्रक हैं। जैनगजटके अंकों पर जो छपा है उससे तो नं० ३के आरोपी प्रकाशक और नं० ४ के मुद्रक मालूम होते हैं। नं० १के संपादक और २के सहायक संपादक हैं इसलिये मैंने उक्त चारोंको आसामी बनाया है।

व०—तुम्हें मालूम है कि—उक्त आपत्तिजनक लेखका लेखक कौन है?

बा०—नं० ४के आरोपी पं० श्रीलालजी, उन्होंने उक्त लेख लिख कर छपने भेजा था।

फरियादीके इस प्रकार मौखिक बातों द्वारा मुक॰ द्दमेकी नीव रखी जाने पर आरोपियोंके वकील श्री युत विनायक अप्पाराव बी॰ ए॰ एल॰ एल॰ बी वकील ने कोर्ट से प्रार्थना को कि जिरह करनेके लिये कलका दिन नियत किया जाय और आज समस्त गवाहोंके मौखिक बयान ही सिर्फ ले लिये जाय। मजिष्ट्रेट साहबने उक्त प्रार्थना स्वीकार कर ली और ता॰ ८-६-२५को फरियादीके गवाह सेठ ताराचंद नवलचंद जव्हेरी, बालानाना चौगला, यशवंत मंगप्पा वकील और बसवंतप्पा भरमप्पा, इन चार गवाहोंकी गवाही लेकर कचहरी समय पूरा हो जानेसे दूसरे दिनके लिये उठ गई।

बालचंद कोठारीसे की गई जिरह।

ता॰ ११ जून १९२५ को जब कि कचहरी खुली तो फरियादीने मजिष्ट्रेटसाहबकी आज्ञानुसार बाला-नाना चौगलाने जो पत्र श्रीयुत पं॰ मक्खनलालजीका लिखा हुआ बतला कर पेश किया था उसका अंग्रेजी अनुवाद पेश करते हुये कहा कि यह अनुवाद शुद्ध है, इसे मैं पेश करता हूं। इसके बाद जब कि फरियादी के कुल गवाह गुजर चुके, आरोपियोंके वकीलने नोचे

लिखो भांति कोठारीसे जिरह की और फरियादीने उत्तर दिया।

म०—तुमने बो० ए० परीक्षा कब पासकी थी ?

कोठारी—१९१२के डिसम्बर मासमें।

म०—तुम पूना कबसे रहते हो ? और पुस्तक प्रकाशन कब किया था ?

फ०—मैं पूनामें ९-१० वर्षसे रहता हूं और बी० ए० हो जानेके बाद पुस्तक प्रकाशनका कार्य किया था ?

म०—तुमने जागरूक कब निकालना प्रारम्भ किया था ? और कब बन्द कर दिया ?

फ०—सन् १९१७से प्रारम्भ किया था और १९२३के जनमें बन्द कर दिया।

म०—तुमने जागरूक क्यों बन्द कर दिया ?

फ०—वह ब्राह्मणेतर पार्टीकी तरफसे प्रकाशित होता था, जब उस पार्टीमें मेरा मतभेद हो गया तो मैंने वह पार्टी छोड दी फलतः अखबार भी बन्द कर दिया।

म०—लट्ठे और चौगले भी उस पार्टीमें थे न ?

फ०—हां ! वे सन् १९२४में कुछ महीने तक थे।

म०—तुम बावी (फरियादीके गांवका नाम है) में कब थे और वहां आजकल जाते हो या नहीं ?

फ—मैं सन् १९२२ और २३ में बहुत दिनों तक

बारडोलीमें था और यों तो हरसाल जाता रहता हूं तथा महीना पन्द्रह दिन रह कर आता हूं।

म०—तुम्हारी मा अलहदी रसोई बनाती हैं न ?

बा०—हां। जब मैं बारडोलीमें नहीं रहता, तब वह अलहदी रसोई बनाती है क्योंकि मेरे छोटे भाई को बहूसे उसकी पटती नहीं है।

म०—तुमने अपने गांवमें अस्पृश्य बोर्डिङ्ग कबसे खोल रक्खा है ? और उसका खर्चा कैसे चलता है ?

बा०—मैंने उसे सन् १८२२ के मई माससे चालू कर रक्खा है। खर्चके लिये मैंने बहुतसा रुपया स्वयं दिया है और लोगोंसे सहायता भी ली है। प्रारम्भमें तो मैं स्वयं मालिक था परन्तु सन् १८२४ से उसे ट्रष्टियोंके सुपुर्द कर दिया है, ट्रष्टियोंमें मैं स्वयं, डा० मनु और मि० के० सी० शाह हैं। मन्त्री मैं हूं।

म०—बोर्डिङ्ग किस जगह है ?

बा०—बोर्डिङ्ग मेरे बगीचेमें हैं। जो कि मेरे घरसे करीब पांच फर्लाङ्गकी दूरी पर है।

म०—उस बोर्डिङ्गमें तुम पढ़ाते हो न ?

बा०—नहीं, मैं उसमें नहीं पढ़ाता। लड़के वहां रहते हैं और गांवमें एक स्कूलमें पढ़ने जाते हैं।

म०—तुम बोर्डिङ्गमें जाते हो न ? और लड़कों को छूते हो न ?

बा०—हाँ ! मैं सर्वदा बोर्डिङ्गमें जाता हूं और मैं लड़कोंको छूता हूं।

म०—तुम उन अस्पृश्योंको छूकर नहाते हो न ?

बा०—नहीं, मैं उन्हें छूकर कभी नहानेकी आवश्यकता नहीं समझता। मैं तो अपने नहानेके समय ही नहाता हूं।

म०—लड़कोंको छूकर नहीं नहानेसे तुम्हारी माता कुछ निषेध नहीं करतीं ? और क्या इसे वे पसन्द करती हैं ?

बा०—नहीं, इस विषयमें मेरी और माताकी कभी कुछ बोल चाल नहीं हुई। परन्तु मेरे ख्यालसे वे मेरी इस हरकतके विरुद्ध नहीं हैं।

म०—बोर्डिङ्ग खोलनेकी बात तुम्हारी माको मालुम है न ?

बा०—हाँ ! उन्हें मालूम है। उन्होंने बोर्डिङ्ग देखा भी है परन्तु मेरे ख्यालसे वह कभी बोर्डिङ्गके भीतर नहीं गई हैं। वे पब्लिक बातोंमें कुछ दखल भी नहीं रखतीं।

म०—तुम्हारे बोर्डिङ्गमें भीतर जानेकी बात तुम्हारी माको मालुम है न ?

बा०—हाँ ! वे जानती है कि मैं हमेशा बोर्डिङ्गमें जाया करता हूं।

म०—अस्पृश्यों के साथ खान पान करनेके विषय में तुम्हारा क्या मत है ? और है तो तुमने कभी खाया पीया है या नहीं ?

बा०—मेरे विचार तो उन अस्पृश्योंके साथ खान पान करनेके हैं

परन्तु आज तक कभी पब्लिक अथवा प्राइवेट तौरसे उनके साथ खाया पीया नहीं है क्योंकि जब तक मेरी जातिके लोग वैसा करनेके लिये तयार न हो जाय, तब तक मै खान पान करना उचित नहीं समझता ।

म०—अस्पृश्योंको घरके कामों पर नौकर रखनेमें तुम्हारा क्या मत है ?

बा०—मेरे मतसे अस्पृश्योंको अपने घरोंकी नौकरी पर अवश्य बहाल करना चाहिये परन्तु आज तक मैंने उन्हें अपने यहां बहाल नहीं किया है कारण जब तक जाति वैसा करनेको तयार न हो जाय, तब तक मै उनको नौकर रखना अनुचित समझता हूं ।

म०—जैनधर्मानुसार अस्पृश्यता निवारण उचित है या अनुचित ?

बा०—जैनियोंमें स्पृश्य अस्पृश्यका भेद हो नहीं

है इसलिये मैंने इस प्रश्न पर कुछ विचार नहीं किया है।

म०—जैन ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणेतर किस पार्टी में है?

बा०—ब्राह्मणेतर पार्टीमें, यह राजनैतिक पार्टी है और जैन लोग उसके मेंबर है।

म०—तुमने अखबारोंमें अस्पृश्योंके साथ खानेको अपनी स्वीकारता दी है?

बा०—हां मैंने यह छपाया है कि मैं अस्पृश्य के साथ खान पान करनेको तयार हू।

म०—बेलगाममें जो अस्पृश्योंके साथ सहभोजन हुआ था, उसकी क्या खबर है? और उसमें कौन २ थे।

बा०—हां! मुझे खबर है। उसमें जालिया आदि अस्पृश्योंके साथ प्रोफेसर लट्ठे और चौगुलेने भी भोजन किया था जैसा कि ता० १२-६-२१के जागरूकमें छपा है।

म०—तुम जैनसमाजके नेता हो न?

बा०—मै जैनसमाजका एक कार्यकर्ता हू, मै नेता हू या नहीं यह जैनसमाज कहेगा।

म०—जागरूकमें लट्ठेके अस्पृश्योंके साथ भोजन

करनेके समाचार प्रकाशित कर देनेसे ही क्या उन्होंने जागरूककी कमेटीसे स्तीफा नहीं दिया ?

बा०—मि० लट्ठेने मुझे अपने अस्पृश्योंके साथ न खानेके समाचार तो छपने भेजे थे परन्तु इस कारण उन्होंने स्तीफा नहीं दिया। स्तीफा देनेमें कारण तो राजनैतिक मत विभिन्नता थी।

म०—ता० १३-७-२१के जागरूक पृष्ठ ४ पर जो बिलगामके सहभोजन पर एक लेख छपा है वह तुम्हारा है न ?

बा०—नहीं, वह लेख मेरा तो नहीं है।

म०—ता० १६-७-२१के जागरूक पृष्ठ ३ पर जो विचार लिखे गये हैं वे तुम्हारे हैं न ?

बा०—नहीं वे सब विचार मेरे नहीं हैं, मैं उस पत्रका संपादक था और वह पत्र ब्राह्मणेतर पार्टीका था इसलिये उसमें विचार प्रगट होते थे वे पार्टीके थे न कि मेरे निजी विचार।

म०—ता० ३०-८-२१के जागरूक पृष्ठ ३ पर अस्पृश्योंके साथ सहभोजन करनेके लिये तयार पुरुषोंकी जो नामावली छपी है उसमें तुम्हारा नाम भी है न ?

बा०—हां, अस्पृश्योंके साथ खान पान करनेके लिये तयार पुरुषोंमें मेरा नाम भी छपा है।

म०—महासभाका क्या उद्देश्य है ?

बा०—महासभाका उद्देश्य सुधार करना और जैनधर्मके साथ शिक्षाका प्रचार करना आदि है।

म०—जैनधर्मका वर्णन किन किन शास्त्रोंमें है ?

बा०—सर्वार्थसिद्धि, गोमट्टसारजी प्रभृतिमें है।

म०—जिनसेनस्वामीकृत महापुराणमें भी जैनधर्मका वर्णन है न ?

बा०—हां, परन्तु वह महाभारत आदिके समान कल्पित कथाग्रन्थ है।

म०—सर्वार्थसिद्धि, गोमट्टसारजी आदिकी कथा उसमें है या नहीं ?

बा०—हां ! उन ग्रंथोंका सार भी उसमें पाया जाता है।

म०—तुमने महापुराण पढ़ा है ?

बा०—सम्पूर्ण नहीं पढ़ा है।

म०—तुम महासभाके मेंबर कब हुये ? और खंडवाल अधिवेशनके सिवा अन्य अधिवेशनमें भी कभी शामिल हुये थे ?

बा०—मैं दिसम्बर १९२४में महासभाका मेंबर बना। मैं महासभाकी अन्य किसी मीटिंगमें हाजिर नहीं हुआ। हां ! दर्शक रूपमें कभी गया हूंगा तो याद नहीं।

म०—विधवाविवाह किसे कहते हैं और वह जैनसमाजमें होता है या नहीं ?

बा०—धर्मशास्त्रके अनुसार विधवाके साथ उत्सवपूर्वक विवाह करनेको विधवाविवाह कहते हैं और वह जैनसमाजमें होता है।

म०—जैनियोंमें पाट होता है न ?

बा०—नहीं, मेरी समझसे जैनोंमें पाट नहीं होता।

म०—तुम किस जातिके हो ? उसमें विधवाविवाह होता है या नहीं ?

बा०—मेरी जाति हूमड है, उसमें विधवाविवाह नहीं होता। मेरा विश्वास है कि चतुर्थ, पंचम तथा अन्य जातियोंमें विधवाविवाह होता है।

म०—तुम विधवाविवाह करनेके पक्षमें हो ?

बा०—हां। जैसा विधिविधान पहिले विवाहमें होता है वैसा ही यदि स्त्रीके दूसरे विवाहमें किया जाय तो उस विधवाविवाहका मैं समर्थक हूं। मैंने विधवाविवाहका बिना किसी शर्तके बहुत बार उपदेश दिया है क्योंकि उसके विरोधीगण हर प्रकारके विधवाविवाहका निषेध करते हैं।

म०—जैनमित्र किस सभाका मुखपत्र है ?

भा०—अंबई प्रांतिक दि० जैन सभाका।

म०—दो तीन साल पहिले लखनौमें जो महा-सभा हुई थी उसके विषयमें कुछ जानते हो? और उसमें पास हुये प्रस्तावोंकी खबर है?

बा०—नहीं, मैं उस अधिवेशनके विषयमें कुछ नहीं जानता और न स्पृश्यता अस्पृश्यताके विषय में पास हुये प्रस्तावको ही कुछ जानता हूं।

म०—महासभाकी कार्रवाई जैनपत्रोंमें छपती है न?

बा०—हां! जैनमित्र आदि पत्रोंमें छपती है।

म०—माघ सुदी १२ वीरसं° २४४८की जो यह प्रस्ताव लखनौमें पास हुआ वह यह ही है न? (यहां जैनमित्रका अंक दिखलाया)

बा०—हां! हो सकता है।

म०—अपने पिताजीके मरने बाद तुमने कितने वर्ष तक मंदिरका खर्च दिया?

बा०—केवल एक वर्ष तक।

म०—तुम कुन्थलगिरि गये हो?

बा०—हां, अनेक बार गया हूं।

म०—कुन्थलगिरिके मन्दिर पर ध्वजा कौन चढाता है?

बा०—वहांके पंच।

म०—आजकल कौन चढ़ाता है ?

बा०—मुझे नहीं मालूम कि आजकल कौन चढ़ाता है ।

म०—ध्वजा चढ़ाना सम्मान की बात है न ?

बा०—हां । कुछ लोगोंका ऐसा ख्याल है । मैं भी ऐसा ही समझता हूं ।

म०—कुंथलगिरि क्षेत्रके कितने पंच हैं, कौन २ हैं ? और उन्हें कौन नियत करता है ?

बा०—उस क्षेत्रके मुख्यपञ्च कस्तूरचन्द परंडाकर हैं । परंतु सब पंच कितने हैं और कौन २ हैं उन्हें कौन नियत करता है यह मैं नहीं जानता ।

म०—तुमने ध्वजा चढ़ाना क्यों छोड़ दिया है ?

बा०—इसलिये कि सब तो मन्दिर बनवा नहीं सका अतः वे लोग इसे ही चाहते हैं ।

म०—क्या तुमने अपना हक पञ्चोंको दे दिया है ?

बा०—मन्दिर सम्बन्धी समस्त हक पञ्चोंके सुपुर्द कर दिया है परन्तु पञ्चोंके नामोंका उसमें उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि वहां वैसी पद्धति नहीं है ।

म०—तुमने पञ्चोंको मन्दिरका खर्च दिया है ?

बा०—हां ! जब उन्होंने एक या दो वर्ष तक

मन्दिरका खर्च मांगा था, मैंने उन्हें दिया है।

म०—तुमने पञ्चोंको क्यों हक दे दिया?

बा०—पञ्चोंने मुझसे उनको मांगा और मैंने उन्हें दे दिया।

म०—शेठ भगवानदास शोभारामजी पूनाका जानते हो न? और आजकल वे ही ध्वजा चढ़ाते हैं न?

बा०—हां। मै उन्हें पहचानता हूं। परन्तु यह नहीं मालूम कि वे ध्वजा चढ़ाते हैं या नहीं।

म०—शेठ गङ्गाराम लालाचन्दजी बारामती वासी को जानते हो?

बा०—मैं उन्हें नामसे तो नहीं जानता, शायद चेहरा देख कर पहचान सक्ता हूं।

म०—शोलापुरवासी सेठ सखाराम देवचन्दजीको तथा मोतीचन्द कुन्थलगिरिको जानते हो?

बा०—हां! मै दोनोंको जानता हूं।

म०—तुम कुंथलगिरि कबसे नहीं गये?

बा०—कोई ६-७ सालसे।

म०—तुमने मन्दिर बेचने बाबत किसीसे कहा था?

बा०—नहीं, किसीसे नहीं कहा।

म०—धरेजा और कराबाका अर्थ किसी कोष में बतला सक्ते हो?

बा०—हां। रेव बंटसकी डिक्सनरीमें वह दिया हुआ है। परन्तु उसमें धरेजाकी जगह धरोचा और करावाकी जगह कराव शब्द दिया है। परन्तु वे सब शब्द एकसे ही हैं।

म०—धरेजा करावा और पाट तीनों एक ही हैं न?

बा०—मैंने अभी तक इस पर अपना कुछ विचार स्थिर नहीं किया है।

म०—नातिपूतेकी जैनसभामें गये थे?

बा०—हां! मैं कोई आध घंटेके करीब दर्शकके रूपमें गया था।

म०—उस समय वहां (नातिपूतेमें) दि० जैन शास्त्रिपरिषद्का अधिवेशन हुआ था या नहीं?

बा०—मुझे नहीं मालूम।

म०—तुमने विधवाविवाहके ऊपर कोई वहां व्याख्यान दिया था और उससे वहां झगड़ा हो गया था?

बा०—मेरे व्याख्यानका मुख्य विषय विधवा विवाह न था।

परन्तु हां उस समय मैंने विधवाविवाहकी पुष्टि की थी।

वहां जो झगड़ा हुआ, वह इस कारण हुआ कि—जिस समय मैंने विधवाओंके पुनर्विवाह कर देनेकी बात कही तो समर्थनमें जवान लड़कियोंके साथ बुढ्ढोंके विवाहकी निन्दा की। उसी समय मेरी बिना इच्छाके मेरा हाथ एक ऐसे आदमीकी तरफ चला गया जिसने बुढ़ापेमें अपना विवाह किया था। वह इस पर चिल्ला उठा कि—मैं उस पर आक्षेप कर रहा हूं।

म०—उस समय वहां पुलिस आ गई थी न?

बा०—मुझे नहीं मालूम।

म०—अखबारोंमें इसके लिये तुम्हें दोषी बत लाया है यह जानते हो न?

बा०—मुझे नहीं मालूम।

म०—सन् १९२० के अप्रेल मासमें जो शोला पुर प्रान्तिक कांग्रेस हुई उसमें बिना टिकटके ही निम्न श्रेणीके लोगोंको घुसानेका प्रयत्न तुमने किया था न?

बा०—नहीं।

म०—केसरीके इन (यहां केसरीके वे अङ्क पढ कर कोठारीको सुनाये गए, जिनमें बहुत ही कटु भाषामें उस पर शोलापुर कांग्रेसमें दङ्गा करनेका आक्षेप लगाया गया था) अङ्कोंमें जो कुछ लिखा है उसे तुमने पहिले पढा है न?

बा०—हाँ। पढ़ा होगा। परन्तु इसमें जो यह लिखा है कि मैं खास तौरसे वहां (शोलापुरमें) झगड़ा करने और कांग्रेस तोडने गया था यह शायद नहीं है।

म०—कामत (एक दक्षिणी गरम दलके आदमी का नाम है) ने तुम्हें वहां भेजा था न?

बा०—नहीं, मैं तो वहां नरमदली ब्राह्मणेतर लीडरोंमें शामिल हो कर गया था और भी बहुतसे लोग गये थे। ता० ६-४-२० के केशरीमें जो दूसरे कालम पर नरमदलके वहां उपस्थित लोगों पर आक्षेप किये गये हैं वह सब मिथ्या है।

म०—केशरीके संपादकके विरुद्ध तुमने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की कि—तुम्हारे विषयमें उसने ऐसे आक्षेप छापे हैं?

बा०—उन सब आक्षेपोंके उत्तर ब्राह्मणेतर नरमदली पत्रोंने दे दिये थे इसलिये मैंने कोई कानूनी कार्रवाही नहीं की।

म०—तुमने महासभाको सभासदी फीस दी है?

बा०—हां। मैंने प्रतिनिधि फीस एक रुपया दिया था जिसके बदलेमें मुझे एक टिकट मिली थी।

म०—तुम महासभा अधिवेशनमें कब शामिल हुए थे?

बा०—ता० २३—२४ दिसम्बरको तो पण्डालमें

और ता० २५ को वाड़े (बड़े घर) में महासभाकी बैठक हुई उसमें शामिल हुआ था।

म०—ता० २५ को पण्डालमें महासभा क्यों नहीं हुई ?

बा०—ता० २५ को उस जगह रत्नत्रय संवर्द्धक सभा हुई थी।

म०—नेमिसागरजी वर्णीके हस्ताक्षरों से ता० २६-१२-२४ को जो सूचना प्रकाशित हुई थी वह तुमने पढ़ी है ?

बा०—हां ! मुझे करीब ४ दिन बाद बेलगाममें मालुम पड़ी थी।

म०—तुमने महासभाकी सहायताका कुछ रुपया अपने पास मंगानेको सूचना निकाली थी न ?

बा०—हां ! जनवरी १९२५ के पहिले सप्ताहमें मैंने अखबारोंमें छपाया था कि—मैं महासभाका महामन्त्री चुना गया हूं इसलिये रुपये मेरे पास भेजने चाहिये।

म०—तुमने महासभामें कुछ चन्दा दिया है ?

बा०—नहीं।

म०—तुम्हारे पास महासभाकी सहायताका कितना रुपया आया।

बा०—बहुत थोड़ा, करीब २५ अथवा ३० रुपया सा भी जनवरीके प्रारम्भमें ही।

म०—पुराने महामन्त्रोंके पास कितने रुपये हैं ?

बा०—मुझे नहीं मालूम।

म०—अस्पृश्य बोर्डिङ्गके लिये चन्दा लेना कबसे प्रारम्भ किया है ?

बा०—सन १८२३ के प्रारम्भसे।

म०—अस्पृश्योंको स्पर्श करना और उनके साथ खाना पीना जैनशास्त्रोंके अनुसार अनुचित है न ?

बा०—नहीं, जैनशास्त्रोंके अनुसार अस्पृश्यों को छूना और उनके साथ खान पान करना विरुद्ध नहीं है।

म०—विधवाविवाहके विषयमें जैनशास्त्रोंका क्या मत है।

बा०—जैनशास्त्र विधवाविवाहके विरुद्ध नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं, वे इसकी पुष्टि ही करते हैं, निषेध नहीं।

म०—जैनलोग अस्पृश्यता मानते हैं या नहीं ?

बा०—अधिक संख्यक लोग उसे मानते हैं और वे अस्पृश्योंके साथ खान पान करनेके विरुद्ध पक्षमें हैं।

म०—जैन लोग विधवाविवाहके पक्षमें हैं या नहीं ?

बा०—हां ! दक्षिणमें अधिक लोग उसको पक्षमें हैं।

म०—अस्पृश्योंके साथ खान पान करनेवालेको जैनलोग नीच समझेंगे न ?

बा०—हां। यद्यपि जैनशास्त्र अस्पृश्योंके साथ खानपान करनेके पक्ष विपक्षमें नहीं क्योंकि जैनधर्म अस्पृश्यताको मानता ही नहीं तो भी यदि मैं अस्पृश्योंके साथ खान पान करने लगूं तो जैन लोग नीची निगाहसे मुझे देखने लगेंगे।

(फिर भी जिरह होगी)

बेलगाम	}	आर० एन० किनो
११-६-२५		फर्स्ट क्लास आ० मजिस्ट्रेट

कचहरीका समय पूर्ण हो जानेसे ता० ११-६-२५को फरियादीसे जिरह करना समाप्त न हुआ इस लिये ता० १२ ६ २५को फिर जिरह प्रारंभ हुई।

म०—तुम सन् १९१८में पंढरपुर गये थे और वहांके सर्वगोड महार भंगीको जानते हो ?

बा०—हां। मैं उसे जानता हूं।

म०—शिवदास धोंडीके भंगीको जानते हो ?

बा०—नहीं, उसे नहीं जानता।

म०—पंढरपुरमें व्याख्यान देते समय तुमने हिंदु

मन्दिरोंमें अस्पृश्योंको घुसने देनेकी बात कही थी न और उन्हें जबरदस्ती घुसानेका प्रयत्न भी किया था न? जिसके कारण वहां झगड़ा हो गया था।

बा०—मैंने अपने व्याख्यानमें हिंदुमन्दिरोंमें अस्पृश्योंको घुसने देनेकी बात तो कही थी परन्तु जबर्दस्ती उन्हें घुसानेका कोई प्रयत्न नहीं किया और न वहां कोई दङ्गा ही हुआ।

म०—तुमने अपने प्रार्थनापत्रमें जो यह लिखा है कि मेरी माने मुझे पृथक् कर दिया है यह जैन-गजटमें आक्षेप किया गया है सो क्या यह ठीक लिखा है?

बा०—नहीं, उसकी जगह यह होना चाहिये कि—मेरी मा मुझसे अलहदी रहती है।

म०—शीलव्रतका अर्थ क्या है?

बा०—ब्रह्मचर्य।

म०—किस शास्त्रके आधारसे ऐसा कहते हो?

बा०—तत्त्वार्थसूत्रके आधारसे।

म०—तत्त्वार्थसूत्रजीके रचयिताका नाम क्या है?

बा०—मुझे याद नहीं।

म०—शीलव्रतका अर्थ 'स्वभाव वा सामान्य चरित्र' नहीं होता?

बा०—शील शब्दका अर्थ चलती भाषामें यह होता है परन्तु संयुक्त शब्द शीलव्रत जैनशास्त्रोंमें ब्रह्मचर्य अर्थ में ही प्रयुक्त होता है।

म०—तत्त्वार्थसूत्रको यहां लाये हो?

बा०—नहीं।

म०—'हाथ साफ करना' वाक्यका अर्थ कब्जा वा अधिकार करना नहीं है?

बा०—नहीं, उसका अर्थ सिर्फ कब्जा करना ही नहीं बल्कि बर्बाद करना है।

म०—'सुतरां' शब्दका अर्थ क्या है?

बा०—'यही सिर्फ नहीं' किन्तु' यह है।

म०—पंढरपुरमें सर्वगौड और शिवदास भंगियों के साथ तुमने नहीं खाया?

बा०—नहीं, कभी नहीं।

म०—जैनधर्म वर्णाश्रम मानता है न?

बा०—नहीं मेरी समझमें जैनधर्म वर्णाश्रम नहीं मानता।

म०—तुममें और आरोपियोंमें कुछ शत्रुता है?

बा०—नहीं, मेरी उनके साथ कोई शत्रुता नहीं है, मैं उन्हें साक्षात् पहचानता तक नहीं। मैंने इन लोगोंको सिर्फ कचहरीमें ही देखा है।

प्र०—तुमने नं० २-३ के आरोपियोंके विरुद्ध दीवानी दावा फरवरी माससे दायर कर रखा है न?

उ०—हां।

इस प्रकार गजटके संचालकोंकी तरफमें जिरह हो जानेके बाद फरियादीके वकीलने कुछ बयानोंको स्पष्ट करानेके अभिप्रायसे प्रश्नों द्वारा नीचे लिखा बयान और कोठारीसे दिलवाया

फिर जिरह।

सब साधारणका मत बनानेके लिये मैंने प्रकाशित किया था, कि मैं अछूतोंके साथ भोजन करनेको तैयार हूं।

संपादकको किसी दलका प्रतिनिधि हो कर, उस दलका समर्थन करना पड़ता है, कभी कभी दलके मतके साथ उसका मतभेद होता है। उदाहरणके लिये २ नं० प्रतिवादी जैनगजटके सम्पादक हो कर यद्यपि जैनधर्मकी पुस्तकें छापनेको बुरा समझते हैं, तो भी उन्होंने जैनधर्मकी पुस्तक छपाई है और वे छापनेके पक्षपाती हैं।

पाटमें किसी प्रकारका धर्मविधान नहीं देखा जाता। परन्तु जिस विधवाविवाहका मैं समर्थन करता हूं, वह नियमित विवाह है। गत ८-१० वर्षोंमें मैंने अन्ततः ५०० आम सभाएँ की थीं, दो-तीन

उदाहरणोंके सिवा और कहीं भी दङ्गा-हङ्गामह नहीं हुआ।

केशरी गरम दल (Extremist Parti)-का है। झगड़ेके कारण महासभाके लिये मैंने चन्दा वसूल करनेकी कोशिश नहीं की। तत्कालीन जन-रल सेक्रेटरी मि० कावडा द्वारा मैं प्रथम दो दिनके लिए महासभाका मेंबर बनाया गया था ये शब्द मेरे द्वारा छूट (Omitted) गये है। विषयनिर्वाचनी समितिका झगड़ा मिटानेके लिए महासभा द्वारा सर्व-समितिसे नियुक्त पांच विचारकोंमेंसे मैं भी एक था।

बेलगाम	}	(द०) आर० एन० किर्यो०
१२-६-२५		आ० मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास०

सेठ ताराचन्द वल्द नवलचन्दजी जौंहरीके बयान।

—:*:—

मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूं,

मेरा नाम	ताराचन्द है।
पिताका नाम	नवलचन्द झवेरी।

धर्म और जाति — जैन।

उम्र — २७ वर्ष।

व्यवसाय — झवेरी।

निवासस्थान — बम्बई जिला

फरियादीका वकील—तुम्हारे कुटुम्बने कितना दान दिया है?

ताराचन्दजी—कोई १०-१२ लाख रुपये।

वकील—उस रुपयेका जो ट्रष्ट है उसका सभापति कौन है?

ता०—उसका मैं ही सभापति हूं।

व०—इन्कमटैक्स कितना देते हो?

ता०—कोई आठ हजार रुपये।

व०—तुम महासभाके मेंबर और सभापति हो न?

ता०—हां।

व०—फरियादीकी दक्षिणमें कैसी इज्जत है?

ता०—उसकी अच्छी इज्जत है।

व०—क्या फरियादी भा० जैनसमाजका महामन्त्री है?

ता०—हां। वह दिगम्बरसे महासभाका महामन्त्री है।

व०—खंडवाल महासभामें जैनगजट इन आरोपियोंसे ले लेनेका प्रस्ताव पास हुआ था न?

ता०—हां।

व०—आरोपियोंसे जान पहचान है?

ता०—मैं २-३-४ नं०के आरोपियोंको तो जानता हूं परन्तु नं० १ को साक्षात् नहीं जानता। ये तीनों क्रमशः सम्पादक, प्रकाशक और मुद्रक हैं।

व०—ओसवाल महासभामें इनकी जगह दूसरे जो कार्यकर्त्ता चुने गये हैं उनको इन्होंने अपना चार्ज दिया?

ता०—नहीं।

व०—जैनगजट तुम पढ़ते हो?

ता०—हां। मैं उसे सदा पढ़ता हूं।

व०—तुमने 'बालचन्द रामचन्द्र कोठारी कौन है' इस लेखको पढ़ा था? और उसके प्रकाशित हो जानेसे कोठारीको लोगोंने क्या समझा?

ता०—उक्त लेखको मैंने पढ़ा था। उसके कारण बहुतसे लोगोंने कोठारीको खराब समझा अर्थात् लोगोंकी दृष्टिमें वह नीचा हो गया।

व०—क्या उसके विषयमें तुमसे किसीने कुछ पूछा था?

ता०—हां। लोग मुझसे शिकायत करने लगे कि तुमने ऐसा आदमी महामन्त्री महासभाका क्यों बना दिया?

मैंने उत्तर दिया कि उक्त लेखकी कुल बातें असत्य है?

—:*:—

इसके बाद दूसरे दिन ता० ८-६-२५ को आरोपियोंके वकीलने जिरह करना प्रारंभ किया और उनका जो उत्तर मिला वह नीचे लिखा जाता है—

मजूमदार—तुम महासभाके मेंबर कबसे हो?

ताराचन्दजी—बहुत बर्षोंसे।

मजूमदार—महासभाके मेंबर कितने प्रकारके होते हैं? और उनमें तुम किस प्रकारके हो।

ता०—महासभाके मेंबर कितने तरहके होते हैं यह तो मैं नहीं जानता परन्तु हां! मैं समझता हूं, मैं साधारण मेंबर हूं।

म०—तुमने सभासदी फीस क्या दी है?

ता०—यह मुझे ज्ञात नहीं। प्रतिवर्ष बी॰पी॰से सभासदी फीस वसूल करने लिए मेरे पास गजट आता है।

म०—जैनगजटका मूल्य क्या है? और वह क्या बिना मूल्य भी भेजा जाता है।

ता०—मुझे नहीं मालूम कि जैनगजटका मूल्य क्या है? और न यह मालूम कि वह किसीको बिना मूल्य भेजा जाता है या नहीं।

म०—महासभाकी नियमावली है न!

ता०—हां ! है।

म०—तुम महासभामें कितने वर्षोंसे जाते हो ?

ता०—गत दो वर्षों से तो लगातार जा रहा हूं और पहिले अपने काकाके साथ गया होऊंगा।

म०—महासभाका उद्देश्य क्या है ?

ता०—पहिला उद्देश्य जैनसमाजकी उन्नति करना दूसरा जैनधर्मकी रक्षा करना तथा समाजमेंसे कुरीतियां उठाना है।

म०—सभासद् बननेके लिए महासभामें फार्म भरना होता है न ?

ता०—मुझे नहीं मालूम।

म०—तुम महासभाके मेंबर हो न ?

ता०—नहीं, मेरा फर्म (दुकान) आज बहुत वर्षों से मेंबर है और सभासदी फीस गुमास्ते लोग दे दिया करते हैं।

म०—दुकान महासभाकी सभासद् हो सकी है ?

ता०—मुझे मालूम नहीं।

म०—सभासदोंकी लिष्टमें किसका नाम है ?

ता०—मानिकचन्द पानाचन्दका। वे दोनों भाई थे। फार्म (दुकान) का नाम मानिकचन्द पानाचन्द है।

मैं उसका मालिक हूं। मेरा नाम सभासदोंमें नहीं है।

म०—महासभाकी प्रबन्धकारिणीका सदस्य महासभाका सभासद हो हो सकता है यह मालूम है?

ता०—मैं इस विषयमें नहीं जानता।

म०—तुम शेढवाल अधिवेशनके पहिले प्रबन्धकारिणोके मेंबर थे?

ता०—नहीं।

म०—तुम महासभाके सभापति कब चुने गये?

ता०—शेढवालमें।

म०—ता० २३ को महासभाका सभापति कौन था?

ता०—नेमिसागरजी वर्णी।

म०—वे शिक्षित और अनेक सभाओंके सभापतित्व कर चुकनेवाले पुरुष हैं न?

ता०—यह मैं नहीं जानता।

म०—ता० २६ को नेमिसागरजीने झगड़ेके कारण महासभाके बन्द होनेकी सूचना छपाई थी उसको मालूम है?

ता०—नहीं, मुझे नहीं मालूम। परन्तु हां। वह पीछेसे अखबारोंमें छपी देखी थी

म०—मेंनेजिङ्ग कमेटीके चुनावमें झगड़ा हुआ था न?

ता०—नहीं।

म०—फरियादीने दीवानी दावा इन आरोपियोंके ऊपर दायर कर रखा है न?

ता०—हां। फरियादीने महामन्त्रीकी हैसियतसे चार्ज न देनेके कारण इन पर दायर कर रखा है।

म०—आरोपी लोगोंका जैनगजटसे क्या सम्बंध है?

ता०—नं० २ सहायक सम्पादक, नं० ३ प्रकाशक और नं० ४ मुद्रक है। नं० १ तो सम्पादक हैं।

म०—नं० १-२ ये आनरेरी (अवैतनिक) कार्यकर्ता है न?

ता०—हां, कहा तो ऐसा ही जाता है।

म०—संपादक स्तीफा देनेके बाद क्या संपादक बने रहते हैं?

ता०—मैं नहीं कह सका।

म०—महासभाकी नियमावली है न?

ता०—हां। है एक कापी उसकी मेरे पास भी है, उसमें दो या तीन साल पहले निश्चित किये गये नियम छपे हैं।

म०—महासभाकी यही नियमावली है न?

(यहां महासभाकी छपी नियमावली दिखलाई गई)

ता०—मेरे पास जो नियमावली है उससे मिलान कर यह बात कही जा सकती है कि यह वही है या नहीं।

म०—तुम उसे यहां लाये हो?

ता०—नहीं, मैं उसे अपने साथ यहां नहीं लाया।

म०—तुमने जैनगजट ता० २१-६-२४के पृष्ठ १३ पर प० रघुनाथदासजीका छपा स्तीफा पढ़ा है न?

ता०—हां।

म०—ता० २८-७-२४के गजटमें पं० लालारामजीने अपने ऊपर समस्त संपादकोंका भार लिया है यह भी मालूम है न?

ता०—हां।

म०—नं० २ के आरोपीको जानते हो?

ता०—हां। मैं उन्हें जानता हूं, उन्होंने जैन शास्त्रोंका अभ्यास किया है और वे पण्डितजी कहे जाते हैं।

म०—नं० २के आरोपीकी क्या उपाधि है?

ता०—उन्हें 'न्यायालङ्कार' कहते हैं परन्तु किसने उन्हें यह पदवी दी यह नहीं मालूम।

म०—नं० ४के आरोपी कलकत्ता यूनिवर्सिटीके काव्यतीर्थ है न?

ता०—मुझे ज्ञात नहीं।

म०—नं० १को धर्मरत्नकी उपाधि है न?

ता०—मुझे ज्ञात नहीं।

म०—नं० २को बंबईके दि० जैन परीक्षालयसे पदवी मिली है न?

ता०—मुझे ज्ञात नहीं।

म०—'सोसल रिफोमर' (सुधारक) शब्दका अर्थ क्या है?

ता०—मैं नहीं जानता।

म०—जैनशास्त्रोंका स्वाध्याय किया है?

ता०—बहुतसे जैनशास्त्र हैं, उनमें रत्नकरण्ड श्रावकाचार, आराधनासार, प्रवचनसार आदिका किया है।

म०—जैनधर्मके अनुसार भंगी चमार आदि अस्पृश्योंको स्पर्श कर सक्ते हैं?

ता०—नहीं।

म०—तुम उन्हें स्पर्श कर सक्ते हो?

ता०—यदि वे अपनी उन्नति कर लें तो उन्हें मैं छू सक्ता हूं, रेल आदिमें तो उन्हें स्पर्श करता ही हूं। सूरतमें वे साग तरकारी बेचते हैं उस समय मैंने उन्हें छूआ होगा।

म०—तुम अस्पृश्योंके साथ खान पान करने तयार हो?

ता०—नहीं।

म० फरियादीको कितने दिनसे जानते हो?

ता०—कोई ४-५ वर्षसे।

म०—उसके साथ घनिष्टता है न?

ता०—मेरो उसके साथ घनिष्टता नहीं है, हां मैं उसे समाजमें प्रसिद्ध पुरुष समझता हूं।

म०—फरियादीकी मा कहां रहती है?

ता०—मुझे ज्ञात नहीं।

म०—अस्पृश्योंके स्पर्श करने तथा उनके साथ खान पान करनेके विषयमें फरियादीका क्या मत है?

ता०—मेरी समझसे उसका मत है कि यदि अस्पृश्य मांस खाना छोड दें तो उन्हें छू लेना चाहिये। परन्तु उनके साथ खान पान कर लेने बावत क्या मत है सो नहीं मालूम।

म०—'बालचन्द रामचन्द कोठारी कौन है' यह लेख कैसा है?

ता०—यह असत्य है। उसमें नं० १-२ ५ ७ ८ और १० नंबरके आक्षेप बिल्कुल असत्य हैं। बाकी आक्षेपोंके विषयमें मैं नहीं जानता। नं० ३का आक्षेप मेरी समझमें सत्य है।

म०—फरियादीका घर देखा है? और वहां कभी जीमा है?

ता०—नहीं, मैं उसके घर कभी नहीं गया और न मैंने उसके यहां जीमा।

म०—फरियादीके साथ कभी जीमा है?

ता० हां! मैंने अपने घर तथा बाहर अनेक जगह उसके साथ जीमा है।

म०—गजट पढ़नेके बाद और जब तुमसे लोगोंने कोठारीके महामन्त्रित्वकी शिकायत की उस बीचमें कोठारीसे तुम्हारी मुलाकात हुई थी?

ता०—नहीं।

म०—फरियादी कहां रहता है?

ता०—करीब चार वर्षसे पूनामें रहता है।

म०—उसके यहां अस्पृश्य नौकर रहते हैं यह तुम्हें मालूम है?

ता०—मेरे साथ जो उसकी बातचीत हुई उससे मैंने नहीं समझा कि वह अस्पृश्य नौकर रखता है और उसकी बात चीतसे यह भी ज्ञात हुआ कि वह धार्मिक संस्थाकी रक्षा करेगा।

म०—'फरियादी मन्दिर बेचना चाहता है' इस बातको क्या तुमने सच समझा?

ता०—नहीं।

म०—तुम कोठारीके साथ महासभाके सिवा अन्य भी कभी किसी सभामें गये थे?

ता०—नहीं।

म०—नातेपूतेमें जो दि० जैनप्रांतिक सभा हुई, उसमें तुम गये थे ?

ता०—नहीं।

म०—कोठारी सभाओंमें जाकर झगड़ा करता है न ?

ता०—नहीं, परन्तु जहां वह जाता है वहां लोग झगड़ा करने लगते हैं।

म०—शोलापुर कान्फ्रेंस और नातेपूते सभाका वृत्तान्त जानते हो ?

ता०—नहीं।

म०—महासभामें कितना फण्ड है ?

ता०—कोई लाख सवा लाख रुपये।

म०—१०-१२ लाखका दान किसने किया

ता०—मेरे पिता और काकाने।

म०—तुमने कुछ महासभाके लिए सहायता दी है ?

ता०—नहीं।

म०-तुम्हारे पिता काकाको मरे कितने दिन हुए ?

ता०— कोई सात वर्ष।

म०—जो अस्पृश्योंको छूने और उनके साथ खान पान करने तयार है वह महासभाका मेंबर हो सक्ता है ?

ता०—नहीं, वह महासभाका मेंबर नहीं हो सक्ता।

म०—महासभाको ले कर जैनियोंमें दो पार्टी है न?

ता०—हां। हैं परन्तु कुछ लोग मध्यस्थ भी हैं।

म०—तुम किस पार्टीमें हो?

ता०—मैं मध्यस्थ हूं।

म०—खेड़वाल अधिवेशनके बाद नये महामन्त्रीने चन्दा अपने पास मंगानेको और पुराने कार्यकर्ताओंके पास न भेजनेकी सूचना निकाली थी?

ता०—निकाली होगी।

म०—तुमने उसे ऐसा करनेकी क्या कोई आज्ञा दी थी?

ता०—मैं नहीं जानता कि—मैंने उसे वैसा करनेका कोई सत्ता दी थी या नहीं।

म०—खेड़वाल अधिवेशनके बादसे कितनी रकम महामन्त्रीके पास एकत्र हुई है?

ता०—मुझे नहीं मालूम।

म०—तुम्हें मालूम है कि—ब्यावर (राजपूताना) में पुराने महासभाके कार्यकर्ताओंने फरवरी १८२५ में एक अधिवेशन किया था?

ता०—हां। मालूम है। परन्तु उस अधिवेशनमें

चुने गये कार्यकर्ताओंको नहीं मानता।

म०—बम्बई प्रान्तिक दि० जैनसभाके मुख पत्र जैनमित्र और जैनगजटमें परस्पर विचार भेद है न?

ता०—हां।

म०—प्रगति आणि जिनविजय किस सभाका पत्र है?

ता०—दक्षिण महाराष्ट्र जैनसभाका।

म०—विधवाविवाह जैनोंमें होता है न?

ता०—नहीं, उसको दक्षिणमें तो चाल है परन्तु उत्तरमें वह नहीं होता।

म०—धरेजा किसे कहते है?

ता०—बिना विवाहके स्त्री रख लेना धरेजा है।

म०—और करावा किसे कहते हैं?

ता०—जो धरेजाका अर्थ है, वह ही करावेका है।

आरोपियोंके वकील जब इस प्रकार जिरह कर बैठ गये तो फरियादीके वकीलने एक बातको स्पष्ट करनेके लिये पूछा—

तुमने फरियादीके घर क्यों नहीं जीमा?

ताराचन्द—क्योंकि मुझे फरियादीके गांव जानेका कभी मौका ही नहीं मिला।

८-६-२५	(सही) आर, एन, किणी
बेलगांव	फर्ष्ट क्लास आनरेरी मजिष्ट्रेट

गवाही नं० ३ बालाका इजहार।

मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूं कि—

मेरा नाम—	बाला है।
पिताका नाम	नाना चोगले।
धर्म जाति	जैन।
वय	४१ वर्ष करीब।
व्यवसाय	खेती।
निवास	भिलवडी [सांगली]

मुख्य इजहार

मैं प्रतिवादी नं० ३ को जानता हूं एवं नं० २, ४ को भी देखा है। मैंने इन्हें उस समय देखा था जब कि ये पूनासे रेलमें आ रहे थे। सितारा ष्टेशन पर मैं रेलमें चढ़ा था बुधगाव तक मैं इनके साथ था। जब तक हम बुधगाव पहुंचे तब तक हम एक ही डिब्बेमें थे। नं० २ प्रतिवादीको मैंने शेढवालमें देखा था। आरोपी शोलापुरके पंडित वंशीधरजीके साथ थे। पंडित वंशीधरजीने कहा था कि कोठारीके विरुद्ध लेख छपानेमें गलती की गई है, किन्तु यह मामला कोर्टमें न पहुंचना चाहिये था। उस समय

आरोपियोंने क्या कहा मुझे स्मरण नहीं। आरपो नं० ३ के द्वारा लिखित एक पत्र मैं पेश करता हूं। यह पत्र मुझे सांगलीके बाहुबलिने दिया था और मुझसे उस लेखमें लिखी हुई बातोंके लिये कहा था। मैंने ३ नम्बर आरोपोकी पत्रों पर हस्ताक्षर करते हुए अपने समक्ष देखा है। इस पेश किये गये पत्र पर प्रतीवादी नं० ३ के हस्ताक्षर हैं।

जिरह पीछे होगी।

बेलगाम	(द) आर० एन० कोगो०
८-६ १८२५	फर्ष्ट क्लास आनरेरी मजिष्ट्रेट

जिरह—

मैं सांगलीमें व्यापार करता हूं। मैं कुछ २ हिन्दी जानता हूं। मुझे गत दस वर्षसे हिन्दी पढ़नेका काम पड़ता है। मैं दिगम्बर जैन हूं। सन् १८२४ के मासमें जब कि शेढवालका अधिवेशन हुआ था तबसे मैं प्रतिवादी नम्बर ३ को जानता हूं।

प्रतिवादी नं० २ और ४ भी अधिवेशनमें देखे थे किन्तु उनके साथ मैंने जान पहचान नहीं की। मैं मुरैना जिला ग्वालियरके जैनसिद्धान्तविद्यालयको जानता हूं। बाहुबलि वहां पढ़ने गया था। बाहुबलि मेरा मित्र

नहीं है। 'महावीर प्रेस' नामक प्रेसका वह मालिक है। गत ७-८ वर्षोंसे पण्डित बंशीधरजीसे मेरा जान पहचान है। वे कभी २ सांगली शास्त्र पढ़नेके लिए आया करते हैं।

मैं जैनगजट कभी २ पढ़ता हूं। बंशीधरजीसे मैंने रेलमें इस अभियोगके बारेमें जाना था।

जिसके पहले मुझे समझाया गया था कि यह अर्जी उचित है। गत फर्वरी मासमें बहुतसे मनुष्य इसी विषयमें बात-चीत करते देखे थे। बंशीधरजीसे मैंने रेलमें बातचीत की थी वे बेलगाम कोठारीके दावाकी पैरवीके लिए आ रहे थे। रेलमें फरियादीके बारेमें ज्यादा बहस नहीं हुई। यह मेलगाड़ी सतारा ष्टेशन पर रातको एक या डेढ बजे पहुंचती है और बुधगाम ४॥ बजे सुबह पहुंचती है।

मैं शोढवाल महासभामें गया था। इसके पहिले इस सभाके किसी और अधिवेशनमें नहीं गया। मैं गत १०-८ वर्षोंसे कोठारीको जानता हूं। मैं अपनी समाजके नेताओंको जानता हूं और वे धावते आर० बी० लट्टे, रावजी सखाराम, पण्डित धन्नालाल आदि हैं। मैं उनको उतना ही जानता हूं जितना कि कोठारीको जानता हूं।

१८२४ के दिसम्बरके अन्तमें तथा १८२५ के जनवरी मासके

आदिमें महासभाकी स्पेशल मीटिंग

शेडवालमें हुई थी।

उस सभाका कौन सभापति था मुझे मालूम नहीं। मैं स्मरण नहीं कर सकता कि कोठारी या आरोपी नम्बर २ या ४ उस सभामें उपस्थित थे या नहीं। मि० कोठारीके मतके तथा कार्योंके विषयमें मैं कुछ २ जानता हूं। परंतु मैं कोठारीके विधवाविवाहके मतके विषयमें कुछ नहीं जानता हूं क्योंकि वह इस प्रान्तमें चालू है। मि० कोठारीका यह मत है कि अस्पृश्य लोग आम स्थानों पर छुये जा सकते हैं। किन्तु उनका यह भी मत है कि अस्पृश्योंको अपने साथ भोजन करानेकी कोई आवश्यकता नहीं। अस्पृश्यों के हाथसे जलग्रहण करनेके वे विरोधी हैं. मैंने यह विषय खास कोठारीसे जाना अतएव मैं जानता हूं। विधवाविवाहको कोई पाट बोलते हैं कोई पुनर्विवाह। यह उत्तर प्रान्तमें चालू है या नहीं यह मैं नहीं जानता। महासभाका उद्देश्य जैनधर्मकी शिक्षाका फैलाना या प्रचार करना है। वह मनुष्य जो कि आम जगहों पर अस्पृश्योंको छूता है वह महासभाका मेंबर

मेम्बर अवश्य हो सक्ता है संपूर्ण मेम्बर इसी तरहके है। मैंने इस विषयमें नहीं विचारा है कि जो मनुष्य महार मांग आदिके साथ खाता है वह महासभाका मेम्बर हो सक्ता है या नहीं। खाने वा पीनेके लिये उनके साथ सम्मिलित होनेमें मैं प्रस्तुत नहीं हूं। मैं जैनधर्मके विषयमें किसी प्रश्नका उत्तर नहीं दे सकता कारण मैंने जैनधर्मके ग्रन्थोंका अध्ययन नहीं किया है एवं मुझे ऐसे मनुष्यके साथ भोजन करनेका मौका नहीं मिला जिसने कि महार तथा मांग आदिकोंके साथ खाया हो। मैं अपनी सम्मति किसी भी विषयमें नहीं दे सकता हूं जो कि अस्पृश्योंके साथ खानेको तैयार है। बेलगावके सर्वसम्मिलित भोजनके विषयमें मैं कुछ नहीं जानता।

मैंने नं० ३ के आरोपीको शेडबालमें अपनेसे एक हाथकी दूरीपर मन्त्रीके आफिसमें बैठे हुए देखा था, उस वक्त सेठ चैनसुख महामन्त्री थे। विषयनिर्वाचनकी बहस सुननेके लिये मैं गया था। एक मनुष्य उनके पास कुछ कागज लाया और मैंने उनको उसपर दस्तखत करते हुये देखा। तीन चार पत्र पर हस्ताक्षर उन्होंने एक दिन किये

एवं एक दिन दो पर किये। मैंने 'आपका मक्खन-लाल' यह हस्ताक्षर करते हुये उन्हें देखा था।

बाहुबलीने वह पत्र फर्वरीके अन्तमें दिया। मैं ने उनका कभी कुछ काम करके नहीं दिया। हां। यदि वे चन्दाके लिये आते तो मैं दे देता। मेरे पास पत्र रखनेके लिये उसने मुझसे स्पष्ट नहीं कहा। कोर्टमें पत्र दाखिल किया जाय वा नहीं इस विषयमें मैं ने उससे नहीं पूंछा क्योंकि पूंछनेको मैं ने कोई आवश्यकता नहीं समझी। उपर्युक्त महाशयोंका (प० धन्नालालजी कोठारी आदिका) भिन्न मत है। महासभाके विषयमें क्या मत किया है मैं नहीं जानता। मैं ने उस पत्रको (दाखिला नं० ११) पाया और दूसरेसे पढवाया था चूंकि मैं पूर्ण रीतिसे उसे नहीं पढ सकता था। यदि वह पत्र मुझे दे दिया जावे तो मै उसे साक्षीमें उपस्थित करूंगा ऐसी प्रार्थना मैं ने बाहुबलिसे नहीं की थी। मेरे प्रतिथि चन्दोरकरने यह पत्र पढकर मुझे सुनाया वे दमोहके थे। अतिथिका अर्थ ग्राहक है। मेरा उनके साथ पत्र व्यवहार है।

मैं यह जानता था कि आक्षेप असत्य हैं अतः मैं प्रमाण संग्रह कर सकनेकी असमर्थता जान चुप रहा। जब मैं बाहुबलीसे रास्तेमें मिला तब मैंने

इसकी उसे सूचना दे दी। गत एक या दो मार्चको बम्बईमें अपने आपही बातचीतके समय फरियादीसे मैंने कहा था। फरियादीने मुझसे वह पत्र अपनेपास भेजनेके लिये कहा या मेरे पास ही रखनेको कहा यह मुझे स्मरण नहीं। महासभाके शेढवाल अधिवेशनमें मैं उपस्थित था जिसमें कि वादी महामन्त्री चुना गया था। उस अधिवेशनमें करीब ४००—५०० जन उपस्थित थे। वे वादीके दोस्त थे अथवा और थे यह मुझे मालूम नहीं। नेमिसागर वर्णी महासभाके सभापति थे। अधिवेशन ता० २३-२४ को हुआ था। कांग्रेसके दिन शेडवालमें रत्नत्रयधर्मवर्धनी सभाका अधिवेशन हुआ था या नहीं जानता चूंकि मैं उस दिन वहां नहीं गया था। यह निर्णीत नहीं हुआ था कि महासभा २६ ता० को होगी। २५ ता० को शामको पुलिस आगयी थी। २५ ता० को अधिवेशनकी मनाई के लिये मैंने कोई नोटिस नहीं सुना था। मैं २६ ता० को शेढवालमें नहीं था मैंने शेढवाल सवेरे १० बजे छोड़ा था।

शेढवाल अधिवेशनके उपरान्त मैंने महासभाके लिये कोई चन्दा नहीं दिया न कोई मेरे पास इसके लिये आया। मेरी सम्मतिके अनुसार महामन्त्रीके चुनावके बारेमें कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैंने

जैनमित्रमें एक पत्र छापनेके लिये लिखा था कि फरियादी महासभामें महामन्त्री चुना गया है जबकि गवाह ताराचन्द सभापति थे। जैनमित्र और जैन गजटका आपसमें मतभेद है यह मैं नहीं जानता। ता० १५—२-२५ के जैनमित्रमें 'जैनगजटका असत्यप्रलाप' नामक लेख मेरा है जो मुझे इस समय दिखलाया गया है।

पत्रके भेजनेके पहले मैंने जैनगजटमें छपी हुई महासभाके विषयमें युक्तियोंको पढ लिया था। उन युक्तियोंके पढने पर मैंने मत संग्रह किया एवं वह पत्र लिखा। पत्र (दाखिली नं० २५) हेडिंग सहित उसमें लिखा हुआ मेरा है। फिर मै कहता हूं कि हेडिंग पत्रके सम्पादकका हो सकता है। मैंने वह पत्र मराठीमें लिखा था और सम्पादकको हिन्दीमें अनुवाद करनेकी सम्मति दी थी। आरोपी नं० ३ गजटका प्रकाशक है या उसके साथ कुछ न कुछ सम्बन्ध है यह मै जानता था। मैंने पत्र (दाखिली न० ११) को जैनमित्र पत्रमें छपाना ठीक नहीं समझा।

पुनः जिरह—कुछ नही।

बेलगांव	}	(द:) आर० एन० किनो
ता० १०-६-१८२५	}	आ० मजिस्ट्रेट एफ० सी०

गवाही नं० ४ यशवन्तका इजहार।

—॰—

मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूं कि—

मेरा नाम—	यशवन्त।
पिताका नाम—	संगप्पा अंकले।
धर्म और जाति—	जैन।
पेशा—	वकालत।
उम्र—	करीब ३५।
निवासस्थान—	बेलगाव (जिला बेलगांव)

बयान—

मै यहा (बेलगाम) जैन बोडिंग कमेटोका सभापति हूं। महावीर प्रेससे मैं एक प्रति 'जैन-गजट'को पाता हूं; जहां कि जैन पुस्तकालय है। करीब ३० या ४० जैन महाशय वहां पढ़नेके लिये आया करते है। नाथा गल्लीमें यह प्रेस है। यह जैनगजट (दाखिली नं० २) पुस्तकालयमें पाया था एवं पढ़ा था।

जिरह पीछे होगी।

बेलगाम	(सही) आर० एन० किणी
८-६-१९२५	आ० मजिष्ट्रेट एफ० सी०

जिरह-

करीब १५ वर्ष पहले जैन बोर्डिङ्ग यहां पर स्थापित हुआ था, उसमें करीब ४०-४५ विद्यार्थी है। करीब दो वर्षसे यहा पर जैनियोंके लिये पुस्तकालय स्थापित किया गया है। यह जैन पुस्तकालय नामसे ही पुस्तकालय है। पुस्तकालयके नाम पर कोई अख बार नहीं आता है। कनडो जैनविजयके सम्पादक० स म्पादक प्रगति आणि जिनविजय, प्रबन्धक जैनबोर्डिङ्ग, आर वी लडे, मि० चोगले एवं अन्य अन्य अपने नामके अखबारोंको महावीर प्रेसमें भेज देते हैं।

आठ मास हुए तबसे जैनगजट 'जैनबोर्डिङ्ग (माणिकबाग—बेलगाव) के नाम मुफ्त प्राप्त होता है। इसको आगेको तारीखके एवं २२ १ २५ तारीख के अङ्क प्राप्त हुये हैं। यहां नियमित फाइल है। २ अङ्कको छोडकर पत्रके सब अङ्क पाये जासकते है। मैं महासभाका सभासद नहीं हूं। ता० २३-२४ को शेडवालमें जो मीटिंग हुई थी उसमे मैं मौजूद था मीटिंग होनेके बाद मैं उस जगह नहीं था। मै महा-मन्त्री निर्वाचनके सम्बन्धमें कुछ नही जानता।

मै एक दि० जैन हूं। वर्तमान रीतिके अनुसार जैनगण पब्लिक स्थानोंमे भंगी चमारोंको स्पर्श कर सकते है। इस भावसे स्पर्श करना अच्छा है या नहीं

इसको मैं नहीं कह सकता। पब्लिक स्थानोंमें बिना जाने बूझे अस्पृश्य मनुष्यको स्पर्श कर सकता हूं। भंगी और चमार हमारे घरमें भीतर कभी नहीं आये यदि वे हमारे घर आवें तब हमको उनका स्पर्श करना उचित है या नहीं इस सम्बन्धमें मैंने अभी कोई मत निश्चित नहीं किया। यदि मैं उनको स्पर्श करूं तो स्नान करूंगा। जैन लोग किसी अस्पृश्यके साथ भोजन नहीं कर सकते। यदि कोई अस्पृश्य मनुष्य कूआ स्पर्श कर देवे तो जैनी लोग उस कूएसे जल ग्रहण करेंगे या नहीं इस सम्बन्धमें मैं अपना मत नहीं दे सकता। किसी अस्पृश्यको मैं अपने कूपसे जल नहीं लेने दूंगा। महार (भंगी)के कूपसे लाया हुआ जल मैं पीऊंगा या नहीं यह मैं बोल नहीं सकता। दक्षिणनिवासी जैनियोंके यहां विधवाविवाह होता है। उत्तर प्रान्तके दिगम्बर जैनियोंके यहां विधवा विवाह नहीं होता। विधवाविवाह रूढ़ि वश चालू है। विधवाविवाहके निवारणकेलिये चेष्टा हो रही है।

पुनः बयान—

मैं बेलगावसे प्रतिनिधि हुआ था।

पढ़ा और अभ्रांत समझा

बेलगांव } (द:) आर० एन० किनी

१०-६-२५ } फा० मजिष्ट्रेट फर्स्ट क्लास

मैं अदालतको दुहाई (साचा) देकर बतलाता हूं, कि मैं दो वर्ष से जैनविजयका सम्पादक हूं। मैं जामखाना जैनबोर्डिंगका चेअरमैन हूं। अदालतके हुक्मके अनुसार मैं जैनगजटकी फाइल लाया हूं।

पढा एव अभ्रांत समझा

बेलगांव ⎫ (द) आर० एन० किनी०

१०-६-२५ ⎭ आ० मजिस्ट्रेट एफ० सी०

नं० ५ साक्षी बसवंतप्पाका इजहार।

मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि—

मेरा नाम— बसवन्तप्पा है।

पिताका नाम— भरमप्पा पुजारी।

धर्म और जाति— जैन।

उम्र— ३६ वर्षके करीब।

पेशा— खेती, व्यापार।

निवास— कुडची (जिला बेलगांव)

बयान।

रविवार पेठ बेलगावमें मेरी एक दुकान है। मैं अपनी दूकानमें गत जनवरी मासके शुरुआतसे हिंदी जैनगजटके अङ्क पाता हूं।

जिरह—

मैं कुछ २ मराठी जानता हूं एवं उसका कुछ २ लिखना भी जानता हूं। कुडचीमें मेरा खेती बारी का काम है। बेलगांवमें मेरी लोहेकी दुकान है। मैं किसी भी मराठी पत्रका ग्राहक नहीं हूं। जैनगजट नामका एक समाचारपत्र है यह बात मुझे कब मालूम हुई यह मैं नहीं कह सकता। कुड़चीमें एक मनुष्य आया था वह गजटका ग्राहक होनेके लिये उपदेश देता था। वह जैनधर्मके विषयमें भी कुछ कहता था। उसने वहां ५—६ ग्राहक बनाये थे। गत जनवरीकी किस तारीखसे मैंने गजट पाना आरम्भ किया यह मैं नहीं जानता। अच्छी तरहसे पत्रको मैं कभी नहीं पढता हूं। मैं सिर्फ हिंदीके अक्षर पढ सकता हूं।

बेलगांव	(द०) आर० एम० किनी
८—६—२५	आ० मजिष्ट्रेट फर्स्ट क्लास

नं॰ ६ साक्षी आनप्पाका इजहार।

मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि—

मेरा नाम —	आनप्पा है।
पिताका नाम—	वालप्पा पाटील।
जाति और धर्म—	जैन।
आयु—	३२ वर्ष करीब।
पेशा—	खेती।
निवास—	बेलगांव जिला बेलगांव।

बयान।

महासभाके शेडवाल अधिवेशनसे मैं जैनगजट पाता हूं। मैं इसे पढता हूं। मैंने २२ १-२५ का जैनगजट पढ़ा है एवं 'वालचन्द्र रामचंद कोठारी कौन है' यह लेख भी पढ़ा है। मेरी दुकान रविवार पेठमें है। मेरे पास वहीं पत्र आता है।

जिरह—

मैं थोडी मराठी जानता हूं। मैंने कनडी ६ वीं क्लास तक पढी थी। मैं कुडचीका पाटील हूं। चौगुलेके साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। गत १२ १३ वर्षसे मैं बेलगांवमें रहता हूं।

प्राय: दो तीन वर्ष पहले मैं एक पत्रका ग्राहक हुआ था, उसका नाम मुझे मालूम नहीं, वह मेरे पास १०-१२ वर्षतक आता रहा। सुविधानुसार

मैं इसे पढ़ता था। यह जैनविजय नामका कनडी भाषाका समाचार पत्र था।

जैनगजटका कौन मालिक है उसे मैं नहीं जानता। यह मराठी हिंदीमें प्रकाशित होता है। जिस समय मैंने इस कागजको पाया था उसी समय मैंने इसे जाना था। गत दिसम्बर मासके अंकमें कांग्रेस बैठकके पूर्वमें एक कीर्तनकारने इस पत्रको लेनेके लिये उपदेश दिया था और मैं ग्राहक हुआ था। मुझे मालूम पड़ता है कि १०-१-२५ से यह पत्र मैंने लेना आरंभ किया है। दो तीन अङ्क मेरे घर पर हो सकते हैं। अवशिष्ट अङ्क पढ़नेके लिये दूसरे लोग लेगये हैं। एक वर्षके लिये ५) रु० चंदा मैंने दिया था। मेरे भाईने रु० भेजे थे इसके लिये मैंने कोई रसीद पायी थी या नहीं मैं नहीं कह सकता. जैनगजटको कुछ २ मैं समझता था और दूसरोंसे पढ़वाता हूं। इससमय जो मुझे जैनगजट पढ़ने दिया गया है उसके अभिप्रायको मैं कुछ २ समझ सका हूं।

बालचन्द रामचन्द कोठारीके विरुद्ध लिखा गया है ऐसा सुन कर मैंने दूसरेसे पढवा कर वह लेख सुना था। कोठारीके विषयमें मैं कुछ २ जानता हूं। जब यहां (बेलगाम) के मारुति मंदिर-

में सभा हुई थी तब ये वहां आये थे, तभीसे मैं इनको जानता हूं। उनको मैंने रास्तेमें देखा था। मैंने सुना था कि मि० कोठारीने जैनधर्मके विरुद्ध लिखा है इसीलिये मैंने वह लेख दूसरेसे पढवा कर सुना था। मैंने और भी सुना था कि मि० कोठारी जैनधर्मके विरुद्ध कार्य करते हैं इसलिये मैंने दूसरेसे पढवा कर सुना था। जैनधर्मके विषयमें वादीका क्या मत है मैं नहीं जानता। मैं दिगम्बर जैन हूं।

मैं शेडवाल अधिवेशनमे नहीं गया था। मैं किसी भी जैनसभामें गया था या नहीं सो मैं नहीं कह सकता। यह लेख पढकर मैंने कोई आलोचना नहीं की। हमारे धर्मानुसार हम अस्पृश्योंके साथ भोजन नहीं कर सकते, न हमारे कूएसे अस्पृश्य लोग पानी भर सकते हैं।

२ ३-४ नं० अथवा उनके अनुगमनकारी प्रतिवादीगणकी क्या और कितनी इज्जत है मैं नहीं जानता। कल (गत) मि० लट्ठेसे मि० कोठारीके अभियोगके संबन्धमें मैंने जाना है। कल (गत) मैं साक्षी देने आया था। जैनगजटमे मि० कोठारीके विरुद्ध जो लेख लिखा गया है उसे मैंने पढा था या नहीं यह मि० आर० बी० लट्ठेने मुझसे पूछा था।

बेलगांव } (द:) आर० एन० किनी.
६-६ १९२५ } फर्ष्ट क्लास आ० मजिस्ट्रेट

नं० ७ साक्षी चतुरबाईका इजहार।

फरियादीने अपनी मातुश्रीका नाम गवाहोंमें लिखाया था और कमीशनसे गवाही लेनेकी प्रार्थना की थी इसलिये कोर्टने उसकी प्रार्थना मजूर कर आरोपियोंसे कमीशन द्वार साक्षी लेनेका स्थान पूछा। उत्तरमें आरोपियोंने बेलगामकी शेरगलीका दि० जैन मंदिर पसंद किया और तदनुसार ता० ११-६-२५ को सुबह ही कोर्ट श्रीमंदिरजीमे ही लगी और श्री जिनेन्द्र भगवानके समक्ष फरियादीकी माताने अपने बयान देने प्रारंभ किये।

मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहती हूं कि—

मेरा नाम— चतुरबाई है।

मेरे पतिका नाम— रामचन्द अबाचन्द कोठारी

मेरा धर्म और ज्ञाति—जैन।

मेरी अवस्था— करीब ६० वर्ष।

मेरा निवास— वावी तालुका माढ़ा।

बयान।

मेरा स्थायी भावसे निवास माढा है कभी २ मैं पूनेमें रहती हूं। फरियादी मेरा लडका है। हीराचन्द मेरा छोटा लडका है। वह वावीमें रहता है, और फरियादी पूनेमें रहता है क्योंकि मेरी छोटी

बहूसे नहीं पटती अत' मैं अलग रोटी बनाती हूं ग्रीष्मऋतुमें चार मासके लिये कोठारीके साथ पूनेमें रहती हूं। फरयादी बार्शीमे आता है और हीराचंद्रके यहां ठहरता है, उस समय फरियादीकी स्त्री शुद्ध कपडोंसे रोटी बनाती है और हम सब एकसाथ भोजन करते हैं। मेरा वालचन्द्रके साथ रहनेमें कुछ भी प्रतिबन्धक कारण नही हैं। मैं उसके साथ भोजन करती हूं। उसने किसी अस्पृश्य नौकरको अपनी नोकरीमें नही रक्खा है। यदि वह किसी महार मांग-के साथ कभी खाना हो तो मैं नहीं जानती। पीसने-के लिये या और कामके लिये कोठारीके द्वारा कोई महार या मांगकी स्त्री घरमें नहीं लाई गई। मेरे पतिने कुंथलगिरि पर एक मंदिर बनवाया है। गत दस वर्षोंसे पच उसकी देख रेख करते हैं। फरियादीने कभी उसे बेचनेके लिये बातचीत नही की। मंदिर बेचनेके सम्बन्धमें मेरा उसके साथ कोई झगड़ा नही हुआ।

आरोपियोंके वकीलकी जिरह।

मेरे पति १० वर्ष पूर्व मर गये हैं। कोठारी जब बार्शी आता है तब वह चार माससे एक साल तक वहां ठहरता है। हीराचन्द्रकी अवस्था २५ वर्ष-की है। आठ वर्ष पहले उसका विवाह हुआ था।

गत आठ वर्षों से हीराचन्दकी स्त्रीका मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं है।

बाबीमें घर दो तल्ला है। मैं सिढियोंके पासके कमरेमें रहा करती हूं। इस कमरेके बाहर मैं भोजन बनाती हूं। मेरे भोजनालयके सामने हीराचन्दकी स्त्री रसोई बनाती है। पूजाके लिये तीन प्रतिमा थीं एक प्रतिमाजी नीचे जीनेमें रक्खी गयी थी। सीढियोंके ऊपरके स्थानमे एक प्रतिमाजी थीं। जब मेरे पति ऊपर न जा सकते थे तब वह नीचे लायी गयीं। मेरे पुत्रोंने नीचेकी प्रतिमाजीको नही हटाया करीब दो वर्ष पहले मेरे पुत्रने महार मांग आदिके फायदेके लिये एक बोर्डिंग खोला है। यह बागमे है। मैंने इसे दूरसे देखा है। मैं उसके अंदर नहीं गई क्योंकि मेरा कोई काम न था और मैं अपवित्र हो जाती। इस बोर्डिंगके लड़के घरमें काम करनेको नहीं आते। वे बाहरसे ही अन्न आदि मांगते हैं। खेतमें वे काम करते हैं या नहीं यह मैं नही जानती। माली, मरहठा जिनको मैं नही जानती वे घर पर आते हैं।

कोठारी उन लड़कोंको पढ़ानेको थे या उपदेश देनेको जाता है या नही मैं नहीं जानती। महार स्त्री भोजन बनानेके लिये वहां पर है कि नहीं मैं नही

जानती। यह कहा जाता है कि वहां पर एक स्त्री है। वह महार है या मरहठा यह मैं नहीं जानती। सामान घरसे दिया जाता है कभी २ खरीदा भी जाता है। हीराचन्द बागकी और खेतकी देख रेख करता है। स्थायीभावसे वह वाड़ीमें रहता है। वह बोर्डिंगमें जाता है या नहीं मैं नहीं जानती। बोर्डिंगका खोलना मुझे अच्छा लगता है या नहीं मैं नहीं कह सकती। यदि मैं बोर्डिंगके अन्दर जाऊंगी तो स्नान करूंगी। बोर्डिंग जा कर मेरे पुत्र स्नान करते हैं या नहीं मैं नहीं जानती। बोर्डिंगमें जाते हुये मैंने उन्हें नहीं देखा। माहर मांगके छूनेके उपरांत जब तक वह स्नान न करे तब तक मैं फरियादीके साथ भोजन न करूंगी। यदि वह माहर मांगके साथ भोजन करे तो मैं क्या करूंगी यह मैं नहीं कह सकती। वर्तमानमें वह उनके साथ भोजन नहीं करता है। उनकी प्रकृति महार और मांगके साथ मेल जोल या भोजन करनेकी है या नही यह मैं नहीं जानती। प्रत्येक ग्रीष्मऋतुमें मैं पूने जाती हूं। पहले कोठारी नदीके तट पर शोलरके वाड़ेमें रहता था अब वह पुलिस लाइनके सामने रहता है। हीराचन्दकी स्त्री सातवर्षसे रजस्वला होती है। वह पवित्रताका ख्याल नही करती, अच्छी तरहसे नहीं बोलती। प्रत्येक

मगसिर मासमें कुंथलगिरी पर एक उत्सव हुआ करता है। जब मेरे पति जीवित थे, मैं प्रत्येक तीसरे वर्ष उसमें जाया करती थी। कुंथलगिरि मंदिरके लिये कोई जमीन नहीं लगी हुई है। मंदिरका खर्च मेरे पति करते थे, जिसे आजकल पंच करते हैं। नेमिनाथ वहां पुजारी हैं। मोतीचन्द सब मंदिरोंकी देखरेख करते हैं। मैं नहीं जानती कि मोतीचंद हमारे मंदिरको देख रेख करते है या नहीं। वह मेरी पति की जीवित अवस्थामें करते थे। अब कौन २ पंच है यह मैं नहीं जानती। अपनी सुविधानुसार हम कुंथलगिरी जाते हैं। हम वहां ५-६ दफे गये हैं। हम वहां दो चार दिन ठहरते हैं। हम मंदिरके बरामदामें ठहरते हैं। पुजारी नेमिनाथ हमको सहायता देता है। हम वहां करीब चार मास हुये तब गये थे उस समय वहा मोतीचन्द नहीं थे। पूव समयमे वे देख रेख करते थे। पतिके सामने वे अपनी ध्वजा नोकरके हाथ यात्राके समय भेजते थे। ध्वजा उसके कुटुम्बद्वारा चढाई जाती है जिसने मंदिरको बनवाया है। इस ध्वजाका खर्च मेरे पति करते थे, वह खर्च आजकल पञ्चोंके द्वारा किया जाता है। ध्वजा चढाना एक आदरणीय कार्य है। आजकल भगवानदास शोभाराम ध्वजा चढाते हैं। किस दिनसे यह क

कर रहे हैं मैं नहीं जानती। इस सम्बन्धमें भगवान दास शोभाराम खर्च देते हैं या नहीं, मैं नहीं जानती। मैंने कभी पञ्चोंसे या मंदिनाथसे अपने पुत्रके चरित्रके बारेमें नही कहा। मेरे पुत्रोंने पञ्चोंसे कभी मंदिर बेच कर खर्चा उठानेको नही कहा। इस सम्बन्धमें अपने पुत्रोंको सलाह देनेका कोई कारण मेरे पास न था।

मैं यहां पूनासे आई हूं मैं वहां चार या पांच सप्ताहोंमें थी इसके पहले मैं वावोमें थी। इस जगह से मैं विवाहके लिये बाहर पंढरपुर गई थी। जब मैं पिछले पांच सप्ताह वावोमें थी फरियादी पूनेमें था। जब मैं मोहाल [गांव] गई थी कोठारी वावो आया था। करीब १०-१२ दिन पहले उसने मुझसे कहा था कि मुझे गवाही देने जाना होगा। और मैं अलग अपना भोजन क्यों बनाती हूं इसकी गवाही दनी होगी। कोठारी मुझसे कहा था कि उसके (कोठारीके) ऊपर दूसरोंने फरियाद की है इसलिये गवाही देनी होगी उसने यह नहीं कहा कि यदि मैं गवाही न दूं तो उसके ऊपर कुछ विपत्ति आवेगी। मोहलिव (गांव)में मेरे पतिका चचेरा भाई रहता है। वह हमारे घर आता है और हम उसके घर जाते हैं उसका नाम हीराचन्द है।

फिर जिरह—क्या फरियाद की है यह कोठारीने मुझसे नहीं कहा

बेलगांव ११ ६-१९२५	(द:) आर० एन० किनी फर्स्ट क्लास आनरेरी मजिस्ट्रेट

नं० ८ साक्षी (गनपत)-का इजहार ।

कोठारीने जो प्रार्थनापत्र पेश किया था उसमें लिखे गये गवाह यद्यपि पूर्ण होगये तो भी वह गवाह लाकर खड़ा किया गया और उसकी जबानी इस तरह ली गई—

मैं प्रतिज्ञा पूर्वक बोलता हूं कि—

मेरा नाम—	गनपत है।
पिताका नाम—	धोंडीबा साठे।
धर्म—	हिंदू।
जाति—	मरहठा।
वय—	३० वर्ष।
व्यवसाय—	खेती।
वास—	माढ़ा (शोलापुर)

जिरह—

मैं तालुका लोकलबोर्डका सभापति हूं। मैं अस्सी रुपया कर देता हूं। चालीस रुपया करमें

फसल उत्तम करनेके लिये जमीन मुझको दी गई थी। मैं फरियादी और शोलापुरके पं० बंशीधरजीको जानता हूं। बम्बईके सूरचंद शिवराम गांधीको मुख देखनेसे मै पहचान सकता हूं। आकलूजके भाईचन्द जीवनचन्द गांधीको मैं जानता हूं। १९२५ सालकी २७ या २८ मईको सूरचन्दकी मेरी मुलाकात हुई थी। मि० कोठारी महारोंके साथ भोजन करते हैं एवं उनको घरमें चाकर नियुक्त करते हैं और अपने पिताका बनाया हुआ मंदिर बिक्री करना चाहते हैं इन सब बातोंको प्रमाणित करनेके लिये साक्षी संग्रह करनेको उन्होंने मुझसे कहा था। मैंने कहा था कि ये तीनों बातें मिथ्या हैं। मैंने बंशीधरजीको और भाईचंद जीवनरामको ३ ६-२१ को शोलापुर कपडेके बाजारमें देखा था। उस समय उन्होंने मुझसे कहा कि कोठारीने हमारे पंडितोंके विरुद्ध जो मामला दायर किया है, उस विषयमें कुछ सहायता दो। और साथही यह भी कहा कि कोठारी महारोंके साथ खाता है, अस्पृश्योंको अपने घर नौकर रखता है, इस बातके कुछ गवाह संग्रह कर दो। उत्तरमें मैंने कहा कि इन मिथ्या बातोंके लिये मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद मुझे उन्होंने कुछ रकम भी देनेके लिये कहा परन्तु मैंने उसे लेना

अस्वीकार कर दिया। उन्होंने फिर कहा कि इस समय पंडितों पर आपत्ति नहीं है किन्तु धर्म पर है। फिर मैंने उनका अभिप्राय जाननेके लिये कहा कि तब एक पत्र लिख दीजिये। यह सुन भाईचन्दने मुझे एक पत्र लिख कर दे दिया। मैं उसे पेश करता हूं। (गवाहने कल पेन्सिलसे लिखा हुआ एक कागजका टुकड़ा दाखिल किया) यह पत्र मेरे समक्ष भाईचन्दने लिखा था। मैंने यह बात फरियादीके भाई हीराचंदसे कही थी और जब कोठारीका मुझे यहां आनेके लिये तार मिला तो मैं फौरन चला आया।

ता० १२-६ २५ } (द:) आर० एन० किनी
बेलगाम } फर्स्ट क्लास आनरेरी मजिस्ट्रेट

—०—

दूसरे दिन मजूमदार वकीलके जिरह करने पर गवाहने उत्तर दिया—

मैंने वर्नाक्युलर सप्तम श्रेणी पास की है। गत दस वर्षों से मैं कोठारीको जानता हूं। मैं स्थायीभाव से माढामें रहता हूं। मि० कोठारी स्थायीभावसे पूनेमें, कभी कभी बार्शीमें रहते हैं। वह मेरा मित्र नहीं है कभी २ मैं उसके पास जाता हूं। इस सालमें मैं उसके पास २० २५ बार जा चुका हूंगा। मेरा

बार्शीमें रिश्ता है। मेरी बहनकी दो लड़कियाँ वहां ब्याही गई हैं एवं मेरे भाईकी ससुराल है। जब मैं बार्शी जाता हूं तब मैं कोठारीके घर पर जाता हूं। ब्राह्मणोंके विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलनमें मैंने योगदान दिया था। कोठारीने अब्राह्मणदलमें चार पांच वर्ष पूर्व योगदान दिया था। मैं उस दलमें नहीं था। मैं उस समय नौकरी करता था। सन् १९२०में मैंने नौकरी छोड़ दी। जब मैंने नौकरी छोड़ी तब मैं असिसटेण्ट कलेक्टरके दफ्तरमें कारकून था। इन दो वर्षोंमे मैंने अब्राह्मणदलमें योगदान दिया। फरियादी नेता होनेसे उस आंदोलनके प्रति सहानुभूति रखते हैं।

मैं जैन महासभाके विषयमें कुछ नहीं जानता। मेरी और कोठारीकी घनिष्ट मित्रता है ऐसी लोगोंकी समझ नहीं है। मुझे जहां तक स्मरण होता है मैंने अदालतमें एक बार साक्षी दी है। दीवानी किम्बा फौजदारी मुकद्दमामें मैंने कभी योगदान नहीं दिया। मैं मिथ्या साक्षी तयार करने या मिथ्या बात बोलने में हुसियार हूं ऐसी लोगोंमें प्रसिद्धि नहीं है। पण्डित बंशीधरजीसे मेरा सामान्य परिचय है, गत चार पांच वर्षोंसे मैंने उनको देखा है। वे शालापुरमें रहते हैं, वे क्या करते हैं यह मैं नहीं जानता। मैं बालचंद

मिस्त्रीगीरी करके पास गया था उससमय वह वहां आये थे। सन् १९१९में मैं उनके साथ और अन्यान्य लोगोंके साथ भ्रमणके लिये गया था तबसे उनके (वंशाधरजीके) पास जानेका और कोई सुयोग प्राप्त नहीं हुआ।

सूरचन्द गांधी बम्बईमें व्यापार करते हैं। माढेमें गौतम शिवराम नामके उनके भाई हैं। वह अपने भाईसे मुलाकात करने यहां आते हैं, उस समय मैंने उनको देखा है। रास्ता पर गौतमचन्दकी दुकान है। कभी कभी पान खानेके लिये वहां मैं जाता हूं। वहां सूरचन्दके साथ मिलाप होजाता है। गौतमचन्द मेरा मित्र नहीं है किन्तु उनके साथ परिचय है।

माढेसे ३०-३२ मील दूर आकलूज [एक गांव] में भाईचन्द रहते हैं। वे प्रायः अपने सम्बन्धी शिवराम कस्तूरके पास माढे आते हैं, चार पांच वर्ष हुए भाईचन्दको शिवरामके घर देखा था। ३-६-२५के प्राय. ६ सप्ताह पहले मैंने भाईचन्दको देखा था।

मैं पन्द्रह दिन पहले भोजनके लिये कोठारीके घर गया था। उस समय हीराचन्दने मेरे भगनीके जमाईका निमन्त्रण किया था। फरियादी उस समय वहांपर नहीं था। इसके पहले १९१७-१८ सालमें जिस समय मैं चाकरी करता था तब मि० कोठारी वहां

घर थे उस समय में भोजन करनेके लिये उसके घर गया था। १९२५ सालकी २७-२८ मईको माहमें सूरचन्दसे मैंने इस फरियादकी खबर जानी थी। सूरचन्दने पण्डितजीके सम्बन्धमें अच्छी तरहसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल मात्र कहा था कि वे उत्तरके मनुष्य हैं। एवं कोठारीने मानहानिके लिये उनके विरुद्ध अर्जी फाइल की है। मैं जानता हूं कि यदि ज्ञातिके मनुष्य राजी हैं तो अस्पृश्योंके साथ भोजन करनेकी एवं मेलजोल करनेकी कोठारीको कोई आपत्ति नहीं है। मेरा मत भी प्रायः ऐसा ही है। बावीके बोर्डिंगमें मैं गया था, इस समय भी कभी २ मैं वहां जाता हूं।

गत २७-२८ मई को सूरचंदने मुलाकात करनेके लिये गौतम शिवरामने मुझे अपने घर बुलाया था। मैंने उस समय विचारा नहीं था कि वे मिथ्या साक्षी जुटानेके लिये कहेंगे। जब उन्होंने अन्य प्रकारकी वार्ता मुझसे नहीं की तब मैं विरक्त होगया। इसके बाद मैंने किसी प्रकारका अनुसंधान इस विषयमें नहीं किया। उस समय सूरचंद गौतमचंद और मैं ये तीन जने थे। ३-८-२५ ता० को भाईचन्द एवं पण्डित बगीचाओंके साथ मेरा मिलाप हुआ था, उसके बाद हम लोग चले गये। भाईचन्दने निकट-

वर्तीं बरामदाहमें यह पत्र मुझको दिया था। उनके मनके होव भावसे प्रतीत हुआ था कि वे फरियादीके विरोधी थे।

इस घटनाके विषयमें मैंने बादीको लिखित सम्बाद नहीं दिया। सूरचन्दके साथ जो घटना हुई थी वह हीराचन्दको ज्ञात नहीं कराई। किंतु भाई चन्द और बंशीधरजीकी यह घटना उससे कही थी। हीराचन्दसे मैं ने यह भी कहा था कि—वह फरियादीको यह खबर देदे और जरूरत समझे तो मुझे सूचना दे, मैं इस विषयकी गवाही दे दूंगा।

इस सम्बन्धमे फिर हीराचन्दने क्या किया मैं नहीं जानता। हीराचंदको मैंने यह पत्र दिखलाया था। अपने घरपर मैंने तार दाया था। यहां आनेका खर्च मैं कोठारीसे लूंगा। मिथ्या अपवाद पर मुकदमा चलाया गया है यह भाईचन्दने मुझसे कहा था।

माडा और बाबीमें फासला ७-८ मीलका है। एवं माढा और शोलापुरमें ३८ मीलका फासला है। बाबी और शोलापुरमें भी इतना फासला होगा। मैंने ४-६-२५को किसी दीवानी मुकदमाके लिये माढेमें आये हुये हीराचंदको खबर दी थी। इस सम्बादको उससे कहना मैंने अत्यावश्यक समझा था।

जिरह—मि० कोठारी स्वराज्यदलभुक हैं। सूरचंदका स्थायी निवास आकलूत है। व्यवसायके लिये बम्बई रहते हैं।

बेलगांव } (द:) आर०एन० किनी
१३-६-१९२५ } आ० मजिष्ट्रेट फर्स्ट क्लास

इसप्रकार फरियादी कोठारीकी तरफसे कुल गवाहोंके बयान हो चुकनेपर जैनगजटके संचालकोंसे उत्तर मांगा गया और वह लिखकर निम्नभांति दिया गया। पं० रघुनाथदासजी तो उपस्थित ही नहीं हुए इसलिये उनको उत्तर देनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी प० लालारामजीने अपने बयान मराठी भाषामें लिखकर दिये इसलिये मजिष्ट्रेट साहबने ही सबको पढ़कर सुना दिये। न्यायालंकार प० मक्खनलालजीने अपना वक्तव्य हिंदी भाषामें पेश किया और उसे गंभीरतापूर्वक सुनाया जिसका असर कोर्टस्थित सभी सज्जनोंपर अच्छा पड़ा। पण्डित श्रीलालजीने संक्षिप्त वक्तव्य रहनेके कारण मौखिक ही निवेदन कर दिया।

आरोपियोंके लिखित बयान ।

आरोपी नं० २ श्रीयुत पं० लालारामजी शास्त्रीका उत्तर ।

१—मैं जैनगजटका सहायक संपादक था (अब संपादक हूं) मैं देहलीमें हीरालाल जैन हाईस्कूलमें मुख्य धर्माध्यापक हू, इसलिये मैं जैनगजटमें लिखे हुये लेखोंपर प्रत्यक्ष दृष्टि नहीं रख सकता । मै कभी कभी लेख लिखकर भेजता हूं और मुख्यतया पुस्तकोंकी समालोचना करता हूं ।

२—महासभासे नियुक्त हुए जैनगजटके मुख्य संपादक पण्डित रघुनाथदासजीने बीमार होने तथा अपने हाथसे काम न होनेसे ता० २३ ६-२४के जैन-गजटके अंकमे संपादकपदका स्तीफा सर्वसाधारण में प्रसिद्ध किया है और ता०२८ ६-२४के अंकमें मैंने संपादककी सब जिम्मेदारी अपने सिरपर लेकर सर्व साधारणमें प्रसिद्ध की है । महासभाके नियमानुसार आनरेरी कार्यकर्ता स्तीफा देने पर यदि उसी समय स्वीकार न हुआ तो वे आगेके लिए ३ महीने तक कार्य करनेके जिम्मेदार रहते हैं । इस नियमके अनुसार यद्यपि पण्डितजीका स्तीफा उसीसमय स्वीकार नहीं हुआ, तथापि २३-६-२४ तक ही उनका

सम्पादनकार्य समाप्त हो जाता है, आगे वे इसके जिम्मेदार नहीं रहते। उनका स्तीफा महासभामें स्वीकार होनेवाला था परन्तु शेडवालके अधिवेशनमें ता० २३-२४ इन दो दिन तक काम चला आगेके काममें विरोधी मण्डलीने रुकावट डाली इसलिये ता० २६ के दिन सभाके अध्यक्षने ता० २४ तक होनेवाले काम पर ही सभाका काम समाप्त हुआ समझना ऐसी एक सूचना प्रगट की।

३—तदनन्तर गत फर्वरी महीनेमे महासभाका नैमित्तिक अधिवेशन ब्यावर (राजपूताना) मे हुआ था, उसमे पण्डित रघुनाथदासजीका स्तीफा स्वीकार हुआ व दूसरे सहायकसम्पादक (आरोपी नं० ३) नियुक्त किये गये, उसीसमयसे उनका नाम सम्पादकके स्थानमें छापना बन्द कर दिया है। इसलिये ता० २२-१-२५के दिन जैनगजटमें लिखे हुए समाचारके सम्बन्धमें आरोपी नं० १ जिम्मेदार नहीं है। और वह लेख मेरे पास न भेजकर मेरे भाई पं० मक्खनलालने अपनी जिम्मेदारीपर छापा है इसलिये मैं जिम्मेदार नहीं हूं।

४—फरियादी शेडवालके महासभाके अधिवेशनमें महामन्त्री नियुक्त हुआ है यह बात गलत है। फरियादी सुधारक मतको माननेवाला है उसके

अनुकूल चलनेवाले कुछ लोगोंने महासभाको अपने स्वाधीन करनेके उद्देश्यसे फरियादीको महामन्त्री नियुक्त किया ऐसी बनावटी बात प्रसिद्ध की है। इसके सिवाय फरियादीका मत सर्वथा धर्मविरुद्ध होनेसे व उसके बर्ताव महासभाके उद्देश्यसे अनुकूल न होनेसे महामंत्री होनेके लायक नहीं है। व उसका चुनाव भी नहीं हुआ है व उसके पास महासभा संबंधी कोई रकम न देवे इस सद्हेतुसे जैनसमाजके हितके लिये व धर्मकी रक्षाके हेतुसे आक्षेपार्ह लेख लिखा होगा ऐसा प्रगट दिखता है। उससे फरियादीकी किसी प्रकारकी बेइज्जती करनेका बिलकुल हेतु नहीं था, न उससे उसकी कोई बेइज्जती हुई है।

५—मेरे और फरियादीके किसीप्रकारका द्वेष न होनेसे उसकी बेइज्जती करनेका कोई कारण नहीं है, केवल अपना मतलब सिद्ध करनेके लिये व किसी भी प्रकारसे हमारी बेइज्जती करनेके लिये जानबूझकर यह फरियाद की दिखती है।

———◆———

आरोपी नं० ३ श्रीयुत पं० मक्खनलालजी न्यायालंकारका उत्तर।

यह लेख मेरे पास सीधा पहुंचा था मैंने उसे ठीक समझकर अपने नोट सहित प्रकाशित कर दिया था।

जैनगजटका मैं प्रिंटर और प्रकाशक (और स० संपादक) हूं इसलिये समालोच्य पुस्तकोंके सिवा समस्त समाचार और लेख विज्ञापनादि प्रायः सब मेरे पास ही सीधे कलकत्ता पहुचते है और ऐसी गजटकी सूचना भी है।

बालचन्द रामचन्द कोठारी कौन है' इस समाचारके विषयमें पहले तो मुझे मेरे संवाददाताने विश्वास दिलाया है कि यह समाचार दक्षिणमें प्रसिद्ध होते हुए भी उसने दक्षिणके प्रसिद्ध एव प्रतिष्ठित पुरुषोंसे भलीभांति जानकर ही मेरे पास प्रकाशनार्थ भेजा है, दूसरे—मैं कई बार अपनी दक्षिण यात्रामें दक्षिणके पुरुषोंसे नातेपूते शोलापुर आदि स्थानोंमें भाई कोठारीजीके विचार और उनके आचरणके सम्बन्धमें बहुत कुछ सुन चुका था इसलिए इस लेखको ठीक समझकर जैनगजट के वर्तमान सम्पादक पूज्य पंडित लालारामजी

शास्त्रीके पास देहली नहीं भेजा और सीधा ही अपना नोट सहित प्रकाशित कर दिया।

कोठारीजी स्वयं तो सर्वथा धर्मविरुद्ध विचार और आचरण करते ही हैं, साथ ही उन्हें वे जैन समाजमें भी प्रचलित करनेके लिए पूर्ण प्रयत्नशील हैं। इसलिए उनसे समाजकी हानिकी पूरी आशंका समझकर मैंने उस लेखको प्रकाशित करना उचित समझा।

इसके सिवा वे सेडवाल अधिवेशनके पीछे विना नियमानुसार चुनावके ही कुछ लोगोंकी सरासर धोखेपूर्ण मन गढ़न्त कल्पनाके बलपर अपनेको श्री भा० व० दि० जैन महासभाका महामन्त्री प्रगट कर समाजसे रुपये अपने पास मंगानेकी सूचना दे चुके हैं इसलिए केवल धर्मशिक्षण और धर्मकार्योंके लिये धर्मात्माओं द्वारा दिये गये महासभाके रुपये मगाकर कहीं ये महाशय धर्म एवं समाजोपयोगी कार्योंमें धक्का न पहुंचावें इसलिये उस समाचार द्वारा धर्मरक्षार्थ समाजको सावधान करना मैंने उचित समझा।

व्यक्तिगत मेरी कोठारजीने कुछ भी हानि नहीं की है, न मेरा उनके साथ वैयक्तिक कोई सम्बन्ध ही है। और न उनका जाति आदि संबन्ध भी मेरे साथ है, इसलिये उनकी मानहानि करनेका मेरा किंचिन्मात्र भी इरादा नहीं था किंतु उनकी अधार्मिक

प्रवृत्ति एवं विचारोंसे धार्मिक समाजका कहीं अहित न हो इसी मात्र अभिप्रायसे धार्मिक नाते मैंने उक्त समाचार प्रकाशित किया है।

प्रकाशित समाचारके विषयमें भाई कोठारीजीने कहीं २ अर्थविपर्यास भी माननीय न्यायाधीश महोदयके समक्ष प्रगट किया है इसलिये उस भ्रमको दूर कर देना यहां मैं आवश्यक समझता हूं।

हाथ साफ करनेका जो अर्थ महासभाके रुपयोंको स्वयं हड़पना बतलाया गया है वह न तो पंक्तिका ही अर्थ है और न वैसा अभिप्राय ही है यह मुहावरेकी हिंदीका प्रसिद्ध शब्द है उसका अर्थ यही है कि महासभाके रुपयोंको अपने अधीनस्थ करना चाहते हैं अर्थात् केवल धर्मशिक्षण आदि धर्मकार्यों के लिये प्रदान किये गये महासभाके द्रव्यको अपने हाथमें लेकर अर्थात् अपने तावेमें करके बोर्डिंग आदिमें खर्च करना चाहते हैं। यह बात ऊपरकी पंक्तियोंसे और नीचेकी नवमी कलमसे स्पष्ट हो जाती है। दूसरे कोठारीजीने अपने को महामन्त्री बतलाते हुए महासभाके द्रव्यको मांगा है। इसलिये उसे वे स्वयं निजके लिए लेना चाहते हैं यह बात कोई समझदार न तो प्रगट ही कर सकता है और न वैसा समझ ही सकता है।

दूसरा भ्रम धरेजाके अर्थके विषयमें है। कोठारीजी धरेजा, करावाको विधवा-विवाहसे

भिन्न और नीच समझते हैं परन्तु जैनसिद्धांतके अनुसार जैसा कि श्री राजवार्तिकालङ्कार, तत्वार्थश्लोकवार्तिकाङ्कार, सर्वार्थसिद्धि, एकसंधिसंहिता, और श्रीमहापुराण आदि प्रसिद्ध २ शास्त्रोंमे बताया गया है कि चारित्रमोहनीयके उदयसे कन्या—कुमारीका वरण ही विवाह कहा जाता है इसके सिवा विधवा स्त्रीका पुनः किसी पुरुषके साथ एक या दो बार आदि सम्बन्ध किया जाता है वह महा अधर्म हैं। उसे ही विधवाविवाह, धरेजा करावा किसी भी शब्दसे कहा जाय सब एक ही अर्थ है। उनमें कुछ भेद नहीं है, वह आगमविरुद्ध मार्ग है।

तीसरी बात—आपके शीलव्रतका कुछ महत्व नहीं है, इस वाक्यका अर्थ कोठारीजीने स्वयकी बदचलनी किया है, इस वाक्यका यही अर्थ है कि आप शीलव्रतका कुछ महत्व नहीं समझते, इसलिए आप धरेजा वा करावाके पोषक हैं, यहांपर 'सुतरां' पद दिया गया है उसका अर्थ 'इसलिये' कोषमे मिलता है। उससे पूर्व और उत्तर वाक्योंका संबध मिलानेसे स्पष्ट अर्थ हो जाता है। अर्थात् जैनधर्मके अनुसार कन्यादानको विवाह बताकर स्वस्त्रीसंतोषी अथवा परदारनिवृत्तिवाले पुरुषको एकदेशब्रह्मचर्य पालक शीलवान कहा गया है और विधवास्त्रीके लिए वैधव्य दीक्षा लेकर धर्मसाधन कहा गया है जो पुरुष धरेजा करावा अथवा विधवाविवाह आदिका पोषण करता है वह शीलव्रतका कुछ महत्व नहीं समझता यही इस वाक्यका अर्थ है।

कोठारीजीने मेरा जो प्राइवेट नौकरीपेशा बताया है, वह ठीक नहीं है। कलकत्तामें मेरी कपड़ेकी दुकान है मैं जैनगजटकी सहायकसंपादकीका कार्य और बंग-बिहार अहिंसाधर्म परिषद्के मंत्रित्वका कार्य आदि सभी धर्मसेवा समझकर आनरेरी करता हूं। मेरा इन कार्योंमे निजका तनिक भी स्वार्थ नहीं है। किंतु निजकी अनेक हानि उठाकर भी यह कार्य कर रहा हूं इसीप्रकार गजटके सम्पादक पूज्य पंडित लाला-रामजी शास्त्री भी गजटका सम्पादन कार्य विना किसी स्वार्थके आनरेरी करते हैं। हम दोनोंने गजट के कार्यसे स्तीफा भी महासभामें उपस्थित किया परन्तु मंजूर नहीं किया गया किन्तु ब्यावरके अधि-वेशनमें मुझे सहायक सम्पादक और शास्त्रीजीको सम्पादक नियत कर महासभाने हमारा गौरव बढ़ाया है, ऐसी अवस्थामें कोठारीजीका यह कहना कि 'ये (हम) पदच्युत कर दिये गये हैं इसलिये विद्वेषवश यह समाचार प्रकाशित किया गया है सर्वथ बजड है। गजट चले जानेसे हमारी निजकी कुछ हानि नहीं है प्रत्युत जानेसे लौकिक लाभ अधिक है और न पदच्युति ही हमारी हुई है वास्तव मे विद्वेषका कोई कारण नहीं है।

जो सांगलीके बालू नाना चौगलेने अपनी साक्षी में एक पत्र कोर्टमें उपस्थित कर उसे मेरा प्रगट किया है, वह बात भी सर्वथा बनावटी है। उसका कारण भी स्पष्ट है कि उसमें न तो मेरे हस्ताक्षर ही हैं और जिन पं० बाहुबली शर्माके नाम पत्र

बताया जाता है, वे मेरे शिष्य हैं इसलिये अपने शिष्यके लिए गुरुकी ओरसे क्या कभी पूज्य शब्द का प्रयोग किया जा सकता है जैसा कि बनावटी पत्रमें पूज्य शब्दका प्रयोग किया गया है इससे उस पत्रके बनावटी होनेमे कोई शंका नहीं रहती।

फर्यादी कोठारीजीकी ओरसे उनकी साक्षीमें कहा गया है कि "जैनगजट"के प्रिंटर पं० श्रीलालजी काव्यतीर्थ हैं परन्तु यह बात भी मिथ्या है वे गजटके प्रिंटर नहीं हैं किंतु जैनसिद्धान्तप्रकाशक पवित्र प्रेसके प्रिंटर है इसलिए गजटके पीछे उनका नाम प्रबन्धकके नाते छपता रहा है।

फर्यादीने पंडित लालारामजी शास्त्री, पंडित श्रीलालजी काव्यतीर्थ और मुझे तीनोंको भाई बताकर विद्वेषी सिद्ध किया है परन्तु यहां भी उन्होंने माननीय कोर्टको धोखेमें डाला है, कारण पं० श्रीलालजी काव्यतीर्थ मेरे भाई नहीं हैं, फर्यादीने विद्वेषकी झूठी कल्पना की है।

फर्यादी कोठारीजीने अपनी साक्षीमें इस लेख के लेखक पण्डित श्रीलालजी काव्यतीर्थको प्रगट किया है सो भी सर्वथा असत्य है। पं० श्रीलालजी काव्यतीर्थ इस लेखके लेखक नहीं है, कोई दूसरे ही है, परन्तु उस लेखकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है।

ऊपर लिखे कारणोंसे माननीय कोर्टसे मैं निवेदन करता हूं कि मैंने अपने अन्तःकरणसे फर्यादीकी मानहानिका किंचिन्मात्र लक्ष्य इस लेखक प्रकाशनमें नहीं रखा है किंतु भा०दि० जैन महासभाके

मुखपत्र जैनगजटके प्रकाशक और समाजके एक विद्वानके नाते मैंने कोठारीजीके उनभावोंका प्रकाश किया है जिनका समाजकी धार्मिक प्रवृत्ति और आर्ष मार्गकी हानिसे गहरा सम्बन्ध है। यदि फर्यादी उनके सत्य भावोंके उल्लेखको भी (जो कि समाजमें वर्तमान पत्र एवं व्याख्यान आदि द्वारा स्वय उन्होंने प्रसिद्ध किए हैं) मानहानिका कारण समझते हैं तो उन्हें धर्मशास्त्रके सर्वथा विपरीत अपने भावोंको तीव्रताके साथ समाजमें नहीं फैलाना चाहिये था। अन्यथा उनके भावों और प्रवृत्तिकी सत्य एवं उचित मीमांसा करनेका अधिकार समाजके प्रत्येक व्यक्तिको है, धर्मके नाते यह न्यायप्राप्त मार्ग है।

आरोपी नं० ४ पं० श्रीलालजी काव्यतीर्थका बयान।

(१) मैं न तो गजटका प्रिंटर हूं, न लेखक हूं और न प्रकाशक हूं।

(२) गजटके अन्तमें जो मेरा नाम छपा है वह मैं जैनसिद्धांतप्रकाशक प्रेसका प्रबन्धकर्ता हूं इसलिये छपा है। उक्त लेख मुझे जैनगजट आफिससे छापने के लिये मिला था।

बालचंद रामचंद कोठारी कौन हैं ?

—:*:—

उत्तर भाग ।

जैनगजटके संचालकोंकी तरफसे पेश हुवे गवाहोंके बयान ।

श्रीमान् शेठ भगवानदास शोभाराम जी पूनाकी गवाही ।

आपने नियमानुसार ईश्वरको शपथ ग्रहण करते हुये कोर्टके पूछने पर कहा कि—मेरा नाम भगवानदास, पिताका नाम शोभाराम, जाति जैन, उम्र ५८ वर्ष, पेशा-व्यापार और निवासस्थान पूना है। श्रीयुत मजूमदार वकीलके प्रश्न करने पर आपने नीचे लिखा हुआ उत्तर देना प्रारम्भ किया—

प्रश्न—तुम फिर्यादी (बालचन्द कोठारी) को पहिचानते हो ?

उत्तर—हाँ।

प्र०—फिर्यादीके पिताने कुन्थलगिरि पर क्या कोई मन्दिर बनवाया है ?

उ०—हाँ। उसके पिताका बनवाया एक मन्दिर कुन्थलगिरि पर है।

प्र०—उस मन्दिर पर जो ध्वजा चढ़ाई जाती है उसका खर्च क्या तुम देते हो ?

उ०—हां।

प्र०—तुम कितने वर्षसे कितने रुपये प्रति वर्ष खर्च दिया करते हो ?

उ०—मैं कुन्थलगिरिके पञ्चोंको कोई ५, ६ वर्षसे २११) रु० प्रति वर्ष दिया करता हूं।

प्र०—तुमने किसके कहनेसे और क्यों मन्दिर लिया ?

उ०—मैं ध्वजा चढ़ानेका प्रबन्ध अपने हाथमें लेनेसे पूर्व आजसे ६-७ वर्ष पहले सम्वत् १९७४ या १९७५में कुन्थलगिरि पर गया था, उस समय पञ्चोंने मुझसे कहा था कि—बावीकर (फिर्यादीके ग्रामका नाम बावी है इसलिये उसे बावीकर कहा) के मन्दिरमें न तो पूजा उनके द्वारा होती है और न ध्वजा चढ़ाई

जाती है इसलिये पंचोंको इसका समस्त खर्च करना पडता है। इसी समय कुछ (पंचों) ने मुझसे यह भी कहा था कि तुम वादीकर (फिर्यादी) से कहो कि वह उसका प्रबन्ध करे और पंचोंका जो रुपया अभी तक खर्च हो चुका है उसे भी देदे। उसके बाद मैंने पूना आ कर फिर्यादीसे कुल हकीकत कही। उत्तरमें फिर्यादी बोला कि—

मुझे न तो मन्दिरकी जरूरत है और न ध्वजा चढानेकी। अतएव जो आदमी उस मन्दिरको लेना चाहे उसे पंच दे डालें।

जब कि मैं पुनः कुन्थलगिर पर गया तो फिर्यादी ने जो कुछ मुझसे कहा था वह सब पञ्चोंको कह सुनाया। पञ्चोंने मुझसे पूछा कि क्या तुम मन्दिर लेने तयार हो। उत्तरमे मैंने उसे लेना स्वीकार कर लिया।

प्र०—कुन्थलगिरिके कितने पञ्च हैं और वे कौन २ हैं?

उ०—वहांके मुख्य पञ्च तो (सेठ) कस्तूरचन्द परमचन्द परंडाकर और (सेठ) गङ्गाराम लीलाचन्दजी

है, बाकी (सेठ) रावजी सखाराम भूमकर (सेठ) नेमचन्द आदि भी पञ्च हैं।

प्र०—कुन्थलगिरिक्षेत्रका हिसाब किताब किनके पास रहता है?

उ०—सेठ कस्तूरचन्दजीके पास।

प्र०—आप क्या प्रतिवर्ष उक्त खर्च दिया करते हैं?

उ०—हां! मैं प्रतिवर्ष नियमतः खर्च देता हूं।

प्र०—आपकी आयका मार्ग क्या है?

उ०—मैं महाजनी पेशा करता हूं और मकानोंका भाड़ा आता है।

प्र०—इनकमटैक्स कितना और म्युनिस्पलटैक्स कितना देते हो?

उ०—मैं २९००) उनतीस सौ रुपये इनकमटैक्स और १८००) अठारह सौ रुपये म्युनिस्पलटैक्स देता हूं।

इस प्रकार बयान देनेके बाद फिर्यादीके वकीलने आपसे जिरह की—

प्र०—तुमने क्या दक्षिणकी यात्रा की है?

उ०—हां। मैं अभी छह मास पहिले दक्षिणको यात्रार्थ निकला था।

प्र०—तुमने इधरके जैनमन्दिरों पर ध्वजा देखी?

उ०—मैंने ध्वजाओंके विषयमें कुछ खोज नहीं की।

प्र०—ध्वजाओंके विषयमें खोज क्यों नहीं की?

उ०—मैंने ध्वजा नहीं देखी, न उनके न होनेका कारण ही तलाश किया।

प्र०—मन्दिर बनवा कर पञ्चोंके सुपुर्द प्रबन्धके लिये किए जा सकते हैं?

उ०—हां!

प्र०—पञ्चोंके हाथमें मन्दिर देनेसे क्या धर्म-विरुद्धता आती है?

उ०—नहीं, परन्तु ऐसा करनेवालेको इज्जत कम हो जाती है।

प्र०—तुमने कोठारीको मन्दिरके बदलेमें क्या कुछ दिया है?

उ०—नहीं मैंने कुछ नहीं दिया।

बेलगाम	}	(सही) आर० एन० किणी
३-८-२५		आन० फर्ष्ट क्लास मजिष्ट्रेट

श्रीमान् सेठ गंगाराम लीलाचन्द-जीकी साक्षी।

आपने अपनी उम्र ५० वर्ष, निवासस्थान बारा-मती, जिला पूना, जाति जैन बतलाते हुए श्रीयुत

मजूमदार महाशयके पूछने पर यों उत्तर देना प्रारम्भ किया।

प्र०—आप कितना इनकमटैक्स देते है ?

उ०—४६८) रुपया।

प्र०—फिर्यादीको क्या जानते हो ?

उ०—हां ! मै बालचन्द कोठारीको जानता हूं।

प्र०—फिर्यादीका क्या कोई मन्दिर कुन्थलगिरि पर है ?

उ०—हां ! उसके पिताका बनवाया एक मन्दिर कुन्थलगिरि पर है।

प्र०—आपने कुन्थलगिरि पर क्या कुछ खर्च किया है ?

उ०—हां ! मैंने करीब ५० हजार रुपये खर्च कर वहां पाठशाला और धर्मशाला करीब ५ या ७ वर्ष पहिले बनवाई है।

प्र०—वहांका प्रबन्ध कौन करते है ? और क्या तुम्हारा भी उससे सम्बन्ध है ?

उ०—वहांका प्रबन्ध पंच करते है, उनमें मेरा भी नाम है।

प्र०—हिसाब किताब किसके पास रहता है ?

उ०—श्रीमान् सेठ कस्तूरचन्द परवाडाकरके पास।

प्र०—क्या वे स्वयं हिसाब किताब रखते हैं?

उ०—नहीं। उनके नियुक्त मुनीम वहां रहते और वे हिसाब रखते हैं। नेमनाथ नरहर, गनपतिराम आदि मुनीमोंके नाम है। इनसे पहले मोतीराम गुलाबचंद मुनीम था।

प्र०—फिर्यादीके मंदिरका खर्च ध्वजा चढाने वगैरहका इस समय कौन करता है?

उ०—मन्दिरका समस्त खर्च आजकल शेठ भगवानदास शोभाराम जी देते हैं और वे ५-६ वर्षसे प्रति वर्ष २११) दो सौ ग्यारह रुपये देते है।

प्र०—इससे पहिले खर्च कौन चलाता था?

उ०—इससे पहिले पंच किया करते थे।

प्र०—क्या कोई आदमी फिर्यादीके पास खर्चका रुपया मांगने भेजा गया था?

उ०—हां। नेमिनाथ नरहरिको बालचन्द कोठारीके पास खर्चका रुपया मांगने भेजा गया था कोई ५ ६ वर्ष पहिले।

प्र०—उस समय क्या फिर्यादीने रुपया दिया था?

उ०—नहीं।

प्र०—उसके बाद पंचोंने क्या किया?

उ०—पंचोंने उसके बाद ध्वजा चढाने आदिका हक (स्वत्व) सेठ भगवानदास शोभारामजीको दे दिया।

प्र०—कुंथलगिरि पर क्या प्रत्येक मन्दिर पर इस तरहकी ध्वजा चढ़ा करती है ?

उ०—हाँ । वहां प्रत्येक मन्दिर पर ध्वजा चढ़ती है।

प्र०—क्या फियांदोसे आपकी कभी मुलाकात हुई थी ?

उ०—हां ! सेठ भगवानदासजीको मन्दिरका स्वत्व (हक) देनेसे पहिले मेरी मुलाकात पूनामें फियांदोसे हुई थी।

प्र०—फियांदोने आपसे मन्दिरके विषयमें उस समय क्या कहा था ?

उ०—उसने कहा था कि—मैंने आपके मुनीमसे जो कुछ कहना था मन्दिरके बाबत कह दिया है, बार बार मुझे दिक मत करो।

इसके बाद फियांदोके वकीलने प्रश्न करना प्रारम्भ किया तो आप उत्तर देने लगे—

वकील—पंच लोग यात्रियोंसे क्या चन्दा लेते हैं।

सेठजी—हां।

वकील—वह रुपया कहां जमा रहता है।

सेठजी—शोलापुरके सेठ हरीभाई देवकरणजीके यहां।

वकील—उक्त रुपया किस काममें खर्च होता है ?

शेठजी—यदि किसी मन्दिरका खर्च मन्दिरके निर्माताकी तरफसे नहीं आता तो इस रुपयेमेंसे खर्च होता है।

वकील—पंच लोग वहां क्या करते हैं ?

शेठजी—उस क्षेत्र पर जो लोगोंने मन्दिर बनवाये हैं उनका प्रबन्ध करते हैं।

वकील—पंचोंके ताबेमें मन्दिर देना क्या धर्म विरुद्ध है ?

शेठजी—नहीं !

३-८ २५	}	सही—आर, एन किनी
बेलगांव	}	फर्ष्ट क्लास आनरेरी मजिष्ट्रेट

श्रीयुत शेठ गुलाबचंद नान-चंदजीकी साक्षी।

आपने कोर्टके नियमानुसार कायदा पूर्ति करते हुए कहा कि—अक्कलकोट स्टेटके नागनसूर ग्रामका रहने वाला हूं और उम्र ६६ वर्षकी है। इसके बाद श्रीमान् मजूमदार महाशयके प्रश्नोंका उत्तर देना प्रारम्भ किया।

मजूमदार—क्या आप फिर्यादीको पहचानते हैं ?

शेठजी—हां।

म०—आपका और उसका क्या कुछ सम्बन्ध है?

शेठजी—हां। मेरे मा की बहिनका वह लड़का है।

म०—आप क्या शोलापुर आया जाया करते हैं?

शेठजी—हां। मैं अपने व्यापारके लिये बराबर वहां जाया आया करता हूं।

म०—फिर्यादीने क्या कोई व्याख्यान वहां दिया था?

से०—हां। करीब ५-६ वर्ष पहिले जब कि श्रीमान् पन्नालालजी ऐलक महाराजका केशलोच उत्सव शोलापुरमें हुआ था उस समय फिर्यादीने प० वंशीधरजीके सभापतित्वमें व्याख्यान दिया था।

म०—व्याख्यान किस विषय पर था।

से०—जैनसमाजके विषयमें।

म०—फिर्यादीके पिताका बनवाया क्या कोई मन्दिर कुंथलगिरि पर है?

से०—हां। है, उसे लोग 'बार्शीकरका मन्दिर' कहते हैं।

म०—उक्त मन्दिरके बाबत फिर्यादीने क्या उस समय कुछ कहा था?

से०—उस समय उसने कहा था कि—

मैं उस मंदिरको बेचनेके लिये तैयार हूं

और उस द्रव्यको गरीब लोगोंके लिये बोर्डिंग वगैरहमें लगा देनेके लिये।

म०—इस बातका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा था ?

से०—लोग असंतुष्ट मालूम पड़ते थे।

म०—इसके सिवा और कोई भी वहां कोई सभा हुई थी ?

से०—हां। दूसरे दिन सेठ हीराचन्द नेमचंदजी के सभापतित्वमें एक और सभा हुई थी।

म०—क्या आप उस सभामें गये थे ?

से०—हां, मैं उस सभामें गया था।

म०—फिर्यादीने उस सभामें क्या कोई व्याख्यान दिया था ?

से०—नहीं। केवल फिर्यादी व्याख्यान देनेके लिये खड़ा हुआ था परन्तु जो लोग वहां एकत्र हुए थे उन्होंने उसे बोलने न दिया। कारण लोग समझते थे कि यह (फिर्यादी) धर्मविरुद्ध व्याख्यान देगा।

म०—क्या सभापतिने उस समय कुछ कहा था ?

से०—हां। सभापतिने कहा था कि—उस (फिर्यादी) को व्याख्यान देनेको मैं परवानगी देता हूं।

म०—उसके बाद क्या हुआ ?

से०—उसके बाद पुलिस बुलाई गई परन्तु उप-

स्थित जनताने उसका व्याख्यान न होने दिया, लैम्प (दीपक) बुझा दिये गये और सर्वत्र अन्धेरा ही अन्धेरा हो गया।

म०—फिर्यादीकी माको क्या आप जानते है?

से०—हां।

म०—आपने उसे कहां देखा था।

से०—मैंने उसे अपनी बहिनके घर देखा था।

म०—क्या फिर्यादी और उसकी मां एकत्र दोनों जीमते है?

से०—यह मै नहीं जानता।

म०—आपकी और फिर्यादीकी माकी कुछ बात चीत हुई थी।

से०—हां। मैंने फिर्यादीकी मासे जब यह कहा था कि तुम्हारा लड़का जैनधर्मके विरुद्ध व्याख्यान देता है तो उसने कहा था कि—मेरी और उसकी (कोठारीकी) पटती (बनती सुलह) नहीं है।

फिर्यादीके वकीलने इसके बाद यों पूछना प्रारम्भ किया जिसका उत्तर शेठजीने दिया।

वकील—जैनबोधक मासिक पत्रके क्या ग्राहक हो और क्या उसे पढते हो।

शेठजी—हां। मैं उसका ग्राहक हूं और उसे पढ़ता हूं।

वकील—पन्नालालजी महाराजके केशलोचका विवरण उसमें क्या छपा है ?

श्री०—छपा होगा। मैं सिर्फ तीन वर्षसे उस पत्रका ग्राहक हूं।

व०—उक्त दोनों सभाओं और केशलोचका विवरण क्या समाचार पत्रोंमें छपा था ?

श्री०—छपा होगा।

व०—पहिली सभा कहां हुई थी और किसने बुलाई थी ?

श्री०—वह सेठ हीराचन्द नानचन्दजीके घरमें हुई थी परन्तु किसने बुलाई थी यह मालूम नहीं।

व०—तुम किसके कहनेसे सभामें गये थे ?

श्री०—मैं सेठ देवचन्द रामचन्दजीके कहनेसे सभामें गया था।

व०—क्या सभाका विज्ञापन बांटा गया था और उसका विषय आपसे कहा गया था ?

श्री०—नहीं।

व०—मन्दिर बेचनेके सिवा फिर्यादीने व्याख्यानमें और क्या कहा था ?

श्री०—वह मुझे याद नहीं है।

व०—पं० वंशीधरजी पहिले बोले या पहिले फिर्यादी।

प्रो०—पहिले पं० वंशीधरजीने कहा था और बादको फिर्यादीने।

व०—इसके बाद किसका व्याख्यान हुआ था।

प्रो०—उस दिन फिर किसीका नहीं हुआ।

व०—कुंथलगिरिके मन्दिरके प्रबन्धके विषयमें क्या कुछ जानते हो?

प्रो०—नहीं।

व०—दूसरे दिन क्या फिर्यादीका व्याख्यान हुआ था?

प्रो०—नहीं, फिर्यादी ज्यों ही बोलनेके लिये खड़ा हुआ त्यों ही वहां शोर गुल प्रारम्भ हो गया। क्योंकि उपस्थित लोगोने निश्चित किया था कि उसे बोलने न देंगे।

व०—तुमने भी क्या उसमें भाग लिया था?

प्रो०—नहीं मैं सिर्फ सुनने गया था, न कि कुछ करने।

व०—व्याख्यान न देनेवालोंमें कौन कौन थे?

प्रो—अरकुमकरके लड़के थे और भी थे परन्तु मैं किसी प्रधान पुरुषका नाम नहीं बता सका।

व०—कोठारीके व्याख्यान देनेके पक्षमें भी क्या कुछ लोग थे?

प्रो०—नहीं, मैं नहीं जानता कि थे या नहीं।

व०—तुम्हें किसने बुझाया था।

शे०—मैं नहीं जानता कि किसने बुझाया था।

व०—तुम सर्कारको कुछ टैक्स देते हो?

शे०—हां! मैं २१०) दो सौ दस रुपये मालगुजारी (फाड़ा) देता हूं।

बेलगांव } सही—आर, एन, किर्णो
३-८-२५ } फर्ष्ट क्लास आनरेरी मजिष्ट्रेट,

दूसरे दिन ता० ४ को सेठजी जब भत्ता (मार्ग व्यय) लेने कचहरी आए और ले कर बाहर आये थे कि फिर्यादीके वकीलने मजिष्ट्रेट साहबसे प्रार्थना की कि—उक्त सेठजीका लिखा एक पत्र हमारे पास पंढरपुरसे रवाना हो कर कल आवेगा, इसलिए उन्हें उस पत्रके विषयमें जब तक पूछ ताछ न कर ली जाय, बेलगांवमें ही रहने कहा जाय। मजिष्ट्रेट साहबने इस प्रार्थना पर ध्यान दे सेठजीको रहनेके लिए कह दिया। ता० ७-८-२५ को उक्त पत्र हाजिर हुआ और उस पर नीचे लिखा पूछताछ हुई।

फिर्यादीका वकील—शिवलाल मलूकचन्द आपके कौन होते हैं और उनसे आपका पत्रव्यवहार है या नहीं

सेठजी—वे मेरे साले होते हैं और उनसे मेरा पत्रव्यवहार है।

वकील—यह पत्र क्या आपका लिखा हुआ है ?

सेठजी—हां ! मेरे मुनीमने उक्त शिवलालको यह पत्र लिखा था।

वकील—इस मुकद्दमेमें गवाही देनेवाले सेठ सखाराम देवचन्दजीसे आपका क्या सम्बन्ध है और सेठ नेमिचन्द देवचन्द कौन है ?

सेठजी—सखाराम देवचन्दजी मेरी बहिनके लड़के हैं और नेमिचन्दजी उनके भाई हैं।

वकील—नेमिचन्दजीने क्या तुम्हें खास तौर पर गवाही देनेके लिये नहीं कहा ?

सेठजी—नहीं !

वकील—(पत्र दिखा कर) आपने जो यह लिखा है कि 'मुझे भरनेवाला भी वही है' इसका क्या अर्थ है ?

सेठजी—उसने मुझे झूठ बोलने कहा होगा लेकिन क्या कहा होगा सो मुझे याद नहीं है। परन्तु (यहां मजिस्ट्रेट साहबको लक्ष्य कर सेठजीने जोरसे कहा—राय साहब !)

मैंने पत्रमें स्पष्ट लिखा है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा।

ता० ७ ८ २५ } (सही) आर, एन, किणी
बेलगांव } फर्स्ट क्लास आनरेरी मजिस्ट्रेट

नेमिनाथ नरहर मुनीम कुंथल-गिरिक्षेत्रकी साक्षी।

कोर्टके नियमानुसार शपथग्रहणके बाद अपनी उम्र ५२ वर्ष, पेशा—खासगी नौकरी, जाति जैन बत लाते हुए श्रीयुत मजूमदार वकीलके पूछने पर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया।

प्र०—तुम क्या फिर्यादी और उसके मन्दिरको जानते हो?

उ०—हां! मैं फिर्यादीको जानता हूं, उसका कुंथलगिरि पर एक मन्दिर है?

प्र०—कुंथलगिरि पर सब कितने मन्दिर हैं?

उ०—वहां कुल दश जैनमन्दिर हैं,

प्र०—तुम वहां कबसे क्या काम करते हो, और किसकी आज्ञासे करते हो?

उ०—मुझे आजसे दश साल पहले पञ्चोंने मुनीम नियुक्त किया था क्योंकि वहांकी समस्त देखभाल पञ्चोंके अधीन है इसलिए मैं जो यात्री चन्दा लिखा जाते थे उसको उगानेका काम करता रहता हूं।

प्र०—उस क्षेत्र पर कुल कितने मन्दिर हैं और उनमें पञ्चोंके बनवाए कितने हैं?

उ०—पञ्चोंने केवल एक मन्दिर बनवाया है, बाकी सब (नौ) खास खास लोगोंने बनवाये हैं ।

प्र०—उन सब मन्दिरों पर क्या प्रतिवर्ष ध्वजा चढ़ाई जाती है? और क्या उनका सब खर्च पञ्च करते है ?

उ०—हां । उन कुल मन्दिरो पर ध्वजा प्रतिवर्ष चढ़ाई जाती हैं परन्तु उनका ध्वजा चढ़ाने आदिका कुल खर्च पंच उसी हालतमें अपने पाससे करते हैं जब कि मन्दिरके निर्माता मालिक नहीं रहते। ऐसे मन्दिर सिर्फ दो है एक इन्दोरका (इन्दोरके रहनेवाले) किसी महाशयका और दूसरा चन्द्रप्रभ स्वामीका । इन दोनों मन्दिरोंके मालिक मर चुके है ।

प्र०—वहां क्या और भी कोई मुनीम है ?

उ०—हां । गनपति नामक एक और मुनीम है जो सेठ कस्तूरचन्दजीके आज्ञाधीन रह कर हिसाब किताब रखता है ।

प्र०—फिर्यादी (बालचन्द कोठारी) पर क्या उसके मन्दिरकी बाबतका कुछ रुपया पंचोंका पावना है। और उसे उगाने भी क्या तुम गये थे ।

उ०—हां । वादीकर (फिर्यादी) पर पंचोंका पांच सौ या ५५० साढे पांचसौ रुपया पावना है जिसको कि उन्होंने फिर्यादीके मन्दिरमें खर्च किया था । मैं उसको

उसने फिर्यादीके पास माढा (शोलापुर जिलेका एक ग्राम) गया था क्योंकि इस जगह फिर्यादीकी बहिनका सासुरा (घर) है और वह उस समय वहां आया था।

प्र०—क्या उस समय कोठारीसे तुमने तगादा किया था।

उ०—हां। मैंने उससे तगादा किया था परन्तु उसने मुझे उत्तरमें कहा कि—मेरे गाव [बावी]में आओ।

प्र०—माढा कितने दिन पहिले गये थे ?

उ०—मैं लगभग सात वर्ष पहिले माढा [शोला-पुर] गया था।

प्र०—फिर तुम तगादा करने बावी [फिर्यादीके गाव] कब गये थे और तब फिर्यादी क्या बोला।

उ०—माढा जानेके कोई दो तीन मास बाद मैं फिर्यादीके पास बावीमें गया था जहां कि उसका घर है। परंतु फिर्यादी उस समय घर पर हाजिर न था। मैं जिस समय पहुंचा, सुबहका वक्त था, फिर्यादी दुपहरको घर आया। मैंने उससे मन्दिरके खर्चके रुपये देनेके लिये कहा। फिर्यादी उत्तरमें बोला कि—

"मुझे मंदिरकी जरूरत नहीं है, मैं उसका कुछ खर्च नहीं दूंगा।" जब मैंने उससे बकाया रुपया देनेके लिये कहा तो उस (फिर्यादी) ने क्रोधपूर्ण स्वरमें कहा कि—

"मंदिर बेच कर अदा कर लो।"

प्र०—तुमने उस दिन कहां जीमा ?

उ०—मैंने उस दिन फिर्यादीकी माताके यहां जीमा। फिर्यादीकी रसोई भिन्न जगह थी इसलिये वह [फिर्यादी] वहां जीमा।

प्र०—तुमने फिर्यादीके यहां क्यों नहीं जीमा ?

उ०—फिर्यादीके बिछोने आदि बिछाते मुझे महार [अस्पृश्य शूद्रों का एक भेद, हिन्दीमें इन्हें भङ्गी कहते है] दीख पड़े थे इसलिये मैंने फिर्यादीके यहां नहीं जीमा।

प्र०—तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि वे महार (भंगी) थे ?

उ०—मुझे उन लोगोंने ही कहा था कि—

हम महार (भंगी) हैं और फिर्यादी (कोठरी के यहां नौकर हैं।

प्र०—फिर तुम उसकी माके यहां ही कैसे जीमे ?

उ०—माताने मुझसे कहा था कि—

वह (माता) अलग रसोई बना कर खाती है इसलिये मैं उसके यहां जीमा।

प्र०—फिर्यादीकी माताको क्या तुम पहचानते थे ?

उ०—हां। वह कुंथलगिरि पर आयी थीं इसलिए वे मेरी परिचित थीं।

प्र०—आजकल फिर्यादीके मन्दिरका कुल खर्च कौन चलाता है।

उ०—पूनाके शेठ भगवानदास शोभारामजी।

इस प्रकार बयान होनेके बाद फिर्यादीके वकीलने जिरह करना प्रारंभ किया और गवाहने उत्तर दिया—

प्र०—तुम्हारी जाति क्या है? और फिर्यादीकी क्या है?

उ०—मेरी मेतवाल और फिर्यादीकी दशा हूमड जाति है।

प्र०—इन दोनों जातियोंमें क्या रोटी व्यवहार है?

उ०—नहीं, परन्तु छुक छिपकर कोई कोई करते हैं।

प्र०—तुम हूमडोंके यहां रोटी खाते हो या नहीं?

उ०—यदि दूधकी दशमी (रोटी या पकवान) बनायी जाती है तो मैं हूमडोंके यहाँ जीमता हूं।

प्र०—फिर्यादीकी माताने क्या तुमसे भोजन करने कहा था?

उ०—हां। उन्होंने मुझे अपने यहां जीमनेके लिये सुबह करीब ८ या ९ बजे ही निमन्त्रण दे दिया था।

प्र०—फिर्यादीकी माताकी कहां और फिर्यादीकी कहां रसोई बनायी गई थी ?

उ०—माताने सीढियोंके पासकी कोठरीमें रसोई बनायी थी और फिर्यादीकी रसोई भीतरी कोठरीमें बनी थी।

प्र०—महार (भंगी) तुमने कब देखे थे, क्या कर रहे थे ? और कितने थे ?

उ०—मैंने उन्हें (भंगियोंको) सुबह करीब आठ बजे बिस्तर (बिछौने) आदि बिछाते थे, वे दो थे।

प्र०—तुम क्या बिछौने पर बैठे थे ?

उ०—नहीं, मैं खाली जमीन पर बैठा था।

प्र०—वे महार (भंगी) अस्पृश्य बोर्डिंगके तो न थे ?

उ०—नहीं, उस समय तक तो बोर्डिंग खुला ही न था।

प्र०—महार कहां तक जाते तुमने देखे ? और क्या करते देखे।

उ०—वे दोनों महार जाते तो सिर्फ बरंडा तक देखे थे और काम करते उपर्युक्त अनुसार (बिछौना आदि बिछाते) देखे थे।

प्र०—तुम्हारे यहां क्या महार ये काम करते हैं ? और यदि करें तो क्या समस्त घर अपवित्र नहीं हो जायगा ।

उ०—हमारे यहां घरोंमें महार लोग उपर्युक्त काम नहीं करते और यदि करें तो उससे समस्त घर अपवित्र हो जाता है या नहीं मैं नहीं कह सका ।

प्र०—तुम्हारी तनखा क्या है ? और क्या तुमने कभी तीर्थका हिसाब किताब भी रखा था ?

उ०—मैं २३) तेतीस रुपये प्रतिमास पाता हूं । मैंने तीर्थ पर कभी हिसाब किताब (बहीखाता) लिखनेका काम नहीं किया ।

प्र०—पंचोंने क्या फिर्यादीके लिये लिख कर तुम्हें कोई पत्र दिया था ?

उ०—हां पंचोंने एक पत्र लिख कर मुझे फिर्यादीके लिए दिया था ।

प्र०—चिट्ठी नूद (बारनिशी) क्या तेज पर है ?

उ०—मुझे नहीं मालूम, है या नहीं ।

प्र०—बकाया रुपया किस बाबतका था ? और कितने समय तकका था ?

उ०—मन्दिरमें नौकर चाकर आदिका जो खर्च होता है उसी बाबतका बकाया था परन्तु यह नहीं मालूम कि वह कबसे कब तकका खर्च लगा कर चिट्ठा बनाया गया था ।

प्र०—मन्दिरका खर्च क्या पंचोंको करना लाजिमी नहीं है ?

उ०—मैं नहीं जानता कि वह पंचोंको करना लाजिमी है या नहीं ।

प्र०—कोठारी या कोठारीके पिता प्रतिवर्ष कितना खर्च किया करते थे ?

उ०—मुझे नहीं मालूम कि कितना करते थे ।

प्र०—तुम हिसाबकी विगत साथ ले गये थे ?

उ०—नहीं, मैं विगत नहीं ले गया था ।

प्र०—फिर्यादीने तुमसे पंचोंकी व्यर्थ व्यय करने बाबत शिकायत की थी ? और क्या विगत भी मांगी थी ?

उ०—नहीं, उसने मुझसे पञ्चोंकी कुछ भी शिकायत नहीं की, और न रुपयेकी विगत (ब्योरा) ही पूछी ।

प्र०—हिसाब किताब कहां रहता है ?

उ०—कुंथलगिरि क्षेत्र पर ।

प्र०—इन्दोरकर (इन्दोरवासी वे महाशय जिनका बनाया मन्दिर कुंथलगिरि पर है) क्या जीवित हैं ?

उ०—नहीं, वे मर चुके हैं ।

प्र०—तुमसे और फिर्यादीसे क्या झगड़ा हुआ था ?

उ०—नहीं, फिर्यादीसे मुझसे उक्त विषयको ले

का कोई झगड़ा नहीं हुआ, केवल उतनी ही बात-चीत हुई जो मैंने पहिले कही है।

प्र०—जब तुम तगादा करने गये तब नौकरी पर आए कितने दिन हुए थे ?

उ०—तब मुझे कुल छह महीने नौकरी करते हुए थे।

बेलगाम	}	(सही) आर० एन० किणी
५-८-२५		फर्स्ट क्लास आनरेरी मजिस्ट्रेट

पं० शान्तिनाथजी न्यायतीर्थकी साक्षी।

—※—

आपने अपने पिताका नाम ब्रह्मनाथ, जाति जैन उम्र ३० वर्ष, पेशा अध्यापकी, वासस्थान, शेडवाल, जिला बेलगांव बतलाते हुए नीचे लिखे प्रकार श्रीयुत मजूमदार वकीलके प्रश्नोंका उत्तर देना प्रारम्भ किया।

प्र०—आपने संस्कृतकी कौन कौनसी परीक्षाएं पास की हैं, और इस समय क्या काम करते हैं, कितनी आमदनी है ?

शा०—मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटीकी न्यायतीर्थ और बड़ोदाकी शास्त्री परीक्षा पास है। मैं शेड-वालमें अध्यापकीका कार्य करता हूं, मुझे वहां ५५)

रुपये मासिक मिलते हैं। मेरे कुछ जमीन भी है जिसकी आमदनी प्रतिवर्ष दो हजार रुपये है।

म०—फिर्यादीको कबसे पहिचानते हो।

आ०—मैं उसे सन १९०९ या १० से पहिचानता हूं।

म०—हिन्दी जानते हो?

आ०—हां। मैं हिन्दी जानता हूं, उसे पढ़ भी सकता हूं।

म०—जैनगजटमें जो लेख ता० २२-१-२५ के अङ्कमें छपा है "बालचन्द रामचन्द कोठारी कौन है" उसे क्या आपने पढ़ा है?

आ०—हां, मैंने उसे पढ़ा है?

म०—'धरेजा' और 'करावा'के अर्थमें क्या अन्तर है? मराठीमें उनको क्या कहते हैं? विधवाविवाहमें और धरेजामें क्या भेद है?

आ०—धरेजा और करावा दोनों शब्दोंका एक अर्थ है। मराठीमें उन्हें 'पाट' अथवा 'मुहुतूर' कहते हैं। धरेजा और विधवाविवाह भी समानार्थक है।

म०—उस लेखमें जो 'हाथ साफ करना चाहते हैं' यह वाक्य है उसका क्या अभिप्राय है?

आ०—उसका अभिप्राय "कब्जा या अधिकार करना चाहते हैं" यह है।

म०—इस लेखको पढ़ कर फिर्यादीके आचार विचारके विषयमें आपका क्या अभिप्राय हो गया ?

शा०—इस लेखको पढ़ कर फिर्यादीके आचार विचारके सम्बन्धमें मेरा कुछ भी अभिप्राय (मत) नहीं बदला, कारण मैं फिर्यादीके आचार विचारको इस लेखके पढनेसे पूर्व ही जानता था कि वह जैन धर्मके विरुद्ध हैं।

म०—फिर्यादीके धर्म विरुद्ध आचार विचार आपने कहां देखे ?

शा०—आजसे कोई ५-६ साल पहिले तासगांवमें एक सभा हुई थी जिसमें फिर्यादीने 'सत्यशाधक समाज' के विषयमे व्याख्यान दिया था। मैं उस सभामें हाजिर था। यह सभा सायंकालको कोई ५ बजेके करीब खतम (पूर्ण) हुई थी। उसके बाद मैं फिर्यादीके साथ उसी गांव (तासगांव) के 'महारवाडा' (भङ्गियोंका मुहल्ला) में गया। फिर्यादीके साथ उस समय एक और महाशय थे। फिर्यादीने वहां जा कर भङ्गियोंको उपदेश दिया कि—

'तुम लोग ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ हो।' इसके बाद 'पार्वती' नामक एक महार (भङ्गी) ने फिर्यादीसे 'चाय पीने' की प्रार्थना की जिसे स्वीकार कर

फिर्यादीने उस महार (भगी) के हाथका बना कर लाई हुई, चाय पीली।

म०—उस समय और भी किसीने चाय पी थी ?

शा०—हां। साथमें जो दूसरे महाशय थे उन्होंने पी थी।

म०—आपने भी क्या पी थी ?

शा०—नहीं, मैंने उसे नहीं पीया।

म०—फिर क्या हुआ ?

शा०—उसके बाद फिर्यादी शहरमें चला गया और मैं अपने घर (शास्त्रीजीका घर तामगांवमें है) आया।

म०—फिर्यादी क्या दि० जैनसमाजका नेता है ?

शा०—नहीं, वह (बालचन्द कोठारी) दि० जैनसमाजमें नेता नहीं माना जाता, बल्कि उसके धर्मविरुद्ध आचार विचार हैं इसलिये घृणाकी दृष्टि-से देखा जाता है।

बेलगांव } (सही) आर, एन, किणी
५-८-२५ } फर्स्ट क्लास आनरेरी मजिस्ट्रेट

ता० ५-८-२५ को कोर्ट बन्द होनेका समय हो जानेसे और दूसरे दिन छुट्टी होनेके कारण ता० ७-८-२५ को फिर्यादीके वकीलने जिरह करना प्रारम्भ किया जिसका उत्तर शास्त्रीजीने इस प्रकार दिया।

प्र०—कोल्हापुरमें क्या पण्डित लालारामजी (आसामी नं० २) ने तुम्हें पढ़ाया था ?

उ०—नहीं। मुझे उन्होंने नहीं पढ़ाया।

प्र०—हिन्दी भाषाकी क्या कोई परीक्षा तुमने दी है?

उ०—नहीं।

प्र०—हिन्दीमें कोई पुस्तक लिखी है?

उ०—नहीं।

प्र०—हिन्दी आपकी मातृभाषा है?

उ०—नहीं, हिन्दी मेरी मातृभाषा नहीं है परन्तु मैंने मुरैना पाठशालामें संस्कृतके साथ उसका अभ्यास किया है।

प्र०—'हाथ साफ करने' का अर्थ जो आपने बतलाया है वह किसी पुस्तकमें दिखा सकते हैं?

उ०—नहीं।

प्र०—'विवाह' शब्द कौनसी धातुसे बना है और उसका क्या अर्थ है?

उ०—विवाह 'वह' धातुसे बना है और उसका अर्थ 'कन्याका वरण करना' है।

प्र०—धरेजा और विवाहमें क्या अन्तर है?

उ०—विवाहमें धार्मिक उत्सव किया जाता है और धरेजा अथवा करावामें कोई धार्मिक उत्सव नहीं होता।

प्र०—नं० २ ३·४ के आसामियोंको कबसे जानते हो और उनसे कहां पहिचान हुई थी।

उ०—मैं उन्हें करीब ८-९ सालसे जानता हूं, मेरी उनकी पहिचान बनारसमें हुई थी।

प्र०—क्या दि० जैनसमाज अथवा दिगम्बर महासभामें पण्डितपार्टी और बाबूपार्टी दो पार्टी नहीं हैं।

उ०—नहीं, कोई पार्टी नहीं है।

प्र०—गत दिसम्बर मासमें जो शेडवालमें महासभा हुई थी उसमें क्या उक्त दोनों पार्टियां नहीं थी।

उ०—नहीं।

प्र०—आपने उस सभामें काम नहीं किया था?

उ०—नहीं, मैंने उसमें कुछ काम नहीं किया, मैं तो प्रतिनिधि था।

प्र०—सब्जैक्टकमेटीके चुनावमें मतभेद था?

उ०—हां! लोगोंकी भिन्न भिन्न सम्मतियां थीं।

प्र०—महासभाने तब क्या किया?

उ०—महासभाने सर्वसम्मतिसे पांच आदमियोंकी एक कमिटी बना दी जिसमें फिर्यादीका भी एक नाम था।

प्र०—यह जो लेख जैनगजटमें छपा है (यहां जैनगजटका वह लेख दिखलाया गया जिस पर करीब शेडवालके ७० आदमियोंकी सही है। देखो ता० १२-१-२५ का जैनगजट पृष्ठ १६१) वह क्या तुमने पढ़ा है और उस पर तुम्हारे दस्तखत हैं?

उ० - हां ! वह जिस समय मेरे पास हस्ताक्षर करानेके लिए लाया गया था उस समय जल्दी जल्दी पढ़ा था और उस पर मैंने हस्ताक्षर कर दिये थे। लेखका मजमून मैंने देख लिया था।

प्र०—इस लेखको तुम्हारे पास कौन लाया था और इसे किसने लिखा था, जिस समय तुम्हारे पास लाया गया, उस पर किसीके हस्ताक्षर थे या नहीं?

उ०—मुझे याद नहीं कि इस लेखको कौन मेरे पास लाया था और न यह जानता हूं कि उसे किसने लिखा था। जिस समय वह मेरे पास लाया गया था उसके नीचे कुछ लोगोंके हस्ताक्षर थे।

प्र०—इस लेखमें 'पण्डितपार्टीका बहुमत था' ऐसा लिखा गया है यह तुम्हें मालूम है?

उ०—मुझे याद नहीं कि उस लेखमें यह वाक्य था वा नहीं।

प्र०—इस लेखमें फिर्यादी (कोठारी) के गुण दोषका विवेचन है यह तुम्हें मालूम था?

उ०— नहीं, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया।

प्र०—इस लेखमें 'आपने पिता द्वारा बनवाये गये मन्दिरकी भट्टी चमारोंके हाथ बेचनेवाले' जो लिखा गया है, वह कोठारी (फिर्यादी) को उद्देश्य कर लिखा गया है न।

उ०—नहीं, वह कोठारो (कियांदी) को उद्देश्य कर नहीं है।

प्र०—तब वह किसको उद्देश्य कर है ?

उ०—मैं नहीं कह सक्ता कि वह किसको उद्देश्य कर है।

प्र०—प्रथम दिन सभामे कितने व्याख्यान हुए ? और दूसरे दिन कितने ?

उ०—पहिले दिन तीन व्याख्यान हुए और दूसरे दिन एक भी नहीं।

प्र०—दूसरे दिन सभाकी बैठक कै घण्टे हुई थी ? और उसमें क्या हुआ ?

उ०—दूसरे दिन सभा तीन घण्टे हुई थी और लोग भिन्न भिन्न बोल रहे थे।

प्र०—मन्दिर विक्रीका अभियोग किस व्याख्याता पर लगाया गया है ?

उ०—उसका किसी व्याख्यातासे संबंध नहीं है।

प्र०—सभाका मुख्य प्रबन्ध किसके हाथमें था ?

उ०—बालगौडा (पाटील ग्रेडवाल) के हाथमें।

प्र०—जिस पाठशालामें तुम पढाते हो उससे उनका क्या सम्बन्ध है ?

उ०—बालगौडा रत्नत्रय संवर्धक सभाके उपमन्त्री है और उस सभाके अधीन वह पाठशाला है जिसमें मैं पढाता हूं।

प्र०—'तासगांवमें फिर्यादीने महार वाडे (भंगि-योंके घर)में चाय पी' यह बात क्या तुमने आसामि-योंसे पहिले कही थी।

उ० आसामी नं० ३ और ४ (पं० मक्खनला-लजी और पं० श्रीलालजी) मुझे जिस समय खंडेलवाल सभामें मिले थे उस समय मैंने उनसे तासगांवमें फिर्यादीकी चाय पीनेकी बात नहीं कही थी, उसका आचरण अधार्मिक है सामान्यतया इतना ही कहा था। परन्तु ज्येष्ठ सुदी ५से ८मी तक शास्त्रिपरिषद्का अधिवेशन जो ऐनापुर (बेलगांव) में हुआ था उस समय मैंने तासगांवका उक्त समाचार (हाल) उनसे कह दिया था।

प्र०—तासगांवमें जो महारोंकी सभा भरी थी उसमें कितने महार और कितने स्पृश्य थे।

उ०—उसमें कोई ५०-६० तो महार (भंगी) थे और मै खुद, फिर्यादी (बालचंद कोठारी) और कोल्हापुरका एक आदमी इस प्रकार तीन स्पृश्य थे।

प्र०—जिस समय फिर्यादीने चाय पी उस समय कितने महार थे और उस समय क्या तुमने चाय न पीनेके लिये उसे कुछ सलाह दी थी ?

उ०—फिर्यादीके चाय.पीते समय कोई ५-६, महार (भंगी) रह गये थे, मैंने चाय न पीनेके लिये उसे कोई सलाह नहीं दी।

प्र०—तुमने इस बातको कहीं प्रकाशित कराया था ?

उ०—नहीं, मैंने प्रकाशित (छपाया) तो नहीं कराया, परन्तु कुछ लोगोंसे अवश्य कहा था जिनके नाम मैं नहीं बता सक्ता।

प्र०—पार्व तो महार गधार्की ट्रेन यहां आया है ?

उ०—नहीं। मैंने उसे हालमें (इन दिनों)में नहीं देखा है।

प्र०—हिन्दीमें षष्ठी और द्वितीया विभक्तीके चिह्नोंमें कुछ फर्क है ?

उ०—नहीं।

प्र०—'आपके घर' इस वाक्यमें कौनसी विभक्ती है ?

उ०—षष्ठी।

प्र०—'आपकू' मैं मिलना चाहता हूं" इस वाक्यमें कौनसी विभक्ती है ?

उ०—द्वितीया।

फिर्यादीका वकील जिस समय जिरह बन्द कर बैठ गया तो श्रीयुत मजूमदारने सन्देहनिवारणार्थ प्रश्न किया कि—

दूसरे दिन महासभामें क्या कार्रवाही हुई थी ?'

इसका उत्तर शास्त्रीजोने दिया कि उस दिन लोकल कमिटोके मेंबरोंके चुनाव पर वाद विवाद होता रहा था।

इसके बाद श्रीमान् मजिष्ट्रेट साहबने पूछना प्रारम्भ किया।

प्र०—महासभामें कमेटो (जो पांच आदमियोंकी चुनी गई) चुननेके लिये क्या कोई प्रस्ताव किया गया था?

उ०—नहीं, कमेटो चुननेका कोई प्रस्ताव नहीं किया गया। वादविवादमें उनकी नियुक्ति हुई और फिर किसीने कोई निषेध नहीं किया।

प्र०—तासगांवमें महारोंने क्या तुम्हें भी पीनेके लिये चाय दी थी?

उ०—नहीं। मैं फिर्यादीके पीछे ४-५ हाथकी दूरी पर था।

प्र०—सभा कहां हुई थी?

उ०—सभा खुली जगहमें हुई थी परन्तु वह जगह महारवाडे (भंगियोंके वासस्थान) में ही थी।

प्र०—सभासे आनेके बाद तुमने स्नान किया था।

उ०—नहीं।

बेलगाम
७-८-२५

सही) आर, एन, त्रिम्बी,
फर्ष्ट क्लास आनरेरी मजिष्ट्रेट

श्रीयुत नारायण गंगाधर खरेकी साक्षी।

—.*:-

ईश्वरकी शपथ लेनेके बाद अपना धर्म हिन्दू, जाति ब्राह्मण उम्र ४४ वर्ष, पेशा समाचारपत्रोंका एजेंसी, निवासस्थान पूना बतलाते हुये श्रीयुत मजूमदार वकीलके पूछने पर कहना प्रारम्भ किया।

म०—तुम सन्देश पत्रके एजेण्ट थे।

ना०—हां।

म०—तुम फिर्यादीको जानते हो, वह उसका ग्राहक था या नहीं।

ना०—हां। वह सन्देशका ग्राहक था।

म०—ता० ४-६ १८१८के सन्देशपत्रको फायल तुम्हारे पास है और क्या उसे पेश करते हो।

ना०—हां। (इस पत्रमें 'बालचन्दो अत्याचार' हेडिंग देकर पंढरपुरमें जो फिर्यादीने जैनमन्दिर और विठ्ठोवाके मन्दिरमें भंगी चमारोंको घुसानेका प्रयत्न किया था तथा भंगी चमारोंके साथ खानेकी प्रतिज्ञा की थी उसीका विस्तृत विवरण छपा हुआ है)

फिर्यादीके वकीलने जब पेश किये गये समाचारपत्रकी जिम्मेदारीका प्रश्न किया तो गवाहने कहा—

पृष्ठ ४ पर 'बालचन्द्री' नामका जो लेख छपा है उसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है, न मैं उसके लेखकको पहिचानता हूं और न उसकी सत्यता असत्यताके विषयमें कुछ जानता हूं।

बेलगाम
७-८-२५

(सही) आर, एम, किणी,
फर्स्ट क्लास आनरेरी मजिस्ट्रेट.

श्रीमान् शेठ फूलचन्द हीराचंद जी शाह संपादक 'हूमड़-बन्धु' की साक्षी।

—*—

आपने कोर्टकी कायदे-पूर्ति करनेके बाद अपनी उम्र ३२ वर्ष, जाति हूमड़, पेशा व्यापार और निवासस्थान शोलापुर बताते हुए श्रीयुत मजूमदार वकीलके प्रश्नोंका इस प्रकार उत्तर देना प्रारम्भ किया।

प्र०—आप क्या फिर्यादीको पहिचानते हैं?

उ०—हां! मैं उसे पहिचानता हूं, उसकी और मेरी जाति एक है।

प्र० सखाराम देवचन्दजी और उनके भाई नेमिचन्दजीको जानते हैं?

उ०—हां ! मैं उन्हें जानता हूं।

प्र०—नेमिचन्द्रजीका फिर्यादीसे क्या सम्बन्ध है ?

उ०—वह उनके पट्ट शिष्य हैं।

प्र०—आप क्या कोई मासिक पत्र निकालते हैं ?

उ०—हां ! मैं गत दिवालीसे 'ज्ञमङ्बन्धु' नामक एक मासिक पत्र निकालता हूं।

प्र०—फिर्यादीके तरफसे आपको क्या कोई नोटिस मिला है ?

उ—हां ! मुझे एक नोटिस मिला है और वह यह है (यहां आपने एक पोष्टकार्ड पेश किया) मैंने मार्गशीर्ष और पौषके संयुक्त अंकमें पृष्ठ १२ पर जो संपादकीय टिप्पणी लिखी है उसीको लक्ष्य कर यह नोटिस दिया गया है। फिर्यादीका कहना है कि उसने गत दिसम्बर १८२४में जो बेलगाममें महामण्डल हुआ था उसमें कुछ नहीं कहा। जिस अङ्कमें वह टिप्पणी छपी है वह यह है (यहां 'ज्ञमङ-बन्धु' का मार्गशीर्ष पौषका संयुक्त अङ्क पेश किया)

प्र०—नोटिस मिलनेके बाद आपसे क्या नेमिचन्द्र मिले थे ? और क्या कहा था ?

उ—नोटिस पानेके बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उस समय उन्होंने (नेमिचन्द्रने) कहा था कि—"तुम इस केशमें फिर्यादी कोठारीके विरुद्ध

गवाही मत दो, यदि दोगे तो (फिर्यादी) तुम पर भी फिर्याद (केश) करेगा।" मैंने उत्तर दिया कि— "मैं जो कुछ सत्य है उसे कहूंगा।"

प्र०—फिर्यादीने क्या कभी कोई व्याख्यान शोलापुरमें दिया था ?

उ०—हां। आजसे ५-६ साल पहिले श्रीपन्नालाल ऐलक महाराजके केशलोंचके समय फिर्यादीने शेठ हीराचन्द अमीचन्दजी (शोलापुर) के घरमें छत पर सामाजिक विषय पर एक व्याख्यान दिया था इस व्याख्यानमें उस (फिर्यादी) ने कहा था कि—मन्दिरोंके बनवानेकी कोई जरूरत नहीं है।

मैं स्वयं अपने मन्दिरको बेच देनेके लिये तत्पर हूं।

और उसकी आई कीमतको शिक्षामें व्यय करनेके लिये। इस सभामें पं० वंशीधरजी सभापति थे।

प्र०—फिर्यादीका कोई अस्पृश्य बोर्डिङ्ग है ?

उ०—हां। वार्शी (फिर्यादीके गांवका नाम है) में उसने एक अस्पृश्य बोर्डिङ्ग करीब दो वर्षसे चालू कर रखा है।

प्र०—उसके सुपरिण्टेण्डेण्टको आप जानते हैं ?

उ०—हां! उसका नाम शिङ्गप्पा ऐदाले है। वह जातिका महार (भङ्गी) है।

प्र०—आपने उक्त ऐदाले और फिर्यादीको कभी साथ देखा था ?

उ०—हां ! आजसे कोई सवा वर्ष पहिले मैंने ऐदाले और फिर्यादी (कोठारी) को एक साथ रेलमें बैठे देखा था। वे दोनों एक ब्येसरो (कंपार्टमेंट) में थे और मैं दूसरेमें था।

प्र०—वे और आप कहांसे जा रहे थे और कब चले थे।

उ०—हम लोग पूनासे कोई सवा आठ बजे सुबह चले थे। मैं शोलापुर जा रहा था। ऐदाले और फिर्यादी कोई दुपहरको साढ़े तीन बजे कुरुदवाडी (ष्टेशन) पर उतर गये थे।

प्र०—फिर्यादीने बीचमें क्या नास्ता (भोजन) किया था ? और किया था तो क्या ?

उ०—हां ! उन दोनों (कोठारी) और ऐदाले (महार) ने धौंड ष्टेशन पर नास्ता किया था।

ऐदाले (साथका अस्पृश्य) होटलसे पूडी तथा अन्य खानेकी चीजें लाया था और फिर रेलमें ही उन दोनोंने एक साथ बैठ कर उन्हें खाया था।

प्र०—आप क्या जैनगजट पढ़ते हैं और उसमें "बालचन्द रामचन्द कोठारी कौन है" यह लेख पढा है ? उसे पढनेके बाद आपके विचार फिर्यादीके चाल चलनके बाबत कैसे हो गये थे ?

उ०—हां! मैं जैनगजट पढ़ा करता हूं, उसमें छपे "बालचन्द रामचन्द कोठारी कौन है" इस लेखको भी मैंने पढ़ा है। उसे पढ़ लेनेके बाद मेरे विचार फिर्यादीके चाल चलनेके विषयमें पहिले जैसे थे वैसे ही बने रहे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि महारों (भङ्गियों)के साथ खान-पान और छूआ छूत करनेके बाबत जैसा इस लेखमें लिखा गया है फिर्यादीके आचार विचार वैसे ही हैं यह मुझे पहिले ही मालूम था।

इसके बाद फिर्यादी (बालचन्द) ने स्वयं आपसे जिरह करना आरम्भ किया और आपने इस प्रकार उत्तर दिया—

बा०—शोलापुरमें हीराचंद देवचंदका बनवाया जो रत्नत्रय नामक मन्दिर है उसके विषयमें जो पंचों और मन्दिरके मालिकमें झगडा चला था उसको आपको क्या खबर है?

शेठजी—हा! वह मन्दिर शेठ हीराचन्द सखारामजीका बनवाया हुआ है परन्तु "पंचोंके हाथमें वह मन्दिर दे देना चाहिये" ऐसा लोग किस हेतुसे कहते थे यह मुझे मालूम नहीं।"

बा०—पंचोंके सुपुर्द मन्दिर कर देना ठीक है या नहीं?

प्रे०—मैंने इस विषय पर कुछ विचार नहीं किया है।

वा०—आप पण्डित पार्टीमें शामिल हैं न ?

प्रे०—नहीं।

वा०—आपने उसकी पक्ष ली तो है।

प्रे०—नहीं, मैंने कभी उस (पण्डितपार्टी) का पक्ष ग्रहण नहीं किया।

वा०—'हूमड़-बन्धु' के पृष्ठ ८ पर जो 'संपादकीय स्फुट विचार' लिखे गये हैं उनका लेखक कौन है ?

प्रे०—उनका लेखक मैं हूं।

वा०—उक्त लेखमें बाबूपार्टीके दोष बतलाये गये हैं न ?

प्रे०—नहीं, उसमें सिर्फ धार्मिक पार्टीसे उस पार्टीका भेद बतलाया गया है।

वा०—धार्मिकपार्टी किसे कहते है ?

प्रे०—जो धर्ममार्ग पर चलती है।

वा०—पण्डितपार्टी उसीका नाम है न ?

प्रे०—नहीं, मैं नहीं जानता कि पण्डितपार्टी क्या चीज है।

वा०—आपने पृष्ठ ११ (हूमडबन्धु) पर पंडित पार्टीका फिर उल्लेख कैसे किया है।

प्रे०—वहां मैंने लोगोंकी समझका उल्लेख किया है कि 'पंडित पार्टी नामकी एक पार्टी भी है ऐसा वे कहते हैं'।

बा०—नं० ४ के आरोपी (पं० श्रीलालजी) के साथ बलसंग (शोलापुर) आप प्रेसकी सहायतार्थ रुपया इकट्ठा करने गये थे ?

से०—हां। परन्तु प्रेसकी सहायतार्थ नहीं, बल्कि संस्थाकी सहायतार्थ गया था और वह पब्लिक संस्था है।

बा०—आपने अपने मासिक पत्र (जैनबन्धु) में उक्त संस्थाकी सहायतार्थ लोगोंसे अपील की थी ?

से०—हां।

बा०—पं० श्रीलालजी शोलापुरमें किसके यहां ठहरे थे ?

से०—मुझे नहीं मालूम।

बा०—उन्होंने (श्रीलालजीने) जो अपने भ्रमण-की रिपोर्ट छपाई है वह आपने पढ़ी है ?

से०—नहीं।

बा०—पट शिष्य किसे कहते हैं ?

से०—जिसके आचार विचार ठीक गुरुके से हों।

बा०—नेमिचन्द देवचन्दने अस्पृश्योंके साथ खान पान करनेका कभी पत्रिकामें उपदेश दिया है ?

से०—नहीं।

बा—वे (नेमचन्द देवचन्द) क्या विधवाविवाह-के पक्षपाती हैं ?

शे०—हां।

वा०—उन्होंने इसका पब्लिकमें उपदेश दिया है?

शे०—नहीं।

वा०—फिर आप कैसे समझते हैं कि वे विधवा-विवाहके पक्षपाती हैं?

शे०—उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत (प्राइवेट) इस विषयमें कहा है।

वा०—उनके इन विचारोंको अन्य भी कोई जानता है?

शे०—दूसरोंको तो मुझे मालूम नहीं, परन्तु उनके (नेमचन्द देवचन्दके) भाई सखाराम देवचंदने मुझसे उनके उक्त विचार कहे थे।

वा०—नेमचंद देवचंद बेलगाव आये थे न? और उन्हें आपने शाहपुर बेलगांव तथा इस कोर्टमें देखा था न?

शे०—नहीं, मैंने उन्हें यहां कहीं भी नहीं देखा।

वा०—शोलापुरमें पं० वंशीधरजीकी अध्यक्षतामें जो सभा हुई थी उसे किसने बुलाया था और वहां (उस सभामें) कौन कौन उपस्थित थे?

शे०—सभा किसने बुलायी थी यह तो मुझे नहीं मालूम परन्तु उसमें सेठ गुलाबचंदजी और एक

मोहोल (सोलापुर) वासी सेठजी तथा अन्य बहुतसे लोग उपस्थित थे। मैं उस समय शोलापुरमें न रहता था इसलिये सबके नाम नहीं कह सका।

वा०—मंदिरका विषय धार्मिक है न?

शे०—हां।

वा०—सभापतिने अपने व्याख्यानमें क्या कहा था?

शे०—उनके बोलते समय मैं सभामें हाजिर न था अतः नहीं कह सकता।

वा०—मेरे (फिर्यादीके) आचार विचार आप कितने दिनोंसे जानते हैं?

शे०—क़रीब आठ वर्षसे।

वा०—पूना क्या आप सदा आया जाया करते हैं और वहाँ कहाँ ठहरते हैं?

से०—मै पूना सालमे एक दो बार जाया करता हूं और मंदिरमें ठहरता हूं।

वा०—उस (रेलके) कम्पार्टमें कितने आदमी थे?

शे०—बहुत थे, वह भरा हुआ था।

वा०—आप उस समय कहां थे?

शे०—मैं उस समय उसी कम्पार्टमेंटमें था परन्तु मैं बैठा दूसरे कम्पार्टमेंटमें था।

वा०—क्या आपने मुझे (फिर्यादीको) उस समय

(महारके साथ खाते देख कर) वैसा न करनेके लिये कहा था ?

शेठ—हां । परन्तु तुमने (फिर्यादीने) उत्तर दिया था कि वे भी आदमी हैं, इसलिये उनके (महार-भंगियोके) साथ खानेमें कोई ऐतराजकी बात न होनी चाहिये ।

बा०—आपने इस बातको अपने पत्रमें छपाया था ?

प्र०—नहीं, उस समय मेरा पत्र (श्रमणबन्धु) प्रकाशित हो न होता था ।

बा०—यह घटना किस महीनेमें हुई थी ?

प्र०—महीनेका नाम मुझे याद नहीं है ।

बा०—धार्मिक पंचायतके समक्ष क्या यह घटना उपस्थित की गई थी ?

प्र०—नहीं ।

बा०—मैं (कोठारी फिर्यादी) जिस कम्पार्टमेण्ट-में था उसमें और कौन २ थे ।

प्र०—उनको मैं नहीं पहचानता ।

बा०—ऐदाले (फिर्यादीके साथी महार) की उम्र कितनी है ?

प्र०—कोई ४०-४५ वर्षकी ।

बा०—घरमें बिछौने आदि बिछानेके लिये यदि

महार (भंगी) रख लिया जाय तो धार्मिक विह्वलता आती है या नहीं ?

प्र०—हां आती है।

वा०—घरमें महार (भंगी) नौकर रखनेसे जाति बहिष्कार होगा या नहीं ?

प्र० हां ! जाति बहिष्कार हुआ है।

वा०—मेरा (फिर्यादीका) जाति बहिष्कार हुआ है ?

प्र०—मुझे समाचार नहीं मिले हैं और न मैंने इस विषयमें कुछ पूछ-ताछ ही की है।

फिर्यादीके जिरह कर चुकने पर कुछ सन्देहोंके निर्णयार्थ—श्रीयुत मजूमदार साहबने पुनः सेठजीसे प्रश्न किया कि—

म०—जातिबहिष्कार करना किसका काम है ?

प्र०—स्थानीय पञ्चायतका।

म०—वाशी (फिर्यादीके गांव)में उसकी (फिर्यादीकी) जातिके कितने घर हैं ?

प्र०—सिर्फ एक उसी (फिर्यादी) का।

म०—आपने उस (महारके साथ फिर्यादीके खानेकी) घटना क्यों प्रकाशित नहीं की ?

प्र०—फिर्यादीके आचार विचार सबको ज्ञात ही थे इसलिये मैंने उसे प्रकाशित नहीं कराया।

इसके बाद मजिस्ट्रेट साहबने पूछा कि-"जिस कम्पार्टमेंटमें भिन्न भिन्न जातिके लोग--स्पृश्य अस्पृश्य सब बैठे होते हैं उसमें उच्चजातिके जीमते हैं या नहीं तो आपने (सेठ फूलचन्दजीने) उत्तर दिया कि "जीमनेवाले जीमते हैं"।

बेलगाम } (सही) आर० एन० कोणी०
८-८-२५ } फर्ष्ट क्लास आनरेरी मजिस्ट्रेट

श्रीमान् न्यायतीर्थ पं० वंशीधरजी शास्त्रीकी साक्षी।

—:*:—

आपने सर्कारी नियमकी पाबंदी करनेके बाद अपनी जाति जैन, पिताका नाम उदयराज, उम्र ४० वर्ष, पेशा प्रेसकी मालिकी और निवासस्थान शोलापुर बतलाते हुए श्रीयुत मजूमदार वकीलके प्रश्न करने पर कहना प्रारम्भ किया

म०—आप क्या किसी प्रेसके मालिक हैं?

शा०—हां, मैं श्रीधर प्रेसका मालिक हूं।

म०—आप शास्त्रिपरिषद्के मन्त्री हैं न?

शा०—हां।

म०—उस परिषद्की तरफसे क्या कोई मासिक पत्र निकलता था और उसके आप सम्पादक थे ?

आ०—हां ! जैनसिद्धान्त नामक एक मासिक पत्र उक्त परिषद्से निकलता था और उसका मैं सम्पादक था ।

म०—आपको क्या कोई सर्कारी युनिवर्सिटीकी तरफसे टाइटल (पदवी) मिला था ?

आ०—हां, पञ्जाब युनिवर्सिटीकी तरफसे शास्त्री' और कलकत्ता युनिवर्सिटीकी ओरसे 'न्याय तीर्थ', टाइटल मिले हैं ।

म०—आपने क्या कुछ ग्रंथ लिखे है ?

आ०—हां ! मैंने कुछ टीकाएं और व्याकरणका एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा है ।

म०—आप फिर्यादी तथा नं० २, ३, ४ के आरोपियोंको जानते हैं ?

आ०—जी । मैं उन्हें जानता हूं ।

म०—सांगलीके बालु नाना चौगलेको जानते हैं ? और उससे ट्रेनमें मिले थे ।

आ०—मै उसे कम पहचानता हूं । ट्रेन (रेल) में मैं उससे नहीं मिला ।

म०—जैनगजटमें फिर्यादीके विषयमें जो लेख छपा है उसे आपने पढ़ा है ? और क्या उस विषयमें बालु नानासे आपने कुछ बात चीत की थी ?

जैनगजटका वह लेख तो मैंने पढ़ा है परन्तु उस विषयमें अथवा इस केसके (मुकदमाके) सम्बन्ध-में वालू नानासे मैंने कभी कोई बातचीत नहीं की।

म०—गनपत भोंडी वा साठे माढ़ा (सोलापुर)-वालेको आप जानते हैं ? उससे आपने इस केस (मुक-द्दमे) में साक्षी संग्रह करनेकी बाबत कहा था ?

प्रा०— मैंने उक्त नामके किसी आदमीको नहीं जानता और न उससे मैंने कभी कोई बात चीत ही साक्षी संग्रह करनेके लिये की है।

म०—कोठारी (फिर्यादी) ने क्या कभी आपके सभापतित्वमें व्याख्यान दिया था ?

प्रा०—हां ! आजसे करीब ५॥ साढ़े पांच वर्ष पहले सोलापुरमें फिर्यादीने मेरे सभापतित्वमें समाजिक विषय पर एक व्याख्यान दिया था।

म०—क्या फिर्यादीका कोई मन्दिर कुन्थलगिरि पर है ?

प्रा०—हां !

म०—आपने कैसे जाना कि उसका वहां मन्दिर है ?

प्रा०—मैंने स्वयं फिर्यादीसे समझा। उस (फिर्यादी)ने व्याख्यान देते समय कहा था कि—

उन (फिर्यादी) का वहां एक मंदिर है और वह उसे (मंदिरको) शिक्षाकी उन्नति करनेके लिये बेच देने तयार है।

म०—क्या आपको फिर्यादीके समाज बाबत विचार मालूम हैं, और है तो क्या है?

आ०—हां। मुझे उसके विचार मालूम हैं। फिर्यादीका कहना है।

मन्दिरोंकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन मन्दिरोंसे समाज बरबाद होता है।

म०—जैनोंमें क्या भेद है?

आ०—हां।

म०—आपने क्या जैनशास्त्रोंका अभ्यास किया है?

आ०—हां?

म०—जैनशास्त्रोंके अनुसार अस्पृश्योंका स्पर्श और विधवाओंका विवाह जायज है या नहीं?

आ०—नहीं।

म०—आप खंडवालमें जो महासभा हुई थी उसमें गये थे? और वहां फिर्यादीको क्या महामन्त्री चुना गया था?

आ०—हां। मै खंडवाल-महासभामें गया था

परन्तु फर्यादो यहां महामन्त्री नहीं चुना गया ।

म०—फर्यादो के आचार विचार विधवा विवाह और छूताछूतके विषयमें कैसे हैं?

शा०—वह विधवाविवाह करनेके पक्षमें है। वह महार मांग (भंगी चमारों) के साथ खान पान करना उचित मानता है और स्वयं उन (भंगी चमारों) के साथ खान पान करनेके लिये तयार है।

म०—फिर्यादो दक्षिणके जैनसमाजमें क्या नेता समझा जाता है?

शा०—नहीं, उसे जैन लोग नेता नहीं मानते।

म०—धरेजा, करावा और विधवाविवाह इन तीनोंके अर्थमें क्या फर्क है?

शा०—कुछ नहीं। तीनों शब्दोंका समान अर्थ है।

म०—धरेजा कौनसी भाषाका शब्द है और मराठी भाषामें उसे क्या कहते हैं? (शास्त्रीजीने अपने बयान (इजहार) मराठी भाषामें दिये थे इस लिये आपको मराठीका ज्ञाता समझ कर पूछा गया।)

शा०—धरेजा शब्द हिंदी भाषाका है, मराठीमें उसे 'पाट' कहते हैं।

प्र०—'करावा' शब्दका क्या अर्थ है?

श्रा०—'करावा' का भी वही (विधवाविवाह) अर्थ है।

प्र०—पं० गोपालदासजीको आप जानते हैं?

श्रा०—हां! मैं उन्हें जानता हूं, परन्तु अब वे नहीं (स्वर्गत) हैं।

प्र०—क्या उन्होंने 'धरेजा और करावा' विषय पर लेख लिखे थे?

श्रा०—हां! उन्होंने उक्त विषय पर बहुतसे लेख लिखे थे। वे शास्त्री थे। उनके लेख 'जैनसिद्धान्तमें' उद्धृत किये गये हैं। उन लेखोंमें विधवाविवाह अर्थात् धरेजा' इस शीर्षकका भी एक लेख है।

प्र०— सुतरां शब्दका यही नहीं किन्तु' यह अर्थ है क्या?

श्रा०—नहीं, उस (सुतरां)का 'यही नहीं किन्तु' यह अर्थ नहीं है। उसका अर्थ 'इसलिये, अतः कारणात्' है।

प्र०—'हाथ साफ करना चाहते हैं' इस वाक्यका क्या अर्थ है?

श्रा०—उसका अर्थ 'अधिकार करना चाहते हैं' यह है।

बेलगांव) (सही) आर, एन, किणी
३०-६ २५) फर्स्ट क्लास आनरेरी मजिस्ट्रेट

ता० ३० को फर्यादीके वकीलने शास्त्रीजीसे जिरह (क्रौस) करनेके लिये अपनेको तयार न बतलाया और इसलिये कोर्टसे दूसरे दिनको मुहलत मांगी। तदनुसार उस दिन आगे कुछ कार्य न हुआ। ता० १ ६-२५ को एक बजे कोर्ट खुला। आज फर्यादी के पक्षसे दो वकील खड़े किये गये, धावते प्रभृति सांगली तकके लोग भी आये थे।

कोर्टके नियमोंकी पाबन्दी कर चुकनेके बाद शास्त्रीजीसे जिरह हुई और आपने निम्न प्रकार प्रश्नों-का उत्तर देना प्रारम्भ किया।

व०—जबसे ज्ञान हुआ है तबसे सब क्रियायें क्या आप जैनधर्मके अनुसार करते हैं?

शा०—हां।

व०—आपने सोमसेनकृत त्रैवर्णिकाचार पढ़ा है? (यहां मराठी भाषान्तर छपा हुआ ग्रन्थ दिखलाया)

शा०—हां। मैंने उसे पढ़ा है। परन्तु छपा हुआ नहीं, हस्तलिखितग्रन्थ पढ़ा है।

व०—आपने जिस ग्रन्थको पढ़ा है वह (त्रैव-र्णिकाचार) ही यह है न?

शा०—मैं इसी समय नहीं कह सकता कि वह ही ग्रंथ छपाया गया है जो मैंने पढ़ा है या दूसरा।

व०—उस ग्रन्थमें जो विषय आपने पढ़ा था वह आपको याद है न?

शा०—हां।

व०—आप पं० गजाधरलालजीको जानते हैं? और उन्होंने जो हरिवंशपुराण लिख कर प्रकाशित किया है उसकी खबर है?

शा०—हां! मैंने सुना है कि उन्होंने हरिवंश-पुराण नामक एक ग्रंथ लिख कर प्रकाशित किया है।

व०—पं० श्रीलालजी (नं० ४ आरोपी)-ने उस ग्रंथके प्रगट करनेमें पं० गजाधरलालजीको मदद दी थी यह आपको मालूम है न?

शा०—यह मुझे नहीं मालूम।

व०—आपने हरिवंशपुराण पढ़ा है? और उसको प्रामाणिक समझते हैं?

शा०—हां।

व०—भगवज्जिनसेनाचार्यकृत महापुराण आपने पढ़ा है? और वह आपको मान्य है?

शा०—हां (शास्त्रीजीने यहां कोर्टसे कहा कि इस प्रकार प्रत्येक जैनग्रन्थकी मान्यता मुझसे पूछनेकी कोई जरूरत नहीं है मुझे सर्व ही जैनधर्म शास्त्र त्रैवर्णिकाचार प्रभृति मान्य हैं, मैं उन सबको प्रामाणिक समझता हूं)

व०—त्रैवर्णिकाचारमें मौञ्जीबन्धन संस्कार किये बिना क्या विवाह करनेका विधान है?

आ०—नहीं।

ब०—यदि किसीका मौंजीबन्धन न हुआ हो तो?

आ०—तो कहा जायगा कि उसके सम्पूर्ण संस्कार नहीं हुये।

ब०—ऐसे पुरुषको खाने पीनेकी वस्तुएं छूनेकी मनाई है?

आ०—मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई मनाई नहीं है।

ब०—उसके यदि सन्तान उत्पन्न हो जाय तो वह धर्ममें आ सकता है या नहीं?

आ०—हां। प्रायश्चित्त दे कर उसे ले सक्ते हैं। विवाह हो जानेके बाद अथवा विवाह हो कर सन्तान होनेके बाद प्रायश्चित्त दे कर मौंजीबन्धन संस्कार किया जा सक्ता है और सन्तानको समस्त धार्मिक क्रियायें करनेकी परवानगी दी जा सक्ती है।

ब०—इन बातोंका प्रमाण बता सकते हैं?

आ०—हां! मैं सोमसेन त्रैवर्णिकाचारके श्लोक इस विषयके दिखला दूंगा।

ब०—आपका मौंजीबन्धन संस्कार हुआ है?

आ०—मेरा तो विवाहसे पहले ही हो गया था।

ब०—महारोंको संस्कृतमें क्या कहते हैं?

आ०—श्वपच, अंत्यज, चाण्डाल।

व०—म्लेच्छ किन्हें कहते हैं और कौन कौन हैं?

शा०—आर्य (लोगों) से भिन्नको म्लेच्छ कहते हैं और वे मुसलमान तथा ईसाई हैं। अन्य नाम मुझे इस समय याद नहीं पड़ते।

व०—म्लेच्छ और आर्यमें क्या अन्तर है?

शा०—आर्योंमें शास्त्रोक्त कर्म, संस्कार और वर्णव्यवस्था है परन्तु म्लेच्छोंमें वह नहीं है।

व०—अस्पृश्य और म्लेच्छ दोनों एक हैं न?

शा०—नहीं क्योंकि अस्पृश्योंके लिये शास्त्रोक्त धर्ममें अर्थात् जैन शास्त्रोंमें उनके लिये नियम बतलाये गये हैं परन्तु संस्कार वा शास्त्रोक्त अन्य कर्म म्लेच्छोंके लिये कुछ नहीं कहे गये हैं। महार (भङ्गी, चमार) आर्य-शिक्षा (आर्योंके सिद्धान्त) के अनुसार चलते हैं और म्लेच्छ नहीं।

व०—महार अथवा अस्पृश्य और म्लेच्छ इन दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है?

शा०—धार्मिक ख्यालके होनेके कारण अस्पृश्य म्लेच्छोंसे श्रेष्ठ हैं।

व०—महार क्या जैन बन सकता है?

शा०—हां। महार लोग भी जैनधर्म पाल सकते हैं।

व०—जैन शास्त्रानुसार क्या अस्पृश्य स्पृश्य किया जा सकता है?

श्रा०—नहीं, अस्पृश्यको स्पृश्य बना लेनेका जैनशास्त्रोंमें कहीं विधान नहीं है।

व०—म्लेच्छ स्पृश्य हैं या अस्पृश्य?

श्रा०—जैनशास्त्रोंमें म्लेच्छोंके ये दो भेद नहीं किये गये हैं आर्योंके स्पृश्य अस्पृश्य ये दो भेद हैं।

व०—म्लेच्छोंको छूना चाहिये या नहीं?

श्रा०—यह उनके पेशे (व्यापार) से संबन्ध रखता है।

व०—यदि उच्च कार्य करने लगें तो महार (अस्पृश्य) स्पृश्य हो सकते हैं या नहीं?

श्रा०—नहीं।

व०—जैन राजा म्लेच्छोंको कन्याओंसे विवाह कर सकते हैं?

श्रा०—हाँ।

व०—भरत कौन थे और उन्होंने क्या म्लेच्छों-की कन्याओंसे विवाह किया था?

श्रा०—भरत, चक्रवर्ती जैन राजा थे जिन्होंने जैनोंके लिये नियम निकाले, उनने ३२ हजार म्लेच्छ कन्याओंसे विवाह किया था।

व०—उनने क्या दूसरोंके लिये ही नियम निकाले?

श्रा०—नहीं, अपने और दूसरे सबके लिये निकाले।

व०—म्लेच्छ जैनधर्म धारण कर लें तो उसके साथ खान पान किया जा सक्ता है?

प्रा०—नहीं!

व०—म्लेच्छ कन्याओंसे उत्पन्न पुत्र मोक्ष गये हैं?

प्रा०—मुझे मालूम नहीं।

व०—भरत उक्त म्लेच्छ कन्याओंके साथ खान पान करते थे।

प्रा०—नहीं, वे उनके साथ खाते पीते न थे।

व०—भरतकी वे विवाहित स्त्रियां थीं या रखेली?

प्रा०—वे विवाहित स्त्रियां थी (यहां शास्त्रीजीके उत्तरसे कोर्टको बडा आश्चर्य हुआ और सन्देह हुआ कि जब विवाहित स्त्रियां थीं तो उनके साथ खान पान बिना किये भरत कैसे बच सक्ते थे इसलिये फिर्यादीके वकीलने यद्यपि निषेध किया कि जो बात मैं पूछता ही नहीं उसको आप कैसे कहते हैं तो भी सन्देह निरसनार्थ कहा) महापुराणके पर्व ३६ या ३७में तीन प्रकारकी विवाहित स्त्रियां कही गयी हैं—धर्मपत्नी, भोगपत्नी और वल्लभा। उनमें धर्मपत्नीके साथ तो खान-पान किया जाता है और शेष दोके साथ नहीं। म्लेच्छोंकी कन्याएं भोगपत्नी थीं।

व०—धर्मपत्नियोंके साथ ही खान पान करना यह कहां लिखा है ?

शा०—सोमसेनकृत त्रैवर्णिकाचारमें लिखा है और भी दूसरे ग्रन्थोंमें है।

व०—म्लेच्छोंमें साक्षर और अनक्षर ये दो भेद हैं न ?

शा०—नहीं।

व० -महापुराण पर्व ४२ श्लोक ७८ का अर्थ इस ग्रन्थमें जो लिखा है (यहां मराठी भाषांतर सहित महापुराणजीकी छपी प्रति दिखलाई) वह ठीक है न ?

शा०—हां। वह ठीक है (यहा शास्त्रीजीने पूर्वका प्रकरण बताकर कोर्टसे कहा कि यह आर्योंके लिये कहा गया है)

व०—सुतार (बढ़ई) और लुहार स्पृश्य है या अस्पृश्य ?

शा०—मैं नहीं कह सक्ता।

व०—सोमसेन त्रैवर्णिकाचार अध्याय ४ पृष्ठ १४६में लिखे गये इस श्लोकोंका अर्थ क्या है, (यहां छपा त्रैवर्णिकाचार बतलाया)

शा०—इन श्लोकोंका अर्थ है कि—सुतार, धोबी, सुनार, लुहार, कोढ़ी, आदि छूने न चाहिये।

व०—हरिवंशपुराणमें सुमुख राजाकी कथा जो कही गई है उसकी याद है ?

सा०—नहीं।

व०—पं० गजाधरलालजीका संपादित हरिवंशपुराण जिसका पहिले उल्लेख किया गया है, वह यही है न? (यहां भा० जैनसिद्धान्तप्रकाशिनीसंस्था कलकत्ता द्वारा प्रकाशित हरिवंशपुराण भाषा दिखलाया)

सा० होगा।

व०—यदि कोई कहे कि—आप अपने घरेलू कामोंमें महार नौकर रखते हैं, तो आपकी इज्जत सर्वसाधारणमें कम होगी या नहीं और जातिबन्धु आपका बहिष्कार करेंगे या नहीं ?

सा०—नहीं, किसीके कहनेमात्रसे मेरी इज्जत कम नहीं होगी और न जातिवाले बहिष्कृत ही करेंगे। मेरा यह उत्तर उस हालतमें है जब कि लोग तो कहते हैं परन्तु सत्य बात नहीं है। अगर मैं सचमुच ही महारोंको अपने घरू कार्योंके लिये नौकर रखूंगा जैसे कि आटा पीसने बर्तन मांजने आदिके लिये और लोग आंखोंसे देख लेंगे तो मेरे जातिबन्धु मुझे बहिष्कृत कर देंगे परन्तु सर्वसाधारणकी दृष्टिमें मैं नीच नहीं समझा जाऊंगा।

व०—नौकरी पर प्रहार रखनेसे क्या आप अपनी इज्जत न खो देंगे ?

आ०—नहीं, परन्तु हां ! मै अपने धार्मिकसिद्धांतोंसे गिर जाऊंगा।

व०—क्या आपने फर्यादीको कभी भंगी चमारों के साथ खानपान करते देखा है ?

आ०—हां

मैंने उसे (कोठारीको) लगभग ५–५॥ पांच साढे पांच वर्ष पहिले चमार ढेडोंके घर चाय पीते देखा था।

व०—यह काम उसने बहिष्कारके योग्य किया था ?

आ०—हां ! क्योंकि उसका यह कार्य जैनधर्मके विरुद्ध था ।

व०—फर्यादीने क्या वहां आपको बुलाया था ?

आ० नहीं ।

व०—क्या आप उस समय (चाय पीनेके समय) फर्यादीके समीप थे ?

आ०—नहीं ।

व०—आपने क्या उन (चमार ढेडों) के घर देखे हैं ? और उनका नाम भी जानते है ?

श्रा०—मैंने उनके घर तो देखे हैं परन्तु उन (चमार ढोरों)के नाम नहीं बता सका।

व०—फर्यादीने किस दिन चाय पी थी?

श्रा०—दिनका नाम नहीं कह सका परन्तु महीना कार्तिक वद्य था।

व०—क्या वहां कोई स्पृश्य था?

श्रा०—मेरी पहिचानका स्पृश्य कोई न था।

व०—चाय और भी किसीने पी थी?

श्रा०—हां! चमार ढेडोंने उसके साथ पी थी।

व०—आप उन लोगोंके भीतर गये थे?

श्रा०—नहीं।

व०—इस खबरको क्या किसी अखबारमें आपने छपाया था?

श्रा०—नहीं।

व०—उस समय जैनगजट और जैनमित्र निकलते थे न?

श्रा०—हां।

व०—जैनसमाजमें ऐसी प्रथाओंके प्रचलित न होने देनेकी जुम्मेदारी शास्त्रियों पर है न?

श्रा०—हां।

व०—फर्यादी क्या इसके कारण (भंगी चमारोंके साथ चाय पीनेके कारण) बहिष्कृत हुआ है?

आ०—मुझे नहीं मालूम।

व०—आपने क्या यह घटना किसीसे कही थी?

आ०—मैंने उस समयकी बात तो नहीं कही परन्तु फर्यादी (कोठारी) के चालचलनकी बावत लोगोंसे बहुत बार कहा है। पण्डित मक्खनलालजी (नं० ३ आरोपी) आजसे ६ या ७ मास पूर्व अथवा महासभाका अधिवेशन जो खंडवामें हुआ था उसके बाद एक मासके भीतर मुझे मिले थे तब उनसे कहा था।

व०—आपने इस घटनाको प्रकाशित क्यों नहीं कराया था?

आ०—मैंने तब उसके छपानेकी आवश्यकता न समझी थी।

व०—फर्यादीने चाय किस जगह पी थी?

आ०—शोलापुरमें पिंजरापोलके समीपकी सड़क पर।

व०—आपने पं० मक्खनलालजीसे स्थान आदिका उल्लेख किया था?

आ०—नहीं मैंने उनसे सब ब्योरेवार नहीं कहा।

व०—आरोपियोंके वकीलने आपको गवाही किस किस विषय (मुद्दे) पर देनी होगी यह बतलाया था न?

सा०—नहीं मुझे उन्होंने गवाहीके विषय (मुद्दे) नहीं बतलाये।

व०—आप यहां (कोर्टमें) आनेके पूर्व वकील-से मिले थे?

सा०—हां। मैं कल सुबह उनसे मिला था।

व०—उस समय आरोपियोंमेंसे वहां कौन कौन थे?

सा०—कोई नहीं।

व०—आपकी आरोपियोंसे कहां मुलाकात हुई थी?

सा०—बेलगाममें।

व०—आप साक्षी देनेके लिये कैसे आये?

सा०—आरोपी नं० २ अथवा ३ (पं० लाला-रामजी या० पं० मक्खनलालजी) ने मुझे बंबईमें पूछा था कि--गत दो महीनेके भीतर रेलमें कभी आपकी मुलाकात आलूनाना (फर्यादीके उस गवाहका नाम है, जिसने अपने बयानमें शास्त्रीजीसे रेलमें बात चीत होनेका जिकर किया है) के साथ हुई थी। उत्तरमें मैंने कहा कि—नहीं। तब उन्हों (आरोपी) ने मुझे कहा था कि आपको इस विषयकी तथा गजटमें छपे हुये लेखके बाबत गवाही देनी होगी।

व०—आपने चाय पीनेकी गवाही देनेके बाबत

आरोपियोंसे या आरोपियोंके वकीलसे क्यों नहीं कहा ?

आ०—छपे हुये लेखमें लिखा है कि फिर्यादी (कोठारी) महारों (अस्पृश्यों)को छूता है और उनके साथ खान पान करता है। चमारोंके साथ उसने चाय पी थी, यह बात मुझे ज्ञात हो थी, इसलिये मुझे मालूम था कि इस संबंधमें मुझसे कुछ न कुछ पूछा ही जायगा अतएव मैंने आरोपियों के वकीलसे कुछ नहीं कहा।

व०—आरोपियोंने आपसे क्या उक्त लेखको पुष्टिमें कोई प्रमाण पूछा था ?

आ०—हां पेनापुरमें फर्याद हो जानेके बाद उन्होंने (आरोपियोंने) मुझसे उक्त लेखका प्रमाण पूछा था उत्तरमें मैंने उस (फर्यादी) के आचार विचार दो या तीन बार सर्व साधारणमें कहे थे।

व०—महीनेका नाम बता सक्ते है ?

आ०—नहीं, मुझे महीनेका नाम याद नहीं।

व०—आपने क्या आरोपियोंसे 'चमारोंके साथ फर्यादीको मैंने चाय पीते देखा' यह बात कही थी ?

आ०—नहीं क्योंकि मैंने उसकी कोई आवश्यकता न समझी थी।

व०—आपके पास कोई पत्र या सन्देशा आरोपि-

योंकी तरफसे इस मामलेमें साक्षी संग्रह करनेके लिये आया था?

ग्वा०—नहीं।

व०—आपने 'फर्यादी मन्दिर बेचना चाहता है' यह बात आरोपियोंसे कब कही थी?

ग्वा०—ईडवालमें महासभा हुई थी उसके बाद।

व०—क्या किसी आरोपीने फर्यादीके मन्दिर बेचने और अस्पृश्यों के साथ खानेकी बात आपने साक्षात् देखी है ऐसा पूछा था?

ग्वा०—हां। नं० ३ के आरोपी (पं० मक्खनलालजी) ने मुझे पूछा कि—

मैने उसे (फर्यादीको) उक्त बातें कहते और करते साक्षात् देखा है।

मुझे आप गवाहोंमें बुला कर सब ब्यौरेवार पूछ सक्ते हैं।

व०—फर्यादीने उस लेक्चरसे (जिसमें मन्दिर बेचनेकी बात कही), पहिले या पीछे अस्पृश्यों के यहां चाय पी?

ग्वा०-व्याख्यान देनेके करीब दो दिन बाद उसने अस्पृश्यों के घर चाय पी थी।

व०—मन्दिर और मूर्ति बेचना क्या जैनधर्मके अनुकूल है?

भा०—नहीं।

व०—उससे समाज या धर्मको लाभ होगा या हानि ?

भा०—उक्त वस्तुओंको बेचनेकी परवानगी हो जानेसे जैनधर्मका ह्रास और समाजकी हानि होगी।

व०—इस मन्दिर विक्रयके विरुद्ध आपने क्या किसी जैनपत्रमें आन्दोलन किया था ?

भा०—नहीं।

व०—आपकी फर्यादीसे बोलचाल है ?

भा० हां।

व०—फर्यादीने जब मन्दिर बेचनेकी बात कही तब आपको कैसा लगा ?

भा०—मुझे बुरा लगा।

व०—फर्यादीने व्याख्यानमें यही कहा था न ? कि लोगोंको मन्दिरोंमें अत्यधिक खर्च न करना चाहिये।

भा०—नहीं।

उसने कहा था कि मन्दिरमें रुपया खर्च ही न करना चाहिये।

व०—फर्यादीने यह नहीं कहा ? कि बहुतसे जैनमन्दिर जीर्णशीर्ण हैं उनकी मरम्मत कराना चाहिये।

आ०—नहीं, उसने ऐसा कभी नहीं कहा।

व०—फर्यादीने मन्दिर बेच कर क्या रुपये जमा किये हैं?

आ०—मन्दिर बेचकर तो उसने रुपये नहीं जमा किये हैं परन्तु हां। खर्च घटा कर रुपये बचा अवश्य लिये हैं।

व०—उस (फर्यादी) ने क्या कोई मूर्ति बेची है?

आ०—नहीं।

व०—आपने हिन्दीकी कोई परीक्षा पास की है? और उसके सार्टीफिकट दिखला सकते हैं?

आ०—हां! मैंने हिन्दीका ७ वां दर्जा (एंडड) पास किया है और उसका सार्टीफिकिट भी दिखला सकता हूं।

व०—हिन्दीमें किसी यूनिवर्सिटीकी परीक्षा भी दी है?

आ०—केवल हिन्दीकी परीक्षा कोई युनिवर्सिटी नहीं लेता।

व०—धरेजा किसे कहते हैं?

आ०—धरेजाका अर्थ है—किसी स्त्रीको चाहें वह विधवा हो या सधवा पंचोंकी सम्मतिसे और पंचोंके द्वारा कुछ मुकर्रर किये गए विधि विधानोंसे स्त्री बना कर रख लेना।

व०—करावाका क्या अर्थ है ?

शा०—करावाका भी ठीक वही अर्थ है जो धरेजाका है।

व०—तब इस लेखमें (यहां 'बालचन्द रामचन्द कोठारी कौन है ?" इस गजटके लेखका आपके शील व्रतका महत्व नहीं, सुतरां धरेजा वा करावेके पोषक है ?" यह वाक्य दिखलाया) धरेजा और करावा दो शब्द क्यों दिये गये हैं ?

शा०—विषयको स्पष्ट दिखलाने और लोगोंको खुलासेवार समझानेके लिये दो शब्दोंका प्रयोग किया गया है नहीं तो किसी एक शब्दका प्रयोग ही पर्याप्त था।

व०—उक्त प्रकारके स्त्री रखनेके नियम जैनधर्मसे सम्मत है ?

शा०—नहीं, वे कुछ समाजके लोगोंने सम्मत कर लिये हैं।

व०- रखेली भी उसे (धरेजा या करावमें आई औरतको) कहते हैं न ?

शा०- नहीं, रखेली उससे बिलकुल भिन्न है।

व०—सोमसेनकृत त्रैवर्णिकाचारमें विधवा-विवाह करना बताया गया है न ?

शा०—नहीं।

व०—दक्षिणके जैनसमाजमें विधवाविवाह होता है न?

आ०—हां।

व०—विधवाविवाह, धरेजा और करावामें क्या फर्क है?

आ०—कुछ नहीं।

व०—आप किसी विधवाविवाहमें गये हैं?

आ०—नहीं।

व०—ब्राह्मणोंमें विधवाविवाह होता है या नहीं?

आ०—मुझे नहीं मालूम।

(कोर्टका समय पूर्ण हो जानेसे आपकी जिरह आज यहां तक हो रही)

बेलगाम } (सही) आर० एन० किणी
१-७-२५ } फर्स्टक्लास आनरेरी मजिस्ट्रेट

दूसरे तीसरे दिन छुट्टी होनेके कारण कोर्ट ता० ४-७-२५ को फिर दिनके १ एक बजे खुली और आक्षेपकोंसे फिर्यादीके वकीलने पुनः जिरह करना प्रारम्भ किया।

व०—धरेजा किस अर्थको कौनसी धातुसे बना है? और क्या अर्थ है?

आ०—'धारण करना' अर्थवाली धृ धातुसे

धरंआ शब्द बना है जिसका अर्थ 'धारण किया' है।

व०—विवाह शब्द किस धातुसे बना है? उसमें 'वि' का क्या अर्थ है?

श्रा०—विवाह शब्द 'धारण, अर्थ वाली "वह" धातुसे बना है। 'वि' का यहां कुछ अधिक अर्थ नहीं है।

व०—विवाह शब्दका जो अर्थ प्रचलित है वह कैसे निकला?

श्रा०—पारिभाषिक शब्द होनेसे।

व०—विधवाविवाहको Prostitution (वेश्या-वृत्ति) आप किस आधारसे कहते हैं?

श्रा०—त्रैवर्णिकाचारके हिन्दी अनुवादके आधारसे; जिसे मैं पीछेसे बतलाऊंगा।

व०—इस अर्थको बतलानेवाले हिन्दीके किसी मूल ग्रन्थका नाम बतलाइये?

श्रा०—मूलग्रन्थ मुझे मालूम नहीं।

व०—'हाथ साफ करने' का अर्थ 'कब्जा करना' जिस ग्रन्थमें लिखा है उसे क्या १५ दिनके भीतर लाकर दिखला सकते हैं?

श्रा०—मैं उस ग्रन्थको कितने दिनके भीतर दिखला सकूंगा यह नहीं कह सकता।

व०—मराठीमें 'हाथ मारना' मुहावरेका अर्थ क्या है?

शा०—मुझे नहीं मालूम कि मराठीमें ऐसा कोई मुहावरा है।

व०—'हाथ मारना' जो हिन्दीका मुहावरा है उसका अर्थ क्या है?

शा०—उसका अर्थ तो 'थप्पड़ मारना' है।

व०—आपने अपने प्रेसमें किसका द्रव्य लगाया है? और उस पर कर्ज है या नहीं?

शा०—न तो मैंने प्रेसमें दूसरेका द्रव्य ही लगाया है और न प्रेस पर किसीका कर्ज ही है।

व०—आपके प्रेसका प्रिंटर कौन है? और उसमें छपने वाली समस्त वस्तुओंका वही जिम्मेदार है न?

शा०—अपने प्रेसका प्रिंटर मैं ही हूं। परन्तु जिन वस्तुओंके लिये अन्य किसीको डिक्लरेशन (सरकारी आज्ञा) देकर प्रिंटर बना दिया है तो वे उनकी प्रिंटर कहलाते हैं। जिनका नाम कभी कभी पेपर (समाचारपत्रोंमें) पर छपा करता है।

व०—त्रैवर्णिकाचार अध्याय ११ पेज ६३४ श्लोक १७५ का अर्थ क्या है?

शा०—"गालवके मतसे कलिमें विधवाविवाह निषिद्ध है। परन्तु कुछ देशोंमें वह हो भी सकता है लेकिन यह सर्वव्यापक मत नहीं है। इस श्लोकका तो अर्थ यह है परन्तु यह तो गालव ऋषिका मत है न कि त्रैवर्णिकाचारका।

व०—फिर्यादीको चाय पीते कै बजे देखा था ?

आ०—सामको करीब पाच बजे।

व०—आपके साथ कौन था ?

आ०—कोई नहीं, मै अकेला था ?

व०—आपको इस बातकी सूचना कब और किसने दी ?

आ०—मुझे किसने सूचना दी उसका नाम याद नहीं।

व०—आप कितनी दूर पर थे ?

आ०—कोई २०-२५ गजकी दूरी पर।

व०—चाय किस जगह पर पी गई थी और वहाँ कुर्सी टेबल थी या नहीं ?

आ०—चाय खुले मैदानमें पी गई थी, वहाँ २-४ कुर्सी और १ २ टेबल (मेज) थी।

व०—आप किस समय पहुँचे थे ? और चाय पीनेका बर्तन कौनसी धातुका था और उसमें चाय, काफी या रस क्या था ?

आ०—मै जिस समय पहुंचा, मामला तयार था। परन्तु यह याद नहीं कि वह बर्तन किस धातु-का था और उसमें चाय, काफी या रस क्या था।

व०—मैदानके सामने क्या कोई सड़क थी और उससे आपकी जान पहिचानके आदमी जाते आपने देखे थे ?

आ०—हां। उस मैदानके सामने एक सड़क है परन्तु उससे जाते हुए मैंने अपनी जान पहिचान का कोई आदमी उस समय न देखा था।

व०—उस समय केशलोचमहोत्सव था न?

आ०—हां। परन्तु उसको दो दिन बीत चुके थे।

व०—बाहिरके आये लोग थे या चले गये थे?

आ०—मैं नहीं कह सकता।

व०—आपके और फिर्यादीके बीच कोई वैमनस्य है।

आ०—नहीं।

व०—आपने उस (फिर्यादी) से कुछ बातचीत की थी?

आ०—नहीं न तो वह ही मुझसे कुछ बोला, न मैं ही उससे कुछ बोला।

व०- आप जिस समय गये व्याख्यान हो रहा था न?

आ०—नहीं, उस समय व्याख्यान खतम हो चुका था और फिर्यादी बैठा था।

व०—वहां उच्च जातिके और कौन २ लोग थे?

आ०—वहां कोई दीख पड़ते न थे।

व०—आपको कब मालूम पड़ा था कि फिर्यादीका महारवाड़े (भंगी चमारोंके मुहल्ले) में व्याख्यान है? और किसने कहा था?

आ०—मुझे कोई एक डेढ़ घंटे पहिले मालूम पड़ा था, बाजारमें कुछ लोगोंने मुझसे कहा था।

व०—आपने कैसे जाना कि व्याख्यान हो चुका था? उस सभाका सभापति कौन था और विषय क्या था?

आ०—वहांके रङ्गढङ्गसे मालूम पड़ता था कि व्याख्यान खतम हो चुका। सभापति कौन और विषय क्या था, मैं नहीं जानता।

व०—कोर्टमें बैठे हुये सेठ गुलाबचन्दजी माँगली वालोंको आप पहिचानते हैं?

आ०—हां।

व०—पं० नन्दनलालजी का और नं० ३ के आरोपी (पं० मक्खनलालजी) का आपसमें क्या रिश्ता है?

आ० मैं नहीं जानता।

व०—शास्त्रिपरिषद्में कितने पण्डित हैं?

आ०—करीब एक सौ।

व०—शास्त्रिपरिषद्का रिकार्ड (रजिष्टर आदि) आपके पास है न?

आ०—नहीं, वह नं० ४ के आरोपी (पं० श्रीलालजी) के पास है, जो शास्त्रिपरिषद्के सहायक मन्त्री है। मैं उसका महामन्त्री हूं।

व०—पं० शान्तिनाथ जो इस केसमें गवाह हैं, वे शास्त्रिपरिषद्के मेंबर हैं न?

शा०—मुझे नहीं मालूम।

व०—आप कब बता सकेंगे?

शा०—समयकी मर्यादा नहीं कर सक्ता।

व०—पं० बाहुबलि शर्मा और कल्लापा अनन्त उपाध्याय शास्त्रिपरिषद्‌के मेंबर हैं न?

शा०—मैं नहीं कह सक्ता।

व०—एक दो महीने पहिले शास्त्रिपरिषद्‌का अधिवेशन ऐनापुरमें हुआ था न?

शा०—हां।

व०—वहां पं० शान्तिनाथ तथा अन्य शास्त्री आये थे?

शा०—पं० शान्तिनाथ ऐनापुरमें तो आये थे परन्तु वे तथा अन्य शास्त्री परिषद्‌में आये थे या नहीं, कह नहीं सक्ता।

व०—वहां कुल कितने शास्त्री आये थे?

शा०—कोई २०-२५

व०—सेठ रावजी सखारामजी दोशी उसके सभापति थे न?

शा०—हां।

व०—नं० २ के आरोपी (पं० लालारामजी) भी इस परिषद्‌के सभापति हो चुके हैं न?

शा०—मैं नहीं कह सक्ता।

ब०—इस परिषद्‌को वार्षिक फीस कितनी है?

शा०—एक रुपया।

ब०—शास्त्रियोंके अतिरिक्त भी मेंबर हो सकते हैं?

शा०—हां।

ब०—बालगोंडा पाटील शेडवाल वाले शास्त्रि-परिषद्‌के मेंबर हैं?

शा०—नहीं।

ब०—'जैनसिद्धान्तके' कितने अङ्क निकले थे?

शा०—३६ छत्तीस।

ब०—प० लालाराम जी और आप बम्बई बोर्डिङ्ग या मोरेना विद्यालयमें साथ साथ पढ़े थे न?

शा०—नहीं।

ब०—मोरेना बोर्डिङ्गमें पानी कौन भरता था?

शा०—मुझे नहीं मालूम, मैं अपने घर जीमता था।

ब०—बालू नाना चौगलेके साथ आपकी मित्रता है या शत्रुता?

शा०—न शत्रुता न मित्रता।

ब०—रेलमें या अन्यत्र आपके साथ किस किसने मुसाफिरों की और किस किससे आपकी बातचीत हुई?

आ०—यह नहीं कह सक्ता।

व०—कोठारीने जिस सभामें कुंथलगिरिवाले अपने मन्दिरको बेच देनेकी बात कही वह किसने जोड़ी थी ?

आ०—कोठारीके कुछ मित्रोंने।

व०—इस सभासे पहिले भी क्या कोठारीके जैन-शास्त्र और जैनमन्दिर सम्बन्धी आपको विचार मालूम थे ?

आ—हां।

व०—कोठारीके आजकल विचार कैसे हैं ?

आ०—जैसे कि पहिले थे।

व०—आपको सभापति किसने बनाया ?

आ०—मेरे मित्रोंने।

व०—आप क्या पहिलेसे ही निर्णीत सभापति थे ?

आ०—नहीं।

व० आपका क्या विरोध किया गया था ?

आ०—हां। मेरे सभापतित्वका विरोध हुआ था ?

व०—फर्यादी (कोठारी) ने कुछ आपत्ति की थी ?

आ०—पहिले तो फर्यादी मेरे सभापति होनेसे राजी न था परन्तु बादको लाचार हो उसे राजी होना पड़ा।

व०—उस सभामें कितने आदमी थे ?

आ०—कोई ३५ या ४०।

व०—फर्यादीसे जब मन्दिर बिक्रीकी बात कही तब क्या झगड़ा हुआ था ?

आ०—नहीं।

व०—उस सभाकी कुछ लिखित कार्यवाही है ?

आ०—नहीं।

व०—फर्यादीने अपने विरुद्ध विचारोंको आपसे भी कभी कहा है ?

आ०—हां, बहुत समय।

व०—आपने अपने सभापतित्वमें क्या लोगोंको यह बतला दिया था कि फर्यादी महारों (अस्पृश्यों) को छूता है ?

आ०—हां।

व०—जो लोग महारोंको छूते हैं क्या वे छुए जा सकते हैं ?

आ०—महारोंको छूनेके कारण जिनका जाति बहिष्कार नहीं हुआ है, उन्हें छूनेमें कोई ऐतराज नहीं होता।

व०—आपने मिरजसे इधर (दक्षिणमें) कितने गाव देखे हैं ?

आ०—कोई तीन चार शहर और ५, ७ गाव।

व०—आपने उन शहरों और गावोंमें कोठारीके सम्बन्धमें खोज ली है कि लोग उसे नेताकी दृष्टिसे देखते हैं ?

प्रा०—हां, खोज ली है परन्तु कोठारीको लोग नेता नहीं समझते। वे उसे (कोठारीको) धर्मशून्य और धर्मविरुद्ध बातोंका प्रचारक समझते हैं।

व०—आपने किन किन गावोंमें या शहरोंमें किन किनसे यह बात सुनी है ?

प्रा०—मैंने उक्त बातें सांगली, मिरज, बेलगाम, कोल्हापुर, शेडवाल और ऐनापुरमें सुनी हैं, किनसे सुनी हैं उनका नाम नहीं कह सका।

व०—कर्याटो दक्षिण महाराष्ट्र जैनमहासभाका मिंबर और पूना जैनबोर्डिङ्ग हाउसका सेक्रेटरी है न ?

प्रा०—मुझे नहीं मालूम।

व०—पूनामें जैनबोर्डिंग है न ?

प्रा०—सुना तो है।

व०—उसका सेक्रेटरी कौन है ?

प्रा०—मुझे नहीं मालूम कौन है।

व०—शेडवालकी महासभामें दो पार्टियां थी न ? और सब्जेक्ट कमेटीमें चुनावके लिये कोठारीने प्रस्ताव तथा अन्यने अनुमोदन किया था न ?

प्रा० नहीं, वहां दो पार्टियां न थी और न

कोठारीने सब्जेक्ट कमेटीके चुनावके लिये प्रस्ताव, तथा अन्यने अनुमोदन किया था।

व०—ता० ५।१-२५ के जैनगजट पृष्ठ १४८ पर जो प्रस्तावकी बात लिखी है वह क्या है!

गा०—कुछ लोगोंमें जो प्राइवेट बात चीत हुई थी उसे प्रस्तावमें गलती लिख दिया है। कोठारीने मेम्बर वा प्रतिनिधिकी हैसियतसे न तो वहा कोई प्रस्ताव ही किया न अनुमोदन ही।

व०—शेडवाल महासभामें दावू पार्टी थी न?

गा०—मैं नहीं जानता।

व०—पं० शांतिनाथ शास्त्री शेडवालमें अध्यापक हैं न!

गा०—हां।

व०—उनको किसने नियुक्त किया है?

गा०—कमेटीने!

व०—उस कमेटीमें कौन २ कार्यकर्त्ता हैं?

गा०—कार्यकर्ताओंका नाम मुझे नहीं मालूम।

व०—बालगोंडा पाटीलने पुलिसके सामने महासभामें झगड़ा होनेके बाबत अपने बयान दिये थे न?

गा०—मुझे नहीं मालूम।

व०—जैनग्रन्थ छापने न छापनेके विषयमें आपकी क्या राय है?

आ०—मेरी कोई राय पक्की नहीं है।

व०—आप छपे जैन ग्रन्थ पढ़ते हैं ?

आ०—हां।

व०—नं० २-३ और ४ के आरोपियोंकी उक्त विषयमें क्या राय है ?

आ०—मुझे नहीं मालूम।

व०—जैनगजट आप पढ़ते हैं ?

आ०—प्रायः मैं उसे नहीं पढ़ता।

व०—उत्तर हिंदुस्थानमें छापे वेछापेका झगड़ा है न

आ०—हां। है।

व०—खंडवाल महासभाके उपरान्त दो तीन सप्ताह तक नं० ४ के आरोपी आपके पास थे न ?

आ—मुझे याद नहीं।

व०—वे (पं० श्रीलालजी) उस समय शोलापुर आये थे न ?

आ०—याद नहीं।

व०—शोलापुरके हूमड़ जैनोंमें दो दल हैं न ?

आ० - मुझे नहीं मालूम।

व०—हूमड़बन्धु पत्रको कौन निकालता है ?

आ०—सेठ फूलचन्द हीराचन्दजी।

व०—उक्त पत्रके लिये क्या कोई कमेटी है और उसमें आप भी हैं ?

आ०—हां! कमेटी तो है परन्तु मैं उसमें नहीं हूं।

व०—वह पत्र आपके प्रेसमें छपता है और उसमें कमेटीके मेंबरोंका नाम रहता है न?

आ०—हां।

व०—सेठ जीवराज मोतीचन्दको आप जानते हैं न? कि वे सांगलीके सेठ गुलाबचन्दजीके बहनोई हैं?

आ०—मैं नहीं जानता।

व०—आरोपियोंके वकीलके पास बैठे हुए सेठ गुलाबचन्दजी और आप एक जगह ठहरे हैं न?

आ०—नहीं।

व०—आप आरोपियोंके पास ठहरे हैं?

आ०—नहीं।

व०—आरोपियोंकी जाति आपको मालूम है?

आ०—नहीं।

व०—आपकी जाति क्या है?

आ०—पद्मावतीपुरवाल।

व०—आपने कुंथलगिरि पर शास्त्र पढ़े थे और उस समय झगड़ा हुआ था न?

आ०—हां! बहुत दिन पहिले शास्त्र पढ़े थे परन्तु उस समय कोई झगड़ा हुआ था याद नहीं।

व०—सेठ पानाचन्द रामचन्दजीके सभापतित्वमें शोलापुरमें आपने क्या कोई व्याख्यान दिया था और उस

समय क्या झगड़ा न हुआ था और आपको व्याख्यान देनेसे बंद कर दिया था न?

शा०—मैंने होसुरमें व्याख्यान तो दिया था परन्तु झगड़ा वहां कोई न हुआ था और न मेरा व्याख्यान ही बन्द किया गया था।

इस प्रकार फिर्यादीके वकीलके जिरह कर चुकने पर संदिग्ध बातोंका खुलासा करनेके लिये गजटके सवालकोंके वकील श्रीयुत मजूमदार साहबने प्रश्न किए जिनका उत्तर शास्त्रीजीने इस प्रकार दिया—

प्र०—त्रैवर्णिकाचारके श्लोकसे जो आपने लुहार सुनार आदिको अस्पृश्य कहा है उसका अभिप्राय क्या है?

उ०—यह प्रकरण उस समयका है जब कि स्नान करनेके बाद जिनपूजनके लिए जाया जाता है। नं० २के श्लोकसे १२ तक त्रैवर्णिकाचारके चतुर्थाध्यायमें यही लिखा है कि जिनपूजनको जाते समय लुहार सुनार आदिको न छूये।

प्र०—धरेजाका अर्थ विधवाविवाह किसके बनाये किस ग्रन्थमें लिखा है?

उ०—त्रैवर्णिकाचारकी पंडित पन्नालालजी सोनीकृत टीकामें २४७वें पृष्ठ पर लिखा है।

प्र०—आप जैनधर्मानुसार कौनसे क्रियायें पालते हैं?

उ०—श्रावक तीन तरहके होते हैं पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। उनमें पाक्षिकको तो समस्त क्रियायें मैं पालता हूं और नैष्ठिक साधकको कोई कोई।

प्र०—शूद्र किस ग्रन्थमे कितने प्रकारके बताये हैं? और वे कौन कौन है?

उ०—त्रैवर्णिकाचार और भगवज्जिनसेनाचार्य कृत महापुराणमें शूद्रोंके स्पृश्य और अस्पृश्य ये दो भेद बतलाए हैं। लुहार, सुनार, बढई, नाई स्पृश्य शूद्रोंमें आते हैं, जैसा कि त्रैवर्णिकाचारके अध्याय ७ श्लोक १३४ व १३५में कहा गया है। जो ग्रामके बाहिर रहते है जैसे कि महार, मांग, जिनको प्रजाबाह्य भी कहते है, वे अस्पृश्य हैं जैसे कि महापुराण पर्व १६ श्लोक १८६ में लिखा है। श्रीजिनसेनकृत हस्तलिखित त्रैवर्णिकाचारके ५वें अध्यायके ११वे श्लोकमें चाण्डाल चर्मकार आदिको अस्पृश्य कहा गया है।

प्र०—चाण्डाल चमार आदि अस्पृश्योंके छू जानेसे क्या करना चाहिये?

उ०—चाण्डाल चमार आदि अस्पृश्य छू जांय तो स्नान, मन्त्रोच्चारण और उपवास करना चाहिये जैसा कि श्रीसोमदेवसूरिकृत यशस्तिलक चम्पूके २८१वें पृष्ठमें कहा गया है।

प्र०—विधवाविवाहका निषेध कौन कौनसे जैन शास्त्रोंमें है ?

उ०—प्रबोधसार (हस्तलिखित)के ४४वें श्लोकमें और यशस्तिलक चम्पूके ८वें अध्याय पृष्ठ ३७२ में लिखा है कि जिसका एक बार विवाह हो चुका है उस स्त्रीका फिर विवाह नहीं हो सका।

बेलगाम ४-७-२५ } (सही) आर, एन, किनी, फर्ष्ट क्लास आनरेरी मजिस्ट्रेट

पं० बाहुबलि शर्माके बयान।

—※—

शपथ ग्रहण करनेके बाद अपनी उम्र ३५ वर्ष, पिताका नाम तवनेश, जाति उपाध्याय, मुकाम सांगली (स्टेट) पेशा प्रेसकी मालिकी बतलाते हुए श्रीयुत मजूमदार वकीलके पूछने पर कहा--

प्र०--बालू नाना चौगलेको जानते हैं ?

उ०—हां।

प्र०--पं० मक्खनलालजी शास्त्रीको जानते हैं ?

उ०—हां।

प्र०—पं० मक्खनलालजीने आपको क्या कभी पत्र लिख कर भेजा था ?

उ०—नहीं। मेरा उनका कोई दश वर्षसे पत्र-व्यवहार नहीं है।

प्र०—दशवर्षसे पहिले उनके साथ क्या पत्रव्यवहार था ?

उ०—नहीं, उससे पहिले भी पत्रव्यवहार न था मेरा पत्रव्यवहार उस समय जैनसिद्धान्त पाठशाला मुरैना (ग्वालियर) के साथ था।

प्र०—आपको क्या पं० मक्खनलालजीने पढाया है ?

उ०—हां। मुरैनामें मुझे उन्होंने गोम्मटसारजी पढ़ाया था।

प्र०—आपके पास क्या यह पत्र आया था ? (यहां बालू नाना चौगलेने जो पत्र पं० मक्खनलालजीके हस्ताक्षर बताकर कोर्टमें पेश किया था और जिसे बाहुबलि शर्माका दिया बतलाया था वह दिखलाया)

उ—नहीं, मेरे पास यह पत्र नहीं आया।

प्र०—आपने यह अथवा और कोई पत्र बालू-नानाको दिया था ?

उ०—नहीं, मैंने उसे कोई पत्र नहीं दिया।

प्र०—पं० मक्खनलालजीके अक्षर आप पहचानते हैं ?

उ०—हाँ। मैं उन्हें साधारण पहचानता हूं।

प्र०—आपने उनको लिखते समय कभी देखा है?

उ०—हां।

प्र०—उनके (पं० मक्खनलालजीके) अक्षर ये नहीं हैं यह आपको कैसे मालूम पड़ा?

उ०—उनकी सही करनेकी पद्धति ऐसी नहीं है इसलिये।

इसके बाद फर्यादीके वकीलने जिरह करना प्रारम्भ किया

प्र०—उनके (पं० मक्खनलालजीके) दस्तखत करनेकी पद्धति कैसी है?

उ०—वे 'मक्खन' कभी सहीमें नहीं लिखते, 'मक्खनलाल शास्त्री' लिखते हैं।

प्र०—इसके सिवा उनकी सही न होनेमें क्या कारण है?

उ०—कुछ नहीं।

प्र०—पत्र पर जो सही है उसमें क्या लिखा है?

उ०—सिर्फ 'मक्खन'।

प्र०—आगे और क्या है?

उ०—आगे क्या चिन्ह है सो समझ नहीं पड़ता।

प्र०—पं० मक्खनलालजीको कहां और क्या लिखते देखा है?

उ०—मैंने उन्हें पत्र और लेख लिखते मुरैनामें देखा है।

प्र०—वहां कितनी बार देखा है ?

उ०—कोई ७-८ बार।

प्र०—इधर कितने दिनसे उन्हें नहीं लिखते देखा है ?

उ०—बारह वर्ष से।

प्र०—उन (पं० मक्खनलालजी) को सही तुमने कहां देखी ?

उ०—मुरैनामें जब मै पढ़ता था तब वे (पं० मक्खनलालजी) पोष्टकार्ड आदि डाकमें डालने मुझे देते थे, उस समय उनकी सही देखी थी।

प्र० तुम कार्ड क्यों पढते थे ?

उ०—यों ही सहजमें पढ लिया करता था।

प्र०—आप क्या पं० मक्खनलालजीको आदरकी दृष्टिसे देखते हैं ?

उ०—हां। वे मुझे पढाते थे इसलिये उन्हें आदर की दृष्टिसे देखता हूं।

प्र०- क्या आप उनकी मदद भी करने तैयार हैं ?

उ०—हां। कारण सत्य और सयुक्तिक हो तो मैं मदद करने तयार हूं।

प्र०—इस केशमें क्या उनकी बाजू (पक्ष) सत्य या सयुक्तिक है ?

उ०—यह मैं नहीं कह सकता।

प्र०—इस पत्रके विषयमें आपसे पहिले कोई बातचीत आई थी?

उ०—नहीं।

प्र०—बालू नानाके साथ आपको मित्रता है न?

उ०—नहीं, उसके साथ मेरी खास मित्रता नहीं है, दूसरोंके समान जान पहिचान है।

प्र०—जैन समाजमें बाबू पार्टी और पण्डित पार्टी दो हैं न?

उ०—मेरी समझमें कोई पार्टी नहीं है।

प्र०—जैनगजट, जैनमित्र पढ़ते हैं?

उ०—मैं ३ ४ सालसे कोई जैन समाचारपत्र नहीं पढ़ता।

प्र०—आप क्या शास्त्री हैं?

उ०—हां।

प्र०—कोई युनिवर्सिटीकी परीक्षा दी है?

उ०—कोई नहीं।

प्र०—ऐनापुरमें जो गत ज्येष्ठ मासमें उत्सव हुआ था उसमें गये थे?

उ०—हाँ। मैं वहाँ अपने हैण्डबिल बाँटने गया था।

प्र०—वहां शास्त्रिपरिषद्के अधिवेशनमें गये थे।

उ०—नहीं।

बेलगाम	(सही) आर० एन० किणी फर्स्ट क्लास आनरेरी मजिस्ट्रेट

जयकुमार उपध्यायकी साक्षी।

—:*:—

शपथ ले लेनेके बाद अपना नाम जयकुमार, पिताका नाम गजपति, जाति उपाध्याय, उम्र २४ साल, पेशा उपाध्यायगोरी, निवासस्थान अर्जुनवाड बतलाते हुए श्रीयुत मजूमदार वकीलके प्रश्नानुसार उत्तर देना प्रारम्भ किया—

प्र०—कोठारोसे पहिचान है ?

उ०—हां ! मैं उसे पहचानता हूं।

प्र०—बावो (फर्यादीका गांव) देखी है ?

उ०—हां।

प्र०—तुम क्या वहां रहे थे ?

उ०—हा ! मैं सन् १८२२ में जनवरी, फरवरी, मार्च में तीन मास तक वहां (बावोमें) रहा था।

प्र०—तुम वहा कैसे पहुंचे ?

उ०—फर्यादी (कोठारी) मुझे ले गया था।

प्र०—फर्यादी तुम्हें क्यों ले गया था ?

उ०—उसने मुझसे कहा था तुम पढना चाहते हो तो मेरे गावमें चलो। वहां मेरे अस्पृश्य बोर्डिङ्ग-की सुपरिंटेंडेण्टी करना और समीप ही मोडलिंब (बावोके पासके एक गांवका नाम है) में उमाविद्यालय

है उसमें यह भी आया। मैंने कहा चलो कुछ हरकत नहीं।

प्र०—तुम वाधीमें कहां रहते थे?

उ०—कोठारीके घरमें।

प्र०—भोजन क्या कोठारीके चौकमें ही करते थे?

उ०–नहीं, मैं उनकी माताके चौकमें जीमता था?

प्र०—क्या कोठारी और उनकी माता दोनोंके चौके (रसोई होनेकी जगह) अलहदे अलहदे थे?

उ०–हां! दोनोंकी रसोई अलहदी (भिन्न जगहमें) होती थी।

प्र०—कोठारीके चौकेमें क्यों नहीं जीमते थे?

उ०—कोठारीने मुझसे कहा था कि

'मेरे यहां छूआछूतका कुछ विचार नहीं है। यदि मेरे यहां चलना हो तो मेरे यहां जीमो नहीं तो माके पास जीमो।

इसलिए मैं उनकी-माके पास जीमने लगा।

प्र०—वहां तुम क्या काम करते थे?

उ०—उस समय दो तीन मास तक अस्पृश्य बोर्डिङ्गकी इमारत (मकान) बनानेका काम हुआ था उसे देखता था।

प्र०—कोठारीके घरमें क्या कोई महार (भङ्गी) नौकर था? और क्या काम करता था?

उ०—उस (कोठारी) के घरमें भोमा नामक एक महार नौकर था। वह (महार) घरमें झाड़ू देता, बिछौने बिछाता और बाजारसे सामान (खाने पीने आदिकी सामग्री) लानेका काम करता था।

प्र०—फर्यादी (कोठारी) क्या बोर्डिङ्गके अस्पृश्यों (लडकों) को छूता था?

उ०—हां! वह (कोठारी) उन्हें (अस्पृश्य लडकोंको) छूता था।

प्र०—अस्पृश्य बोर्डिङ्गमें क्या कोई मास्टर भी था?

उ०—हां! ऐदाले नामक एक अस्पृश्य मास्टर था और वह लडकोंको पढ़ाता था।

प्र०—क्या कभी फर्यादी (कोठारी) भी बोर्डिङ्ग-में आता था?

उ०—हां! वह (कोठारी) बोर्डिंगमें बनती इमारतका काम देखने आता था।

प्र०—उस अस्पृश्य बोर्डिङ्गमें क्या वह कभी जीमता (भोजन करता) भी था ?

उ०—हां ! उस जगह (बोर्डिंगमें) देर हो जानेसे वह (कोठारी) वहां ही (अस्पृश्योंके बोर्डिंगमें) जीमता (भोजन करता) भी था।

प्र०—बोर्डिङ्ग ओपन सिरेमनी (उद्घाटनोत्सव) कब हुई थी और उस समय क्या जीमन (पंक्ति भोजन) हुआ था ?

उ०—हां ! बोर्डिङ्गकी इमारतका उद्घाटनोत्सव मार्च महीनेमें हुआ था और उस समय (बोर्डिङ्गमें) जीमन (पंक्ति भोजन) भी हुआ था।

प्र०—फर्यादी (कोठारी) क्या उस जीमनमें शामिल था ?

उ०—हां ! वह (कोठारी) उस पंक्तिभोजनमें शामिल था।

प्र०—उस जीमनमें (पंक्तिभोजनमें) क्या अस्पृश्य भी सामिल थे ?

उ०—हां ! उस (जीमन) में दो चार अस्पृश्य भी सामिल थे।

प्र०—उन अस्पृश्योंका नाम क्या तुम्हें मालुम है ?

उ०—हां ! एक तो ऐदाले (अस्पृश्य बोर्डिंग-का मास्टर) था, दूसरा पूनेका टाइम-कीपर कदम था, बाकीका नाम इस समय मेरे ध्यानमें नहीं आता ।

प्र०—ये लोग एक पंक्तिमें बैठे थे या अलग ?

उ०—एक पंक्तिमें बैठे थे, अलग नहीं ।

प्र०—तुम्हें फर्यादीने सुपरिंटेंडेंट रक्खा था ?

उ०—नहीं । मुझे उसने सुपरिंटेंडेंट नहीं बनाया क्योंकि ऐदालेने कहा था कि अस्पृश्योंके बोर्डिङ्ग पर यदि स्पृश्य नौकर रखते हो तो मैं नहीं रह सकता । फिर मैं चला आया ।

इसके बाद फर्यादीके वकीलने जिरह करना प्रारम्भ किया और गवाहने निम्न प्रकारसे उत्तर दिया ।

प्र०-फर्यादी तुम्हें क्या कह करके ले गया था ?

उ०—'सुपरिंटेंडेंटोका काम करोगे तो मैं उमाविद्यालयमें पढ़नेका जो खर्च पड़ेगा उसे पूरा करता रहूंगा' ऐसा कह करके ले गया था ।

प्र०—तुम उमाविद्यालयमें पढ़ने गये थे ?

उ०—नहीं, क्योंकि उस समय बोर्डिङ्गकी बंधाई (बनने) का काम चल रहा था इसलिये नहीं गया ।

प्र०—उमाविद्यालयमें कितनी फीस लगती है ?

उ०—न मैं वहां जा पाया और न उस स्कूलकी फीस ही मैंने तलाश की।

प्र०—तुम्हें काम करनेके बदलेमें कोठारीने क्या दिया ?

उ०—कुछ नहीं, सिर्फ भोजन।

प्र०—ऐदालेकी निकाल कर फिर्यादी तुम्हें रखना चाहता था न ?

उ०—मुझे क्या मालूम।

प्र०—उमाविद्यालयमें कौनसी कक्षामें जाना चाहते थे ?

उ०—तीसरीमें।

प्र०—दूसरी कक्षा तक कहां पढे थे ?

उ०—प्राइवेट पढा था।

प्र०—किसी स्कूलमें भी पढने गये थे क्या ?

उ०—हां। कोल्हापुरमें नया स्कूलमें १८२२के अगस्त या सितम्बरमें पढता था।

प्र०—तुमने मराठीका स्कूल कब छोड़ा था ?

उ०—सन् १८१८में।

प्र०—बीचके दिनोंमें क्या करते थे ?

उ०—मेरी मां मर गई थी इसलिये घरमें छोटे भाइयोंके लिये रसोई आदि करता था।

प्र०—और भी कहीं पढने गये थे ?

उ०—इन्दोरके जैन हाईस्कूलमें जुलाईसे अक्टू-बर तक था।

प्र०—अब क्या करते हो ?

उ०—अब उपाध्यायगीरीका काम करता हूं।

प्र०—तुम कहां रहते हो ?

उ०—मूलमें 'मिरज'में रहता हूं और उपाध्या-यका काम अर्जुनवाड (मिरजके पास एक गांव है)-में करता हूं।

प्र०—तुम्हारी आयका क्या मार्ग है ?

उ०—अलबो (एक गांवका नाम)-में मेरी जमीन है जिसकी व्यवस्था मेरे चचेरे भाई करते हैं। ६ एकड है। उसकी आय है और मन्दिरकी आय है।

प्र०—अर्जुनवाडमें कितने जैन घर है ?

उ०—कोई २५-३०।

प्र०—फर्यादीकी माता कहां रोटी करती थीं ?

उ०—जीनेके पास कोठरीके बाहर। (यहां गवाहसे घरका सब नक्सा पूछा गया और दिशाओंके हिसाबसे द्वार आदि पूछे जिनका उत्तर गवाहने सब कहा)

प्र०—कोठारीके घर कितने नौकर थे ?

उ०—भीमा महारके सिवा दो मराठे कोली (अस्पृश्य) और भी थे।

प्र०—उनके नाम बता सकते हो ?

उ०—हां। एकका नाम दोन् था, दूसरेका याद नहीं पड़ता।

प्र०—तुम्हारी और कोठारीकी जाति एक है न ?

उ०—नहीं, मेरी जाति पंचम है और कोठारीकी ह्मड।

प्र०—उन दोनों जातियोंमें जीमन होता है ?

उ०—हां। कुछ जीमते हैं, कुछ नहीं।

प्र०—बोर्डिङ्ग घरसे कितनी दूरी पर है ?

उ०—३ ४ फर्लाङ्ग पर।

प्र०—तुम काम पर कब जाते थे ?

उ०—मैं सुबह उठते ही जाता था और ८ या ८॥ के करीब लौटता था। इसके बाद जीम कर जाता था और सामको खाने आता था।

प्र०—कोठारीके यहां कुछ पशु थे ?

उ०—हां। एक घोड़ो और एक भैंस थी।

प्र०—तुम अस्पृश्य बोर्डिङ्गमें जीमते थे न ?

उ०—नहीं।

प्र०—तुम कोठारीको छूते थे ?

उ०—नहीं, मै कोठारीको छूता न था।

प्र०—उसके (कोठारीके) बिछौने पर तो सोते थे ?

उ०—नहीं, मैं उस (फर्यादी) के बिछौने पर भी न सोता था।

प्र०—तब तुम कहा सोते थे ?

उ०—मै नीचे दरवाजेके पास सोफे (बरगड़े)में सोता था।

प्र०—तुम फर्यादीके घरमें किसको छूते थे ?

उ०-इन (कोठारी) के घरमें मात को छोड कर सब लोग अस्पृश्योंको छूते थे इसलिये मैं किसीको न छूता था।

प्र०—अस्पृश्य नौकर घरमें कहां तक जाते थे ?

उ०—भीमा महार (भंगी) इन (कोठारी) के रसोई घर तक जाता था।

प्र०—महार (भंगी) भीतर जानेसे घर अपवित्र हो जाता है न?

उ०—हमारे यहां (इधर) जैन लोगोंके घरमें भीतर महार नहीं जाते और जब वे घर भीतर ही नहीं जाते तो उनके भीतर जानेसे घर भर अपवित्र हो जाता है या नहीं। यह मैं कैसे बता सकता हूं।

प्र०—अच्छा। तुम क्या समझते हो ?

उ० - मुझे यह विषय मालूम नहीं।

प्र०—कोठारीका अस्पृश्योंके साथ ऐसा व्यवहार करना तुम्हें कैसा लगता था ?

उ०— अनुचित और जैनजातिके रिवाजके विरुद्ध जंचता था।

प्र०—तुम किसीसे यह बात कहते थे या नहीं ?

उ०—हां मुझसे कोई जान पहचानका आदमी पूछता था तो उससे कहता था।

प्र०—जिन जिनसे यह बात कही, उनके नाम बताओ ?

उ०—उनके नाम मुझे याद नहीं पड़ते।

प्र०—सहभोजनमें कितने आदमी थे ?

उ०—कोई सौ पौन सौ आदमी उसमें थे। व बईके जयकर भी थे।

प्र०—शोलापुरका कोई आदमी उसमे था ?

उ०—मेरी जान पहचानका कोई न था।

प्र०—जयकर और अस्पृश्योंके सिवा उसमें और कौन २ थे ?

उ०—उन सबको याद नहीं।

प्र०—तुमने भी उसमें भोजन किया था न ?

उ०—नहीं, मैंने उसमें भोजन नहीं किया।

प्र०—तुम वहां क्या करते थे?

उ०—मेरे हाथमें प्रबन्ध था।

प्र०—अस्पृश्य अलग बैठे थे न?

उ०—नहीं, वे पंक्तिके बीच बीचमें बैठे थे।

प्र०—तुमने कैसे जाना कि वे (ऐदाले और कादंब) अस्पृश्य थे?

उ०—ऐदालेको मैं पहचानता था, कादंब टाइमकीपर अस्पृश्य है ऐसा मुझसे कोठारीने कहा था।

प्र०—तुमसे कोठारीने यह बात क्यों कही?

उ०—कादंबने व्याख्यान दिया था इसलिये।

प्र०—उस (कादम्ब)ने व्याख्यानमें क्या कहा था?

उ०—मेरे हाथमें प्रबन्ध था इसलिये किसीका व्याख्यान सुन पाता था किसीका नहीं।

प्र०—तुम किस काम पर थे?

उ०—सौदा (आटा चावल आदि) वगैरे काढनेके काम पर

प्र०—बाकी दो अस्पृश्य हैं यह कैसे जाना?

उ०—वे दोनों महार वहां हो (बोर्डिंगमें हो) काम करते थे इसलिये मैं उन्हें पहचानता था। वे शेटफाल (रावोंके पासका एक गांव)के रहनेवाले थे।

प्र०—तुम यहां गवाही (साक्षी) देने कैसे आये?

उ०—बालगौडा लक्ष्मण चिकोडी (एक गांवका नाम है) ने मुझसे कहा था कि तुमने ग्रेडवालमें जो कोठारीकी हकीकत कही थी उसके बारेमें बेलगांव कोर्टमें साक्षीकी जरूरत है। मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं था, मैं मिरज आनेवाला था। अच्छा हुआ जो तुम ही आ गये। इसके बाद उन्होंने मुझे दश रुपये दिये और कहा कि, मजूमदार वकीलके यहां जाओ।

प्र०—बालगौडासे तुमने यह हकीकत कब कही थी?

उ०—दिसंबरमें महासभाके समय।

प्र०—और भी किसीसे कही थी?

उ०—हां वहां बहुतसे लोगोंसे कही थी।

प्र०—तुम क्या महासभाके मेंबर थे?

उ०—मैं एक रुपया दे कर गया था, प्रतिनिधि या क्या हो कर गया था सो मालूम नहीं।

प्र०—वहां क्या दंगा हुआ था?

उ०—हां। कोठारी और अन्य दो तीन लोगोंने मण्डपकी तरफ के लोगों पर पत्थर फेंके थे; मण्डपसे १०० या ५० हाथकी दूरी पर एक टीकडी (ऊंचा टीला) है उस परसे।

प्र०—और भी कोई दंगा हुवा था?

उ०—इससे पहिले कोई दंगा हुआ होगा तो मुझे मालूम नहीं। क्योंकि मैं मण्डपके भीतर नहीं गया। उस समय गांवसे मण्डपकी ओर आ रहा था।

प्र०—कोठारी आदिके पत्थर फेंकने पर लोग क्या करते थे?

उ०—लोग शरीर पर पत्थर पड़ते ही एक तरफ हो जाते थे और कुछ भी दंगा न करते थे।

प्र०—पत्थरकी किसीके चोट लगी थी?

उ०—पत्थरसे किसीके चोट आई होगी तो मुझे मालुम नहीं।

प्र०—वहां पुलिस थी?

उ०—हां।

इसके बाद सन्दिग्ध बातोंका खुलासा करनेके लिये श्रीयुत मजुमदार वकीलने पूछा—

प्र०—तुम इन्दौरसे क्यों चले आये थे?

उ०—मेरे पिता प्लेगसे बीमार हो गये थे। उनका तार गया था इसलिये मैं चला आया।

प्र०—जब तुम आये तब पिता जीवित थे?

उ—नहीं, मेरे आनेसे तीन दिन पहले ही मर चुके थे।

बेलगांव } (सही) आर, एन, किर्णी
फर्ष्टक्लास आनरेरी मजिष्ट्रेट

बेलगाम छावनीके आनरेरी फर्ष्ट क्लास माजिष्ट्रटकी कचहरी।

फौजदारी केश नं० २१० सन् १९२५

फिरयादी—वालचन्द वल्द रामचन्द कोठारी पूना सिटीका रहनेवाला।

आरोपी नं० १—ब्र० रघुनाथदासजी रईस सरनौ सम्पादक—जैनगजट।

आरोपी नं० २—पं० लालाराम शास्त्री, धीरज पहाड़ी देहली, सहायक सम्पादक जैनगजट।

,, नं० ३—पं० मक्खनलाल शास्त्री कलकत्ता प्रकाशक—जैनगजट।

,, नं० ४—पं० श्रीलाल कंशीधर कलकत्ता मुद्रक—जैनगजट।

आरोप—ताजीरात हिंदकी दफा नं० ५००

न्यायाधीशका फैसला।

—:*:—

फरियादीका कहना है कि—ता० २२ जनवरी सन् १९२५को कलकत्तेमें उक्त चारो आरोपियों ने फरियादीकी मानहानि करनेके अभिप्रायसे अथवा यह

समझ कर भी कि इससे फरियादीका यश कलङ्कित होगा जैनगजट नामक पत्रके १८६ वें पृष्ठ पर फिर यादीके विरुद्ध दश बातें अथवा व्यंगोक्तियां संपादित कीं, मुद्रित कीं और प्रकाशित कीं इसलिए कुल आसामियोंने ताजीरात हिंदकी ५०० वीं कलमके अनुसार अपराध किया है।

(२) नं० १ के आरोपी पं० रघुनाथदासजी को मि० हीरेमठ (बेलगामके * सिटी मजिष्ट्रेट)ने वकीलकी मारफत हाजिर होनेकी परवानगी दे दी इस लिए वे कतई (बिल्कुल) कचहरीमें उपस्थित न हुए और न उन्होंने अपना कोई लिखित बयान (वक्तव्य) ही उपस्थित किया। नं० २ के आरोपी पं० लालाराम

---

* कोठारीने मामला बेलगामके सिटी मजिष्ट्रेट श्रीयुत आर, एस, हीरेमठके इजलासमे दायर किया था और ता० १५ मई १९२५ को नं० २ ३ ४ के आरोपी उनकी ही कचहरीमें हाजिर भी हुए थे परंतु तारीख ८ जून १९२५ को अकस्मात् मामला आनरेरी फर्स्टक्लास मजिष्ट्रेट श्रीयुत आर, एन, किणी महोदयकी इजलासमें बदल गया। ता० १५ मई को आरोपियोंकी जामिन लेते समय श्रीयुत हीरेमठने नं० १ के आरोपी पं० रघुनाथदासजीकी बीमारी की रिपोर्ट पढ कर अनुपस्थिति माफ कर दी थी इसलिए पण्डितजी हाजिर नहीं हुए।

जो शास्त्री इजलासमें हाजिर हुए और उनने अपने बयानमें अन्य बातोंके साथ यह भी कहा कि—मैं सदा देहलीमें रहता हूं और वहां हीरालाल जैन हाई स्कूलमें प्रधानाध्यापकी कार्य करता हूं। इसलिए कलकत्तेमें छप कर प्रकाशित होनेवाले जैनगजटके अङ्कों पर मैं कोई नियमित निरीक्षण नहीं कर सका। फरियादीने जिस लेखको आपत्तिजनक बतलाया है, वह नं० ३ के आरोपी (पं० मक्खनलाल शास्त्री)ने अपनी जिम्मेदारी पर प्रकाशित किया है।

नं० ३ के आरोपीने अपने वक्तव्यमें बतलाया है कि—उक्त आपत्तिजनक लेख दक्षिणसे एक विश्वसनीय सज्जनने भेजा था इसलिए उक्त लेखकी कुल बातोंको सत्य समझ अन्तमें अपने नोट सहित मैंने जैनसमाजके हितार्थ जैनगजटमें प्रकाशित कर दिया। और वह (नं० ३ आरोपी) स्पष्ट करते हैं कि—उक्त लेखकी समस्त जुम्मेदारी मुझ पर है।

नं० ४ के आरोपी (श्रीलाल काव्यतीर्थ)का कहना है कि—मैं कलकत्तेके जिस प्रेसमें जैनगजट छपता है, उसका मैनेजर हूं और आपत्तिजनक लेख जैनगजटके जिस अङ्कमें छपा है, वह अङ्क भी अन्य छपनेवाले कार्योंके समान उनके प्रेसमें छपा था इस लिए उक्त लेखके लिए वह जिम्मेदार नहीं हैं।

(३) उक्त लेखमें कुल दश बातें व्यंगपूर्ण हैं जिनमें फरियादीने केवल छहका ही उल्लेख अपने प्रार्थनापत्रमें किया है जैसा कि नं० ३५की टलीलमें नं० (ए) से (एफ) तक लिखा है।

(४) इस मुकद्दमे (केस--खटला) में नीचे लिखी बातें विचारणीय हैं--

(क) ता० २२-१-२५ के जैनगजटमें प्रकाशित होनेवाले इस व्यङ्गतापूर्ण लेखको प्रकाशित करनेका प्रबन्ध समस्त आरोपियोंने किया अथवा किसी एकने ?

(ख) अगर प्रकाशित किया तो समस्त आरोपियोंने अथवा किसी एकने ? फरियादीकी मानहानि करनेके इरादेसे अथवा कोत्ति दूषित हो जायगी ऐसा जान मान कर उसे प्रकाशित किया।

(५) मैं (मजिष्ट्रेट) उक्त दोनों प्रश्नोंका उत्तर देता हूं कि नं० २-३-४ के समस्त आरोपी निर्दोष हैं।

(६) जैनगजट भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभाका मुखपत्र है और वह कलकत्तासे प्रतिसप्ताह प्रकाशित होता है। इस सभाके नियम नं० ३२ के एक्जिबिट (टलील) में दिये गए हैं जो सन् १९१९ में होनेवाले लखनौके अधिवेशनमें नियत किये गये थे।

(७) फरियादी बम्बई यूनिवर्सिटीका ग्रेजुयट है, अपने वक्तव्यमें वह कहता है कि उसने लगभग ५०० सभाओंमें व्याख्यान दिए होंगे तथा इस कोर्टमें जो अपने मामलेकी पुष्टिमें बिना कानूनकी कोई परीक्षा पास किए ही बहस (अर्गूमेंट) की, उससे वह सामान्य ज्ञानका आदमी नहीं मालूम पड़ता परन्तु उसके विरोधी भी (आरोपी नं० २-३-४) अनेक यूनिवर्सिटियोंकी अनेक उपाधियोंसे भूषित हैं और अपने पुरातन मार्ग पर आरूढ़ हैं ।

फरियादी सुधारक ख्यालातका हैं और आरोपी लोग तिलभर भी अपने पुरातन मार्गसे विचलित नहीं हैं । नम्बर ५४ के एक्जिबिट (दलील) के अनुसार सुगमतया जाना जाता है कि फरियादी बाबू पार्टीका मनुष्य है और आसामी लोग पण्डितपार्टीके सदस्य हैं ।*

(८) नं० २३ के एक्जिबिट (ता० २३-६-२४ का जैनगजट, इसमें पं० रघुनाथदासजीका स्तीफा छपा है) से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि नं० १ के आरोपी ने अपनी बीमारीके कारण प्रधान संपादकीसे स्तीफा दे दिया था और नं० २४ (ता० २८-७-२४ का जैन-गजट, इसमें सम्पादनकी समस्त जिम्मेदारी पं० लाला

* जैनमित्रका वह अंक जिसमें बालचन्द कोठारी आदि करीब ४०० आदमियोंके नाम छपे हैं ।

रामजीने अपने ऊपर ली है) के एकजविटसे यह जाना जाता है कि पत्रके सम्पादनको समस्त जिम्मेदारी नं० २ के आरोपीने अपने ऊपर ले ली थी। यदि यह माना जाय कि आरोपी नं० १ का स्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो भी महासभाकी नियमावलीके अनुसार तीन मास बाद अर्थात् ता २३-८ २४को वह (नं० १) सरलतासे अपनी जिम्मेदारीसे छूट सकता है। जैन-गजटमें संपादककी जगह आरोपी नं० १ का नाम सहायक सम्पादकमें नं० २ आरोपीका, प्रकाशकमें नं ३ का और मुद्रकमें नं० ४का नाम जो छपा दिखलाई पड़ता है और कमसे कम ता० २२-१-२५के अङ्कमें, जिसमें फरियादीके विरुद्ध लेख छपा है, वह नं० १ और २ के आरोपियोंके बयान और पेश किये गये एक्जिबिट नं० २३ २४ के देखनेसे स्पष्ट जाना जाता है कि कार्यकर्त्ताओंके नाम छापनेमें गलती हुई है।

चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट कलकत्ताके समक्ष जो सन १९२३ में डिक्लेरेशन लिया गया है और जिसकी कापी मेरे समक्ष पेशकी गई है उसमें नं० ३ के आरोपीको प्रिण्टर (मुद्रक) पब्लिसर (प्रकाशक) लिखा है उससे यह निश्चय हो जाता है कि सन् १९२३ से जो कुछ जैनगजटमें छपता है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ नं० ३के आरोपी पर ही है। यही बात नं०

२ और ४ के आरोपियों ने भी अपने अपने बयानोंमें कही हैं तथा नं० ३ के आरोपीने तो अपने बयानमें जोर देकर कहा है कि इस विवादस्थ लेखकी कुल जिम्मेदारी केवल मुझ पर ही है।

(८) फरियादीकी तरफसे मेरे सामने नं० ४-५-६ और ७के एक्जिबिट यह दिखलानेके लिए पेश किए गए कि—फरियादीके पास आरोपियोंने वकील-की मारफत यह उत्तर भेजे थे परन्तु आरोपियोंने उन उत्तरोंको स्वीकार नहीं किया और न उन पत्रोंको प्रमाणित ही किया गया, जैसा कि कानूनके अनुसार होना उचित था इसलिये इस फैसलेके समय उन पर कुछ विचार नहीं किया जायगा। इसी प्रकार जागरूक (एक्जिबिट नं० २८-२९-३०-३४) केशरी (एक्जिबिट नं० ३२-३३) तथा संदेश (एक्जिबिट ५१) के अंशों पर भी कुछ विचार नहीं होगा क्योंकि उनमें चिन्हित विषय भी गवाहोंको पेश कर कचहरीमें परीक्षित नहीं कराए गये। मि० कोठारीने अपने बयानमें स्पष्ट ही कहा है कि जागरूक पत्रमें जो कुछ लिखा गया है वह उस पार्टीके ख्यालात हैं जिसकी अध्यक्षतामें उक्त पत्र चलता था और वे मेरे निजी ख्यालात (विचार) न थे। इसी प्रकार नं० ४९ के एक्जिबिट पर भी मैं विचार न करूंगा जो हिन्दी जैनगजटका अङ्क है,

क्योंकि उसका अनुवाद हाजिर नहीं किया गया यद्यपि उसका अनुवाद करनेकी आज्ञा दे दी गई थी।

(१०) जैनगजट, जिसमें कि फरियादीके विरुद्ध लेख छपा है, वह यद्यपि कलकत्तासे प्रकाशित होता है, तो भी बेलगाम तथा बेलगामके आसपास उसके ग्राहक होनेसे पढा जाता है जैसा कि नं० १२-१३ और २१ के एग्जिबिटसे ज्ञात होता है इसलिए उसमें लिखी गई व्यंगोक्तियां इस जिलेमें निर्धारित होनी उचित हैं।

(११) उक्त लेखको प्रकाशित करनेका प्रधान कारण फरियादी बतलाता है कि—वह महासभाके शेडवाल अधिवेशनमें महामन्त्री नियुक्त किया गया और आरोपी लोग अपने अपने पदोंसे च्युत कर दिये गये इसलिये उन्होंने उसके विरुद्ध उक्त व्यङ्गोक्तिपूर्ण लेख छपाया परन्तु फरियादीका ही यह भी कहना है कि—उसने ता० ८-१ २५को महासभाके महामन्त्री की हैसियतसे एक सूचना प्रकाशित की कि समस्त सहायता आदिके रुपये उसके पास भेजे जाने चाहिए। इसके उत्तरमें आरोपियोंने उक्त लेखको ता० २२-१-२५ के जैनगजटमें छपा कर जैनसमाजको सचेत किया कि वह रुपया कोठारीको न भेज कर सेठ चैनसुखजी छावड़ा महामन्त्री सिवनीको भेजे और उसके पास

न भेजनेमें कुछ हेतु भी दिखला दिए गए जिन पर कि इस समय विचार करना है ।

इस कोर्टमें जो साक्षी उपस्थित हुए उनके बयानोंसे जाना जाता है कि महासभा सिर्फ दो दिन ता० २३ और २४ दिसम्बर १९२४ कोही भरी गई और ता० २४ दिसम्बरको जो सबजेक्ट कमेटी चुननेके लिए निर्णय कमेटी बनी जिसमें कि फरियादी भी सामिल था, उसने अपना कुछ निर्णय दिया अथवा नहीं यह इस कोर्टमें कुछ प्रमाणित नहीं किया गया। फरियादीने महासभाकी कोई प्रोसीडिंग (अधिवेशन की कारवाई) भी नही दिखलाई जिससे कि यह मालूम पडता कि वह (फरियादी) महामन्त्री चुना गया है और आरोपी अपने पदोंसे च्युत कर दिए गए हैं।

इस संबन्धमें फ़रियादीकी तरफसे दो गवाह गुजरे एक सेठ ताराचन्द और दूसरा लाला नाना चौगला। ताराचन्दका कहना है कि—वह शेडवालमें महासभाका सभापति चुना गया परन्तु उसने भी कोई प्रोसीडिङ्ग (कारवाई) इस संबन्धकी उपस्थित नहीं की । ताराचन्दने स्वीकार किया है कि—महासभाके सभासदोंमें उस (ताराचन्द)का नाम नहीं है और शेडवालमें अधिवेशन प्रारम्भ हुआ उसके सभापति नेमिसागरवर्णी थे । उसका यह भी कहना है कि ता०

२६-१२-२४ को नेमिसागरजी वर्णीने एक सूचना प्रकाशित की थी जिसमें लिखा था कि महासभाका अधिवेशन भगड़ेके कारण समाप्त किया जाता है। इन सब बातों तथा अन्य भी कारणोंको देखनेसे शेठ ताराचन्द्र शेडवालमें महासभाके सभापति चुने गये थे यह बात सत्य नहीं जंचती और उक्त बातोंके स्वीकार कर लेनेसे यह बात तो और भी ठीक नहीं जंचती कि फरियादी शेडवालमें महासभा का महामन्त्री चुना गया था।

बाला नाना चौगला (दलील नं० १८) का कहना है कि जैनगजटमें प्रकाशित महासभाकी प्रस्तावना (प्रोसीडिंगस) को पढ़ कर उस (चौगुला)ने सोचा कि फरियादी महामन्त्री चुना गया था और इसलिए उस (चौगला) ने जैनमित्र (दलील नं० २५) में अपनी चिट्ठी प्रकाशित करनेके लिए भेजी। जिरह करने पर गवाहने कहा कि, "फरियादी महामन्त्री उसकी समझसे चुना गया है'। पहिले इसी गवाहने कहा था कि उसे याद नहीं है, कि जैनमित्रमें अपने कोई चिट्ठी भेजी है वा नहीं।

इस गवाहने जिस ढंगसे गवाही दी उसे देखते हुये कहना पड़ता है कि इसने (बाला) फरि-

यादीके पक्षको हर तरहसे पुष्टि करनेकी ही अपने दिलमें ठान ली थी।

ताराचन्द भी स्वीकार करता है, कि वह नहीं जानता, कि सभापतिकी हैसियतसे उसने फरियादीको जनरल सेक्रेटरीकी हैसियतसे अपने पास चन्दा मंगानेके लिए कोई कोई आज्ञा दी। वह यह भी नहीं जानता कि फरियादीके पास कितना चन्दा जमा हुआ। अगर वह सभापति होता तो क्या इस विषयका निरीक्षण करनेका उसका कर्त्तव्य नहीं था? लाला चोगलाने इसमें कुछ भी चन्दा नहीं दिया और फरियादीका कहना है, कि उसने २५) या ३०) रु० वसूल किये होंगे। जो कुछ हो, इससे साबित होता है, कि फरियादी चाहता था कि चन्दा उसीके पास जमा हो। लेकिन आरोपियोंका कहना है, कि यदि चंदा फरियादीके पास भेजा जायगा, तो वह इसका अपव्यय कर डालेगा। इस कारण आरोपियोंने जैन समाजको सलाह दी, कि जो कुछ चन्दा हो, वह पुराने महामन्त्री सेठ चैनसुख छावड़ाके पास भेजा जाय। फरियादी और आरोपीमें झगड़ेका यही कारण है। फरियादीका कहना है, कि किसी आरोपीके साथ उसकी व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है और न किसी आरोपीके साथ उसकी साक्षात जान पहचान ही है।

१२। फरियादीका कहना है, कि अछूतोंका स्पर्श तथा उनके साथ बैठ कर भोजनादि करना जैनधर्मके प्रतिकूल नहीं है। फरियादीका यह भी कहना है कि विधवाविवाहादि जैनधर्मके अनुकूल है। अस्पृश्योंके साथ भोजनादिके प्रश्न पर विचार नहीं किया गया, कारण वह आक्षेपोंमें नहीं रखा गया है। फरियादी स्वीकार करता है, कि वह अछूतोंको अपने यहां नौकर रख सकता है, लेकिन आज तक उसने किसी अछूतको अपने यहां नौकर नहीं रखा है। वह यह भी कहता है, कि वह उसी हालतमें अछूतोंको अपने यहां रख सकता है, जब जैन समाज ऐसा करनेको तयार हो। ताराचन्दका कहना है, कि जो अछूतोंका छूना स्वीकार करता है, वह महासभाका सदस्य नहीं हो सकता। लेकिन बालु चोगलाका कहना है, कि महासभाके जितने सदस्य है, वे सभी अछूतोंका आम जगह पर स्पर्श किया करते है। लेकिन उसके ख्यालसे खासगी जगह पर उनको छूना मना है। यशवन्त (दलील नं० १२) का कहना है, कि यदि किसी अछूतके साथ उसका स्पर्श हो जाय, तो वह स्नान कर लेता और किसी अछूतको अपने कुएंसे पानी नहीं लेने देता है। पं० बंशीधरजी (दलील नं० ४२)के कथनानुसार अछूत त्याज्य है और उनका स्पर्श करना निषिद्ध

है। इन पण्डितजोने जो महापुराण नामक जैनशास्त्रों-के प्रमाण पेश किये उनका फरियादोने कोई खंडन नहीं किया।

१३। फरियादोका कहना है, कि जैनसमाजमें सुधार करना तथा जैनधर्मके आधार पर विद्याप्रचार करना ही महासभाका उद्देश्य है। लेकिन ताराचन्दका कहना है, कि जैनसमाजको उन्नति तथा जैनधर्मको रक्षा करना ही महासभाका प्रधान उद्देश्य हैं। इन दो वयानोंसे यह नहीं समझा जाता है, कि सुधार तथा समाजको उन्नति धर्म पर कोई आक्षेप करते हुए की जाय। १८९८ ई०में लखनऊमें महासभाका जो अधि-वेशन हुआ था, उसके नं० २ के नियमानुसार महा सभाका प्रथम उद्देश्य है जैनधर्मकी हर हालतसे रक्षा करना और उक्त नियमसे यह समझा जाता है, कि जो जैनधर्मके प्रतिकूल है, वह सब प्रकारसे परि-त्याज्य है।

१४। यदि कोई तोहमत किसी मनुष्य पर जान बूझ कर लगाई जाय और उससे उस मनुष्यको मान-हानि, हो तो वह तोहमत मानहानिजनक समझो जाती है, इसके विपरीत जब कोई बात सच हो और जनसाधारणको भलाईके लिए सच्चे दिलसे प्रगट को गई हो ता वह मानहानिजनक नहीं है अब यह देखना

चाहिए कि यह जो तोहमत लगाई गई है, सो सच है या नहीं, और आरोपी नं० ३ने खास कर इसे जैनगजटमें छपानेका हुकुम दिया है या नहीं। इस मामलेमें फरियादीका कहना है कि आरोपी नं० ३ ने सबका कर बाहुबली (दलील नं० ५५) को इस विषयका पत्र (दलील नं० ११) लिखा कि वे उक्त आक्षेपोंको प्रमाणित करनेके लिए कुछ गवाहोंको संग्रह करें। इस पत्रको बालू नाना चौगला (दलील नं० १०) ने अदालतमें पेश किया और कहा, कि बाहुबलीने इसे दिया था। आरोपी नं० ३ ने इस पत्रको यह कह कर नामंजूर किया, कि यह उसका लिखा हुआ नहीं है और यह भी कहा, कि वह बाहुबलीको 'पूज्य' सम्बोधनकरपत्र नहीं लिख सकता, क्योंकि वह (बाहुबली) उसका शिष्य है। बाहुबलीने बालू नानाके पेश किये गये पत्रमें जो हस्ताक्षर थे उनको नं० ३ आरोपीके नहीं बतलाते हुए कहा, कि यह पत्र उसने बालू नानाको कदापि नहीं दिया और न उसने आरोपी नं० ३ से ही इसे प्राप्त किया। लेकिन बालू नाना चौगला (दलील नं० १०)ने आरोपी नं० ३के लिखे हुए दो तीन ६ या ७ कागजों पर हस्ताक्षर देख कर जोरसे कहा, कि यह आरोपी नं० ३ का ही लिखा हुआ है। यदि मान लिया जाय कि यह पत्र (दलील

नं० ११) आरोपी नं० ३ ने बाहुबली शर्माको गवाह संग्रह करनेके लिए दिया हो (चूंकि आरोपी नं० ३ कलकत्तेके और बाहुबली शर्मा बेलगामके रहने वाले हैं) तो यह आश्चर्य नहीं, कि आरोपी नं० ३ जो शास्त्र और पुराणके भारी पण्डित हैं और कपड़ेके भी अच्छे व्यवसायी हैं, वे फरियादीकी ओरसे नोटिस पा कर डर गये हों और प्रयोजनीय सामान पानेके लिए सहायता मांगी हो। इसके अलावा एक और भी पत्र (दलील नं० ३७) था जिसे गणपत धोन्दीवा साठे (दलील नं० २६) ने अदालतमें पेश किया। यह पत्र उसे उक्त आक्षेपोंके समर्थनमें गवाह संग्रह करनेके लिए भाईचन्दने वंशीधरजी (दलील नं० ४२) के सामने दिया था, किन्तु वंशीधर यह स्वीकार नहीं करते और भाईचन्द अदालतमें हाजिर भी नहीं हुये।

१५। प्रार्थनापत्रमें लिखा गया नं० १का आक्षेप कि फरियादी अछूतोंको ब्राह्मण और क्षत्रियोंसे भी श्रेष्ठ समझता है और अपने यहां उन्हें नौकर रखता है जैनगजटमें प्रकाशित लेखकी कलम नं० १ और २का सारांश है। एक्जिबिट (दलील) नं० ४७ शांतिनाथका कहना है कि गत पांच या छः वर्ष पहले तासगांवकी सभामें फरियादीने स्पष्टरूपसे कहा था कि महार (भंगी) ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ हैं। फरि-

यादीका कहना है कि वह महार (भंगी)के बोर्डिंगमें था जो बोर्डिंग उसने अछूतोंके लिये १९२२ ई०में खोला है, वहां वह बेरोकटोक जाता, उन्हें स्पर्श करता और नित्यकी तरह स्नान करता है। फरियादी साफ कहता है कि बोर्डिंगमें अछूतोंको छूनेसे स्नान करनेकी जरूरत नहीं। लेकिन वह इतना कहता है कि वह अपने घरके काम काज करनेके लिये महारोंको अपने यहां नौकर नहीं रखता है। उसकी मा चतुरबाई (दलील नं० २६) कहती है कि फरियादीने कभी भी अछूतोंको अपने यहां घरेलू काम काज करनेके लिये नौकर नहीं रखा। और जब कभी वे कोई चीज मांगने आते है तो वे दरवाजेपर ही खडे रहते, भीतर नहीं आते हैं, इस विषयमे आरोपियोंका कहना है कि जब फरियादीने अपनी मांको यह खबर दी कि उसपर दूसरोंने फरियाद की है तब वह स्वभावत ही अपने लड़के (फरियादी)को बचानेके लिय बाध्य हुई। आरोपियोंका यह अनुमान असत्य नहीं कहा जा सकता फरियादीकी माके बयानसे यह साफ मालूम पड़ता है कि फरियादीके घर बावीमें दो जगह रसोई बनती है। ऐसी हालतमें सन्देह होता है कि केवल फरियादीकी मा, फरियादी तथा घरके अन्यान्य लोग

पृथक् भोजन करते हैं वा नहीं। जो कुछ हो रसोई दो जगह होती है। नेमिनाथ (दलील नं० ४६) और जयकुमार (दलील नं० ५६) साफ साफ कहते हैं कि फरियादीके घर पर महार (भंगी) नौकर हैं। जिससमय वे दोनों फरियादीके यहां बारातीमें गये थे, उस समय उन्होंने फरियादीकी माके यहां खाया, न कि फरियादीके यहां। फरियादीके यहां अछूत लोग जो कुछ काम करते हैं तथा उसके घरकी स्थिति कैसी है, यह उक्त दो गवाह साफ साफ बयान करते हैं। जयकुमार उन अछूतोंमेंसे एकका नाम भीवा बतलाता है। उक्त गवाह अपने इजहारमें कहते हैं कि फरियादीके नौकर जो अछूत हैं वे बिछौने बिछाते, बाजारसे सौदा लाते तथा इसी तरहके और भी दूसरे दूसरे काम किया करते हैं। इसपर फरियादी अपने घरमें महार मांगोंका प्रवेश निषेध सिद्ध करनेके लिये कहता है कि उसकी मा एक धार्मिक स्त्री है, निश्चयसे वह अस्पृश्योंको भीतर घुसने देनेसे हल्ला मचायेगी और उन्हें किसी प्रकार भी नहीं घुसने देगी। फरियादी अछूतोंके उद्धारमें लगा हुआ है इसलिये क्या कभी सम्भव है कि कोई अछूत अदालतमें हाजिर हो उसके बरखिलाफ बयान करे? फरि-

यादीकी मा अपने लड़केके विरुद्ध कुछ भी नहीं कह सकती यह निश्चय है। नेमिनाथ (दलील नं० ४६) कहता है कि यद्यपि वह सेतवाल जातिका और फरियादी हुमड़ जातिका है, तो भी उसने फरियादी की माके हाथकी दूधमें बनी हुई रोटी खाई। उसका यह भी कहना है कि उक्त दो जातियोंमें खान पान नहीं चलता और यदि चलता भी है तो छिपे रूपसे। इसके अलावा जो वस्तु दूधकी बनी हुई है उसे खानेमें कोई दोष नहीं। यही सोचकर उसने फरियादीकी माके यहां खाया था। जयकुमार स्पष्ट रूपसे कहता है कि उक्त दो जातिमें खान पान चलता है; तदनुसार उसने ऐसा किया। इसपर फरियादीका कहना है कि जयकुमार यदि कट्टर धार्मिक होता तो वह बोर्डिंगमें सुपरिंटेण्डेण्टका पद स्वीकार नही करता। परंतु सुपरिंटेण्डेण्टका काम अलग रहकर विना स्पर्श किये भी हो सक्ता है तिस पर जयकुमार बहुत गरीब था और विद्या सीखनेकी उसकी बडी इच्छा थी इस कारण उसने फुटकर काम करना स्वीकार किया होगा। बोर्डिंगकी देख-रेखका भार उसपर सौंपा गया लेकिन पीछे उसे सुपरिंटेण्डेण्टका पद प्राप्त न हुआ, कारण पेरालेने उसकी नियुक्तिमें बाधा दी। इन सब कारणोंसे उक्त

दो गवाहों (दलील नं० ५६ और ५६) के बयान अग्राह्य नहीं किये जा सकते। और हर कोई इस फल पर पहुंच सकता है कि जब ये दोनों गवाह वाईमें गये थे उस समय फरियादीके घर भगी नौकर थे, फरियादीने अपने आर्गूमेंटमें कहा यदि उसके महार नौकर होते तो वह पूनेमें होते वह अपनी मा जैसे धार्मिक व्यक्तियोंके ऊपर उन्हें क्यों सौंप देता। परंतु इस विषयमें यदि कोई कुछ कहता भी तो भगवानदास सोभाराम या ताराचन्द ही कहते। भगवानदाससे तो इस विषयमें दोनों ही ओरसे कुछ भी नहीं पूछा गया, यद्यपि उन्हें दोनों अच्छी तरह जानते थे। इससे मालूम पड़ता है कि किसी भी पक्षने भगवानदाससे पूछनेमें कुछ महत्त्वकी बात नहीं समझी। ताराचन्द का कहना है कि उसे फरियादीके गांव जानेका मौका नहीं आया, लेकिन ताराचन्द और फरियादीने एक साथ ताराचन्दके घर और दूसरी जगह भोजन किया। ताराचन्द बम्बईमें और फरियादी स्थायीभावसे पूनामें रहता है। अगर ऐसा है तो ताराचन्दको क्या कभी ऐसा मौका न मिला, कि वह पूना आता और फरियादीके यहां रहता, कारण ताराचन्द सामान्य कोई व्यक्ति न था। इन सब कारणोंसे मैं समझता हूं कि पहला आक्षेप सत्य है।

१६। दूसरे आक्षेपके विषयमें फरियादीका कहना है, कि आरोपियोंने लिखा है कि उसकी माने उसे अलग कर दिया है। इस आक्षेपका ठीक ठीक मतलब यह है, कि—उसकी मां उससे बिलकुल पृथक् हैं और अपने लड़के फरियादीके साथ खाती पीती नहीं है। फरियादीने ऊपरमें जैसा बयान किया है, कि वह हमेशा पूनामें रहता और उसकी मा बारोमें। यद्यपि फरियादी कभी कभी बारो जाया करता और अपनी माके यहां रहता है। फरियादीकी मांका कहना है कि वह अपने लड़केके साथ भोजन करती है, लेकिन जब कभी फरियादी अछूतोंका स्पर्श करता तब वह जब तक स्नान नहीं कर लेता, तब तक वह उसके साथ भोजन नहीं करती है। फरियादी अपने बयानमें कहता है, कि वह बोर्डिंगमें अछूतोंका स्पर्श करता हैं और नित्य स्नानके सिवा स्नान नहीं करता है। इससे यह साफ मालूम पड़ता है, कि बेचारी धार्मिक स्त्रीको यह कुछ भी मालूम नहीं, कि फरियादीने अछूतोंका स्पर्श किया है वा नहीं। अथवा स्नेहवश वह जान कर छिपा लेती है। इस विषयमें नेमीनाथ (दलील नं० ४६) और जयकुमार (दलील नं० ५६) ने जो बयान किया है, वह ठीक जचता है। उन दोनोंका कहना

है, कि फरियादीकी मां अलग भोजन करती है और फरियादी अलग। गुलाबचंद (दलील नं० ४५) बयान करते हैं, कि जब फरियादीकी मासे उन्होंने कहा कि तुम्हारा लड़का अधार्मिक बातोंका प्रचार करता है तो माने उत्तर दिया कि उसके साथ फरियादीकी बनती नहीं है गुलाबचंदका यह भी कहना है, कि उनके मुनीमने जो पत्र (दलील नं० ४६) शिवलालको लिखा था, उसमें साफ लिखा हुआ है, कि वह झूठ नहीं बोलेंगे और उन्होंने ऐसा किया है। इन सब कारणोंसे यह अच्छी तरह जंचता है, कि दूसरा आक्षेप भी सत्य है।

१७। तीसरा आक्षेप :—फरियादीका कहना है, कि आरोपियोंने लिखा है, कि जो मंदिर उसके बापका बनाया हुआ है, उसे वह बेचना चाहता है। तात्पर्य इस प्रकार है : -'फरियादीका पिता एक कट्टर धार्मिक था। कुंथलगिरिमें उसने एक जैनमंदिर बनवाया जिसे बेचनेकी उसके प्यारे लड़के फरियादीने इच्छा प्रकट की, लेकिन उसकी माने उसे ऐसा करनेसे रोका।" इस पर फरियादीका कहना है, कि उसने एक दो वर्ष तक मंदिरका कुल खर्च चलाया। पंचोंकी ओरसे जब यह कहा गया कि वह मंदिरका प्रबंध पंचोंके हाथमें देदे तो उसने मंदिरको पंचोंके हाथ

सौंप दिया और तबसे मंदिर पर ध्वजा आदि चढ़ानेका जो खर्च होता, वह पंचायत ही देती । फरियादीने यह भी कहा. सब कोई मन्दिर नहीं बनवा सकते और न पताका आदि सम्मानसूचक चिन्होंका उपभोग कर सकते हैं इस कारण उसने मंदिरका कुल भार पञ्चायत पर सौंप दिया । मंदिर पर ध्वजा आदि चढ़ानेमें २११) रु० खर्च हुए थे जिसे आजकल भगवानदास सोभाराम (दलील नं० ४३)देते हैं । जो कि उनकी मिलकियत देखनेसे सुभीतेसे मंदिर बनवा सकते हैं यद्यपि दूसरी हालतमें फरियादीकी मा चतुर बाई (दलील नं० २६) यह स्वीकार नहीं करती कि पञ्चोंने मन्दिरका खर्च फरियादीसे मांगा था और फरियादीने उसे नामंजूर किया था । वह यह स्वीकार करती है कि मंदिर अभी भगवानदास शोभारामकी देख रेखमें है । वह यह कहती है कि इस विषयमें उसने अपने लड़के फरियादीने कुछ भी नहीं पूछा । उसके इसप्रकार कहनेका कारण हरकोई समझ सका है । भगवानदास (दलील नं० ४३) गङ्गाराम (दलील नं० ४४) और नेमीनाथ (दलील नं० ४६) के बयानसे साफ मालूम पड़ता है, कि मन्दिरका खर्च पञ्चोंने कुछ समय तक दिया और वह खर्च जब पञ्चोंने फरियादीसे मांगा, तब उसने जवाब दिया कि पञ्च

जिस किसीको चाहें मंदिर दे सकते हैं मन्दिरमें आज तक ५००) या ५५०) रु० खर्च हुए थे। नेमीनाथका कहना है, कि फरियादीने उससे कहा था—पञ्च उतने रु० मन्दिर बेच कर वसूल कर सकते हैं। यशोधर (दलील नं० ४२) अपने बयानमें अनेकबार कहते हैं कि फरियादीने एक सभामें यह कहा था, कि शिक्षा प्रचारके लिए मंदिर बेचा जा सकता है। लेकिन यह सच्ची बात है, कि फरियादीने मन्दिर नहीं बेचा, पर यह भी नहीं कह सकते कि मन्दिर बेचनेके लिए उसने अपनी इच्छा प्रकट नहीं की थी।

१८। चौथा आक्षेपः—फरियादीका चालचलन खराब है। फरियादीके कथनानुसार इसका तात्पर्य इस प्रकार है,—"उसका व्यक्तिगत चालचलन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वह धरेजा और करावा इन दो विवाहोंका पक्षपाती है।" फरियादीने "आपके" का अर्थ "आपका" लगाया है, लेकिन शांतिनाथ शास्त्री (दलील नं० ४७) इसका अर्थ 'आपको' लगाते हैं। वह स्पष्टरूपसे कहते हैं, कि षष्ठी द्वितीयामें कोई फर्क नहीं है। इस हिसाबसे आक्षेपाई वाक्यका अर्थ हो जाता है कि फरियादीकी दृष्टिमें शीलव्रतका कुछ महत्व नहीं है फिर

फरयादी 'सुतराम्'का अर्थ लगाता है "केवल यही नहीं किंतु" लेकिन आरोपी नं० ३ और शास्त्री बंशीधर (दलील नं० ४२) इसका अर्थ "इसलिए" लगाते है। इस पर विचार करनेसे ऐसा मालूम पड़ता है कि 'सुतराम्'का अर्थ 'इसलिए' यही ठीक है। और संपूर्ण वाक्यका अर्थ यह है कि वह (फरियादी) 'ग्रैजा' और 'कराबा' इन दो प्रकारके विवाहोंका पक्षपाती है इसलिये शीलव्रतका कुछ महत्व नहीं समझता।

१८। शास्त्री और न्यायालंकार बंशीधर (दलील न० ४२) जो आरोपियोंके गवाह थे, उनसे जब प्रसिद्ध वकील रायबहादुर लड्डू एम० ए० एल० एल० बी० और मि० चोगला बी० ए० एल० एल० बी०ने जिरह किया, तब वे उनके प्रश्नों पर शास्त्रोक्त अनेक प्रमाण देते हुए फलीभूत हुए। उनका कहना है, कि जैनोंमें 'भरत' नामक एक राजा थे जिन्होंने जैन लोगोके लिए नियम बनाये। ३२००० म्लेच्छ कन्याए' उनकी स्त्री थीं जो उपर्युक्त विधिके अनुसार ब्याही गई थी, वे उनको रखेली नहीं थीं। उन का कहना है कि स्त्री तीन प्रकारकी होती हैं, धर्मपत्नी, भोगपत्नी और वल्लभा। उक्त राजा प्रथम प्रकारकी स्त्रीके साथ खाते पीते थे, शेष दोके साथ नहीं।

स्त्री पुरुषोंमें उल्लिखित तीनप्रकारके सम्बन्धके अलावा जो सब सम्बन्ध किया जाता है, वह सखुनफरोशी (व्यभिचार) समझी जाती है। फरियादीका कहना है कि विधवाविवाह जैनधर्मके अनुकूल है उसका कहना है कि उक्त विवाह चतुर्थ और पञ्चम जातिमें रीतिके अनुसार किये जाते हैं। लेकिन वह दावाके साथ कहता है, कि इसके लिए कुछ विधि विधान भी है। परंतु इस विषयमें वह जैनशास्त्रोंका कोई प्रमाण नहीं देता। वह पहले कहता है कि जो पुनर्विवाह विधिविधानसे किया जाता है, उसका वह पोषक है परन्तु फिर वह कहता है कि पुनर्विवाह यदि विधिविधान से नहीं भी किया जाय, तो भी वह उसका पक्षपाती है और इस कहनेमें कारण यह बतलाता है कि विधवाविवाहके विरोधी लोग सभी प्रकारके विवाहका विरोध करते हैं, उसका कहना है कि विधवाविवाह पुनर्विवाहके अन्तर्गत है लेकिन वह ऐसा कहनेका साहस नहीं करता, कि 'धरेजा' और 'करावा' का अर्थ 'पाट' है उसका कहना है कि विधवाविवाह और पुनर्विवाह दोनोंका अर्थ एक है फरियादीके विचारसे 'करावा' या 'कराव'का अर्थ उपस्त्रीगमन (व्यभिचार) और 'धरीचा' या 'धरेजा'का अर्थ बिना किसी धार्मिक रीतिके पुनर्विवाह है। इसपर

साराभाई (दलील नम्बर १) का कहना है, कि पुनर्विवाह दक्षिण देशोंमें होता है, उत्तरमें नहीं। उसका और भी कहना है कि 'घरजा' वैवाहिक संबन्धसे भिन्न है और 'करावा' तथा 'घरेजा' दोनोंका अर्थ एक है। बालू नानाका कहना है कि पुनर्विवाह और "पाट" एक बात है। यशवन्त अकुंजेके मतानुसार पुनर्विवाह दक्षिण देशके दिगम्बर जैनियोंमें प्रचलित है, वह कहता है कि यहां भी लोग इसे बन्द करना चाहते है इसप्रकार फरियादीकी तरफके जितने गवाह है, वे सबके सब अपना अपना बयान (वक्तव्य) विना किसी शास्त्रीयप्रमाणके देते हैं। जो कुछ हो यह तो सच है, कि फरियादी 'घरेजा" अथवा "करावा" आदि इसप्रकारके पुनर्विवाहका पक्षपाती है कोषके अनुसार 'करावा' का अर्थ विधवाका पुनर्विवाह या वेश्यावृत्ति या एकप्रकारका विवाह है और 'घरीचा' का अर्थ है—विना किसी विधिविधानका पुनर्विवाह। इन सब बातोंपर एक साथ यदि विचार किया जाय तो ऐसा समझा जाता है, कि 'घरेजा' और 'करावा' पुनर्विवाहसे भिन्न नहीं हैं। बंशीधरजी शास्त्री (दलील नं० ४२) का कहना है, कि 'घरेजा, 'करावा' और पुनर्विवाह (Remarriage) इन तीनोंका अर्थ एक है। उनके मतानुसार

'धरेजा' हिंदी भाषाका शब्द है और मराठीमें उसे 'पाट' कहते हैं। वे कहते हैं, कि पुनर्विवाह सोमसेन कृत त्रैवर्णिकाचारके मतानुसार निषिद्ध है उनका कहना है, विधवाविवाह व्यभिचार है इस विषयमें उन्होंने त्रैवर्णिकाचारसे कुछ प्रमाण भी दिये हैं (अध्याय११, पृष्ठ६३४, श्लोक १७१,) गालिबऋषिका मत है कि पुनर्विवाह कलियुगमें नहीं होना चाहिए प्रबोधसार और यशस्तिलकचम्पूके श्लोकोंका प्रमाण देते हुए वे कहते हैं जो स्त्री एकबार व्याही जा चुकी है वह दूसरी बार व्याही नहीं जा सकती जब पुनर्विवाहके विरुद्ध इतने जैन शास्त्रोंकी सम्मतियां हैं और फरियादी उस पुनर्विवाहका समर्थन करता है, तब आरोपियोंका ऐसा कहना गलत नहीं कहा जा सकता कि फरियादी 'धरेजा' और 'करावा' का पोषक है इसलिये उसके शीलव्रतका कुछ महत्व नहीं।

१९। पांचवां आक्षेपः—फरियादीका कहना है कि आरोपियोंने लिखा है—दक्षिण देशके जैन फरियादीको घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं अर्थात् "दक्षिण देशके लोग जबसे फरियादीको झगड़ालू, उत्पाती समझने लगे, तबसे वे इसको घृणा दृष्टिसे देखते हैं फरियादीने केवल सूरत और सेडवालमें ही लड़ाई

नहीं ठानी बल्कि उसने शोलापुर डिस्ट्रिक्ट—कांफरेंस, नातेपूते सभा और दूसरी दूसरी सभाओंमें भी खूब उपद्रव मचाया ।" फरियादी बयान करता है कि जब वह नातेपूते जैनसभामें विधवा विवाह पर वक्तृता दे रहा था तब वहां खलबली मच गई; क्योंकि वक्तृता देते समय उसने अपना हाथ बिना किसी इच्छाके एक बूढे मनुष्यकी ओर फैलाया जो हालमें ही एक लड़की ब्याह लाया था (यह बात उसे पीछे मालूम हुई) उसका कहना है, सन् १९२० ई० में शोलापुरमें जो कांनफरेंस हुई थी, उसमें निम्न जातिके लोगोंको घुसानेकी उसने कोई चेष्टा न की थी। और इस सम्बन्धमें समाचार पत्रोंमें जो उस पर दोष मढे गये वह झूठे थे। लेकिन वह आगे चल कर स्वीकार करता है, कि इन असत्य संवाद के प्रकाशित करनेके कारण मदरादकके विरुद्ध कोई कार्रवाई न की। शेठ गुलाबचंदजी (दलील नं० ४५) का कहना है, कि शोलापुरमें जब फरियादी वक्तृता दे रहा था, उस समय पुलिसने उसे रोका और सभा बन्द करनेको कहा। जयकुमार (दलील नं० ५६) ने अपने बयानमें कहा है कि शोडवाल सभामें फरियादी और उसके साथियोंने मंडपसे बाहर निकल कर लोगों पर ईंट पत्थर फेंके थे; उस समय पुलिसका

शांतिस्थापन करनी पड़ी थी। बाल्‍हू चौगलाने भी कहा है, कि पुलिस २५ तारीखको वहां पहुंची और ता० २६ को जैनसमाजको यह सूचित करनेके लिये विज्ञापन बांटा गया, कि महासभाका अधिवेशन दो दिन (अर्थात् २३ वीं और २४ वीं को) ही कायम कर दंगा हो जानेके कारण बंद किया जाता है। जयकुमार-के बयान पर विश्वास करनेसे फरियादी ही शेड-वालके उक्त दंगेका साक्षात् वा परंपरा कारण मालूम पड़ता है। लेखमें बताई गई शोलापुर नातेपूते और शेडवाल इन तीन स्थानोंकी सभाओंमें जो दंगा हुआ वह फरियादी (कोठारी) के ही कारण हुआ इसमें कुछ भी सन्देह नही है।

२०। ताराचंदका कहना है कि जैनसमाजमें फरियादी एक प्रसिद्ध आदमी है अगर और मनुष्य उसे लड़ाकू भी कहें तो भी वह (ताराचंद) उसे ऐसा नहीं कह सकता है। बाल्‍हू चौगलाका कहना है कि वह जैनसमाजके अन्यान्य नेताओंके जैसा कोठा-रीको भी समझता है। परंतु आरोपियोंके गवाह पं० वंशीधरजीका कहना है कि फरियादी नेता है, यह बात दक्षिण देशके जैनसमाजमें किसीको मालूम नहीं। लेकिन उस (फरियादी) ने मिरज, बेलगाम और अन्यान्य स्थानोंमें अवश्य ही अपने अधार्मिकविचार-

की प्रसिद्धि पाई है (ऐसा गवाह बयान करता है)।
प० शांतिनाथ शास्त्रीका कहना है कि फरियादी जैन-समाजका नेता नहीं माना जाता; वरन् वह जैनियोंमें घृणादृष्टिसे देखा जाता है, कारण वह (फरियादी) हमेशा अधार्मिक तत्वोंका ही प्रचार करता है। इन सब बातोंपर विचार करनेसे हर एक आदमी कह सकता है कि इस विचारणीय आक्षेपके प्रकाशित होनेके पहलेसे ही फरियादीका अधार्मिक विचार प्रसिद्ध था और अब इस विषयके प्रकाशित होनेसे समाजमें उसकी प्रतिष्ठाको कुछ भी धक्का नहीं लगा है।

२१। छठा आक्षेपका अनुवाद अन्तिम अर्थात् दशवें कालममें इस प्रकार है—"फरियादी उल्लिखित भारत दिगम्बर जैन महासभाकी पूंजीको हड़प कर डालना चाहता है क्योंकि बोर्डिङ्गका खर्च चलाना मुश्किल होगया है इसलिए उसने महासभाको हस्त गत करनेकी तरकीब ढूंढ़ निकाली है क्योंकि इस समय महासभामें लगभग २० हजार रुपये जमा हैं। इस प्रकार वह धार्मिक व्यक्तियोंके दिये हुए दानको हड़प करना चाहता है।" सन् १९२२ ई०में अछूतोंकी उन्नतिके लिये फरियादीने बावीमें एक बोर्डिङ्ग खोला है। उसका कहना है कि उसने बोर्डिङ्ग खोल-

नेमें बहुत रुपये खर्च कर डाले और अभी वह उसके लिए चन्दा वसूल कररहा है। पहले यह कहा आ चुका है कि फरियादी महासभाका महामन्त्री चुना गया है यह प्रमाणित होना कठिन है ऐसी अवस्थामें यदि महामन्त्रीकी हैसियतसे वह अपने पास चंदा जमा कराता है, तो सब कोई ऐसा समझ सकते हैं कि वह इसका थोड़ासा अंश उस ओर भी खर्च करेगा। वंशीधरजीका कहना है कि उनके सामने तथा कई जगहोंमें फरियादीने कहा है कि मन्दिरका खर्च घटा करके शिक्षाविभागका खर्च चलाया जाय। उक्त वंशीधरने साफतौरसे स्वीकार किया है कि फरियादीने अपना मतव्य उनके समक्ष प्रगट किया। यहां यह भी नहीं मालूम पड़ता कि दोनोंमें किसी प्रकारकी शत्रुता है। इस वाक्यमें सबसे अधिक आक्षेपाई 'हाथ साफ करना" है फरियादीका कहना है कि इसका अर्थ केवल 'अधिकार करना' ही नहीं बल्कि 'हड़प करना' भी है। वंशीधर प्रथमोक्त अर्थको ही युक्तिसंगत बतलाते हैं, रामनारायणके कोषमें इसका अर्थ है 'सीखना, इस्तेमाल करना, अभ्यास करना, कतल करना'। हिन्दी मुहावरेमें इसका अर्थ है, 'पाना, बरबाद करना आदि' डा० फालोके कोषमें इसका अर्थ है, 'मारना, कतल करना, लूटना अक्षर बनाना सीखना। इन सब अर्थों

पर गौर करनेसे और प्रकरणसे ऐसा मालूम पड़ता है कि अधिकार करनेके सिवा इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। इसका अर्थ हड़प करना हो नहीं सकता। अतः मैं इस आक्षेपको आपत्तिजनक नहीं समझता हूं।

२२। कालम नं० १ में यह भी कहा गया है कि फरियादी अछूतोंके साथ खाता पीता है। फरियादी-का कहना है कि यद्यपि वह उनके साथ खाना पीना पसन्द करता है और जब तक जैनसमाज इसे ग्रहण करनेको तैयार नहीं, तब तक वह भी इसे ग्रहण नहीं करता। वह यह भी कहता है, कि उसने आज तक प्रगट या गुप्त तौरसे ऐसा नहीं किया। ताराचन्द का कहना है, वह उसके घर पर कभी नहीं गया और न वहां भोजन ही किया है। लेकिन वह कहता है, कि उसने फरियादीके साथ कई जगह बैठ कर खाया पीया है। ताराचन्द बम्बईका रहनेवाला है और फरि-यादी पूनाका। यदि ऐसा है, तो क्या ताराचन्दको कभी भी ऐसा मौका हाथ न लगा, कि वह फरि यादीके घर पूना जाता और वहां उसके साथ ठहरता। इससे क्या मालूम पड़ता है? बंशीधरका कहना है, कि उसने फरियादीको शोलापुरमें "चमार" 'ढोर'के घर चाय पीते देखा है। शांतिनाथ कहता है कि लग-भग दो वर्ष हुए, तालगावमें पार्वती महार (भंगी) ने

फरियादीको चाय पीनेके लिए दी और वह (फरि यादी) बिना रोक टोकके उसे पी गया। अपकुमारका कहना है कि उसने उसके बोर्डिंगमें अछूतों के साथ बैठ कर खाया है। इस तरहकी बातें कई जगह कही जानेके कारण मैं उन्हें असत्य नहीं समझता। उल्लिखित विषयों पर विचार करते हुए ऐसा मुझे जचता है कि लेखमें जो लिखा गया है कि फरियादीने अछूतोंके साथ खान पान किया है, वह झूठ नहीं है। चूंकि एक भी आक्षेप असत्य नहीं पाया गया और जनसाधारणकी भलाईके लिये ही ऐसा किया गया, इस कारण इस विषयमें जितने आरोपियों पर अभियोग लगाया गया वे सभी निर्दोष हैं। अतः वे सबके सब ताजिरातहिंदकी २५८ वीं दफाके अनुसार छोड दिये जाते हैं।

बेलगाम } (द:) आर० एन० किणी।
३०-११-१९२५ } आनरेरी मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास